Wednesday, 16 February, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद
का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

18-6-92

सत्यमेव जयते

[खंड 50 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. L contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 3—बुधवार, 16 फरवरी, 1966/27 माघ, 1887 (शक)

No. 3—Wednesday, February 16, 1966/*Magha* 27, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
31	दिल्ली में पुलिस के सिपाही का अपहरण	Kidnapping of Policeman in Delhi	2779–80
32	न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण	Separation of Executive from Judiciary	2780–82
33	मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s. Bennet Coleman & Co. Ltd.	2782–85
34	श्री काकोदकर का लापता हो जाना	Disappearance of Shri Kakodkar.	2785–88
35	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थान	Status of High Court Judges .	2789–91
36	यूनेस्को मिशन का दौरा	Visit of UNESCO Mission .	2791–92
37	हल्दिया तेल शोधक कारखाना	Haldia Oil Refinery . . .	2793–96
38	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reform Commission	2796–99

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
39	कारैक्कल और कावेरी क्षेत्र में तेल और गैस	Oil and Gas in Karaikal and Cauvery	2799
40	समवर्ती सूची में शिक्षा	Education on Concurrent List .	2799–2800
41	उर्वरकों के लिए कोक भट्टी गैस	Coke-oven Gas for Fertilizers .	2800
42	पूर्वी क्षेत्र में घुसपैठिये	Infiltrators in Eastern Region .	2800–01
43	शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन	Education Commission's Report	2801–02
44	भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग	Indian Historical Records Commission . . .	2802
45	समुद्र तल में तेल के भण्डार	Oil Reserves under the Ocean .	2802–03
46	विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में एकरूप नीति	Uniform Policy regarding Universities	2803–04

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—19 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
47	मिट्टी के तेल और डीजल तेल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता	Self-Sufficiency in Petroleum, Kerosene and Diesel Oil . .	2804
48	संयुक्त सलाहकार व्यवस्था	Joint Consultative Machinery .	2804-05
49	मद्य निषेध	Prohibition	2805–06
50	गृह-कार्य मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Ministry of Home Affairs	2806–07
51	नागरिक सुरक्षा दल	Civil Defence Force . . .	2807
52	सीमा सुरक्षा दल	Border Security Force . .	2807–08
53	भारत प्रतिरक्षा नियमों की क्रियान्विति का पुनरावलोकन	Review of Working of D.I.R. .	2808–09
54	कलकत्ता के उद्योगपति	Calcutta Industrialists . .	2809
55	उर्वरकों के मूल्यों और वितरण का विनियंत्रण	Decontrol of Prices and Distribution of Fertilizers . .	2809–10
56	राज्यों के मंत्रियों तथा राज्यपालों के बीच परामर्श	Consultations between State Ministers and Governors . .	2810
57	पंजाब में उप कुलपति की नियुक्ति	Appointment of a Vice-Chancellor in Punjab	2811
58	काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का षडयंत्र	Plot to kill Kashmir Chief Minister	2811
59	मंत्रियों के लिये नयी आचार संहिता	New Code for Ministers ..	2812
60	श्री अजीत प्रसाद जैन का त्याग पत्र	Resignation of Shri A.P. Jain .	2812
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
126	मथुरा में पाये गये प्राचीन-स्थल	Excavation of Ancient Sites in Mathura	2813
127	सरकस कलाकारों के लिए प्रशिक्षण	Training for Circus Artistes .	2813
128	गुरुव्यूरपान कालेज, केरल	Guruvayoorapan College, Kerala	2814
129	केरल में मुस्लिम लीगियों की गिरफ्तारी	Arrest of Muslim Leaguers in Kerala	2814
130	हलके डीजल तेल की कमी	Shortage of Light Diesel Oil .	2815
131	सामान्य शिक्षा कार्यक्रम	Programme of General Education	2815–16
132	भारतीय अभिलेखागार परिषद्	Indian Archives Council . .	2816
134	गुजरात में गैस और तेल की सप्लाई	Supply of Gas and Oil in Gujarat	2816
135	अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक	Inter University Board Meeting	2816–17
136	हिन्दी तथा अन्य भाषाओं का प्रचार	Propagation of Hindi and other languages	2818
137	मैसूर उच्च न्यायालय का निर्णय	Mysore High Court Judgement .	2818–19
138	उपूसी (नेफा) में पंचायतें तथा जिला परिषदें	Panchayats and Zila Parishads in, NEFA	2819
139	अपहृत बच्चों की खोज	Trace of Kidnapped Children .	2819
140	तालकटोरा बाग में इन्डोअर स्टेडियम	Indoor Stadium at Talkatora Garden	2820

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
141	सैनिक कर्मचारियों की सम्पत्ति का विवरण	Return of Holdings by Service Personnel	2820
142	दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर सक्रिय अपराधी	Criminals Operating on Delhi-U.P. Border	2820–21
143	पवित्र स्थानों की मरम्मत	Repairs of Holy Places . .	2821
144	अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन	All India Education Conference	2821
145	गांधी शताब्दी समारोह	Gandhi Centenary Celebrations .	2822
146	कुशल आपरेटरों का वेतनक्रम	Pay Scale of Skilled Operators .	2822–23
147	दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सिविल तथा पुलिस सेवा	Delhi and Himachal Pradesh Civil and Police Service .	2823
148	ज्वालामुखी में ड्रिलिंग	Drilling in Jwalamukhi . .	2823
149	चलचित्रों के अश्लील इश्तहार	Obscene Film Posters . .	2823–24
150	दिल्ली राज्य में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफतारियां	Arrests under D.I.R. in Delhi State	2824
151	आसाम के पर्वतीय जिलों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन	Assam Hill Districts Commission Report	2824
152	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों को हिन्दी का शिक्षण	Hindi Teaching to Central Government Employees . . .	2824–25
153	सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Government Staff .	2825–26
154	भारत सरकार के अधीन आयोग	Commission under Government of India	2826
155	दुर्गापुर उर्वरक कारखाना	Durgapur Fertilizer Factory .	2826
156	गुजरात के कथाना स्थान में तेल	Oil at Kathana in Gujarat .	2827
157	आसाम की सीमा पर निर्जन पट्टी	Vacant Belt on Assam Border .	2827
158	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आइल इंडिया लिमिटेड द्वारा छिद्रण-कार्य	Drilling by O.N.G.C. and Oil India Ltd.	2828
159	ल्यूब्रिकेटिंग प्लांट, बम्बई	Lubricating Plant, Bombay .	2828–29
160	गंगा के मैदान में तेल	Oil in Gangetic Plain . .	2829
161	होमगार्ड	Home Guards	2830
162	वैज्ञानिक सम्मेलन	Conference of Scientists . .	2830
163	मुख्य मंत्रियों की गृह-कार्य मंत्री के साथ मुलाकात	Chief Ministers' Meeting with the Minister of Home Affairs .	2830–31
164	विज्ञान तथा इंजीनियरी में प्रतिभाशाली व्यक्ति	Scientific and Engineering Talent	2831
165	जगदलपुर के लिये कपडे का कारखाना	Textile Mill for Jagdalpur. .	2831–32

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
166	नेफा (उपूसी) सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण	Socio-Economic Survey of NEFA	2832
167	सीमान्त क्षेत्रों के लोगों को हथियारों का दिया जाना	Arms to People in Border Areas	2832
168	कर्मचारी संघों की मान्यता	Recognition of Unions . .	2833
169	भारत का गजेटियर	Gazetter of India . . .	2833
170	अन्तर्राज्य विवाद	Inter-State Disputes . . .	2833–34
171	क्लर्कों/असिस्टंटों की पदालियों में गतिरोध	Stagnation in Clerks' / Assistants' Grades	2834
172	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड का लाभ	Profit of Central Government Employees' Cooperative Stores Ltd.	2834–35
173	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार की वार्षिक बैठक	Annual Meeting of Central Government Employees Consumer Co-operative Stores	2835
174	पेट्रो रसायन उद्योग-समूह	Petro-Chemical Complex . .	2835–36
175	हिन्दी सलाहकार समिति	Hindi Salahkar Samiti . .	2836–37
176	विद्यार्थियों के लिये नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण	Civil Defence Training for Students	2837
177	इम्फाल में पुल का उडाया जाना	Blowing-up of Imphal Bridge .	2837–38
178	चेथरान्नूर के पुलिस इन्स्पेक्टर के विरुद्ध जाँच	Enquiry against Police Inspector, Chethannore	2838
179	अंग्रेजी का स्तर	Standard of English . . .	2838
180	राज्यों में जिलों का पुनर्गठन	Reorganisation of Districts in States	2838–39
181	बिहार में जिलों का पुनर्गठन	District Re-organisation in Bihar.	2839
182	लड़कियों का बहकाना	Enticing of Girls . . .	2839
184	अलीगढ़ मस्लिम विश्वविद्यालय	Aligarh Muslim University .	2840
185	आसाम में तेल के क्षेत्र	Oil Structures in Assam . .	2840
186	दिल्ली में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की योजना	Scheme to Popularise Hindi in Delhi	2841
187	तकनीकी कालेजों में प्रवेश	Admission into Technical Colleges	2841
188	देश में तेल के कुए	Oil Wells in the Country . .	2841–42
189	भारतीय भाषा समितियां	Indian Languages Committee .	2842
190	अखिल भारतीय विधि अध्यापकों का सम्मेलन	All-India Law Teachers' Conference	2842–43
191	गोआ	Goa	2843–44
192	काश्मीर का विलय	Integration of Kashmir . .	2844

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
193	अश्लील साहित्य	Obscene Literature . . .	2845
194	दिल्ली में बच्चों की शिक्षा	Children's Education in Delhi .	2845
195	कानपुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Kanpur .	2846
197	गीतांजलि की पांडुलिपि	Script of Gitanjali . . .	2846
198	मोटर-पहियों के चोरों का गिरोह	Motor Wheel Stealing Gang .	2846
199	जीवाजी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी	English in Jiwaji University .	2847
200	जम्मू तथा काश्मीर राज्य का पुनर्गठन	Reorganisation of Jammu and Kashmir State . . .	2847
202	जम्मू तथा काश्मीर में पाठ्य पुस्तकें	Text Books in Jammu and Kashmir	2847-48
203	अशोधित तेल के मूल्यों में कमी	Cut in Crude Prices . . .	2848
204	पोर्ट केनिंग में ड्रिलिंग	Drilling in Port Canning area .	2849
205	गौहाटी तेल शोधन कारखाना	Gauhati Refinery . . .	2849
206	बर्मा से स्वदेश आने वाले लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Burma . . .	2849-50
207	केरल की सब्रिगिरि जल विद्युत् परियोजना के कर्मचारियों के लिय राशन	Rations to the workers of the Sabarigiri H.E. Project, Kerala .	2851
208	केरल में राष्ट्रीय वाणिज्य डिप्लोमा	National Diploma in Commerce in Kerala	2851
209	केरल के थाकाजी स्थान पर चोरियां तथा कत्तल	Thefts and Murders in Thakazi, Kerala	2851-52
210	भारत में विज्ञान की शिक्षा	Science Education in India .	2852
211	बिक्री कर सम्बन्धी कार्यवाही	Sales Tax Proceedings .	2852
212	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये विश्वविद्यालय	University for North- Eastern Region	2852-53
213	पेट्रो केमिकल कारपोरेशन	Petro-Chemical Corporation .	2853
214	सेवा निवृत्त असैनिक कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाया जाना	Re-employment of Retired Civil Servants	2853-54
215	स्कूलों में हिन्दू धार्मिक शिक्षा	Hindu Religious Education in Schools	2854
216	फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा तकनीकी संस्थाओं को अनुदान	Grants to Technical Institutes by Ford Foundation . . .	2854-55
217	श्री नेहरू के योगदान के सम्बन्ध में यूनेस्को सम्मेलन	UNESCO Conference on Nehru's Role	2855
218	फाइल के इधर उधर भेजने पर 50 लाख रुपये का खर्च	File Movement costing Rs. 50 lakhs	2855
220	नामरूप उर्वरक कारखाना	Namrup Fertilizer Factory .	2855-56
221	पूना के विद्यार्थियों की शिक्षा	Studies of Poona Students .	2856

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
223	जनता की शिकायतें	Public Grievances . . .	2856-57
224	रीवा की निधियां	Rewa Funds	2857
225	आसाम में पेट्रो-केमिकल उद्योग समूह	Chemical Complex in Assam .	2857
226	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थानों का कोटा	Quota for S.Cs. and S.Ts.	2858
227	पंजाब में शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का विस्तार	Expansion u Education Schemes in Punjab	2858
228	भूतपूर्व देशी राज्यों में हिन्दी	Hindi in former Princely States	2858-59
229	आसाम में विदेशियों के चाय बागानों के विरुद्ध जाँच	Enquiry agai.st Foreign owned Tea Estates in Assam . .	2859
230	उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में तेल	Oil in Coastal Districts of Orissa	2859
231	पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति	Migration from Pakistan .	2860
232	मुसलमानों की गिरफतारियां	Arrest of Muslims . . .	2860
233	मैसूर में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene oil in Mysore	2860-61
235	एकरूप प्राथमिक शिक्षा	Uniform Primary Education .	2861
236	सिंदरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertiliser Factory . .	2861-62
237	ग्रीष्म कालीन स्कूल तथा बहु प्रयोजनीय स्कूल	Summer Schools and Multipurpose Schools	2862
238	उड़ीसा राज्य में सांस्कृतिक केन्द्र	Cultural Centres in Orissa State	2862
239	उड़ीसा राज्य में प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं को सहायता	Assistance to Publishers and Sellers in Orissa State . .	2863
240	पुनर्वास उद्योग निगम	Rehabilitation Industries Corporation . . .	2863
241	दण्डकारण्य छोडकर चले जाने वाले प्रव्रजक	Migrants Deserting Dandakaranya	2863-64
242	हिन्दी का प्रचार	Propagation of Hindi . .	2864
243	केरल विश्वविद्यालय में अन्तरिक्ष अनुसंधान	Space Research in Kerala University	2865
244	बेतुल में चीनी का कारखाना	Sugar Mill in Betul . . .	2865
245	उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Madhya Pradesh	2865-66
246	मध्य प्रदेश जिला गजटियर का हिन्दी में संकलन	Compilation of Madhya Pradesh District Gazetteer in Hindi .	2866
247	विदेशी भाषाओं का अध्यापन	Teaching of Foreign Languages .	2866
248	डाक्टर की सम्मानार्थ डिग्री	Degree of Doctor Honoris Causa	2867
249	भारतीय इतिहास की आलोचना	Criticism of Indian History .	2867-68

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
250	अध्यापकों को पुरस्कार	Awards to Teachers . . .	2868
251	विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी-गृह	Students' Homes in Universities	2869
252	भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियां	Privy Purses to Rulers	2869
253	वालकाट की गिरफतारी	Arrest of Walcott . . .	2869–70
254	दिल्ली में यातायात की भीड	Traffic Congestion in Delhi .	2870–71
255	दिल्ली के लिये मद्यनिषेध समिति का प्रतिवेदन	Report of Prohibition Committee for Delhi . . .	2871
256	रूस को शिष्टमंडल	Delegation to U.S.S.R. . .	2871
257	एक समान जेल नियम	Uniform Jail Rules . .	2872
258	त्रिपुरा में आए विस्थापित व्यक्ति	Migrants in Tripura . .	2872
259	अमरीकी छात्रवृत्ति	American Scholarship . .	2872–73
260	भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय	National Museum of India	2873
261	केरल में भाषा-शिक्षक	Language Teachers in Kerala .	2873
262	अध्यापकों का न्यूनतम वेतन	Minimum Pay of Teachers	2874
263	श्री बी० जी० मेहता का स्मारक	Memorial to Shri B. G. Mehta .	2874
264	केरल के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु	Retirement Age of District Judges in Kerala . . .	2874

विषय	SUBJECT	PAGES
अविलम्बनिय लोक महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Uregent Public Importance—	
अपर्याप्त महंगाई भत्ता दिये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष	Discontent among Central Government Employees on account of inadequate grant of dearness allowance	2875–79
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	2879–82
भारत-चीन सीमा पर स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statementre: Situation on India-China Border—	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan .	2882–84
उन परिस्थियों के बारे में वक्तव्य जिनमें श्री लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हुआ—	Statement re: Circumstances of Shri Lal Bahadur Shastri's Death—	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	2885–92
समिती के लिये निर्वाचन	Election to Committee—	
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	2893
एकस्व विधेयक—	Patents Bill—	
संयुक्त समिती का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय का बढ़ाया जाना	Extension of Time for presentation of Report of Joint Committee.	2893
कार्य मंत्रणा समिती—	Business Advisory Committee—	
43 वां प्रतिवेदन	Forty-third Report . .	2894

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक— पुरःथापित	Indian Tariff (Amendment) Bill—introduced	2894
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अध्यादेशों के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Indian Tariff (Amendment) Ordinances—	
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah . .	2894
ताश्कंद घोषणा के बारे में प्रस्ताव—	Motion re: Tashkent Declaration—	
सरदार स्वर्ण सिंह	Sardar Swaran Singh . .	2894–98
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo . . .	2904–06
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	2906–08
श्री कृ० चं० पन्त	Shri K. C. Pant . . .	2908–10
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad .	2910–11
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	2911–12
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon . .	2912–14
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	2914–16
श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray .	2916-17
श्री अ० चं० गुह	Shri A. C. Guha . .	2917–18
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhuri . .	2918–19
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza .	2919–20

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 16 फरवरी, 1966/27 माघ, 1887 (शक)
Wednesday, February 16, 1966/Magha 27, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

+ दिल्ली में पुलिस के सिपाही का अपहरण

*31. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 दिसम्बर, 1965 को दिल्ली में कुछ गुंडों ने एक ट्रक ड्राइवर की सहायता से पुलिस के एक सिपाही का अपहरण किया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का विवरण क्या है; और

(ग) अपने काम पर तैनात सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Shri Yashpal Singh : Has any action been taken against those newspapers who gave publicity to this false news?

श्री पू० शे० नास्कर : कुछ घटना तो हुई थी। वह बिल्कुल वैसी तो नहीं है जैसी समाचार पत्रों में आई है। 22 और 23 दिसम्बर को यातायात के नियमों के उल्लंघनों के विरुद्ध एक आन्दोलन था। 23 दिसम्बर की रात को अलोपु अर मोरीगेट के क्षेत्र में एक हैडकांस्टेबल ने एक ट्रक को मोरीगेट क्षेत्र की ओर से अलीपुर रोड की ओर बिना रोशनी के आते देखा और वह अधिक लदा हुआ भी प्रतीत होता था। तब हैड-कांस्टेबलने ट्रक चालक को ट्रक को रोकने के लिये कहा। चालक ने ट्रक को नहीं रोका। परन्तु कुछ दूरी के बाद दूसरे सिपाही ने ट्रक को रोक लिया और उसमें बैठ गया और चालक को ट्रक रोकने के लिए कहा। उसने उससे कुछ प्रश्न पूछे और इस बीच ट्रक चालक ने ट्रक को नहीं रोका, और सिपाही ट्रक में ही रहा। उन्होंने सिपाही को ट्रक से गिराने

का प्रयत्न किया परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके। इस बीच एक गश्ती वैन वहां से गुजर रही थी और उसने ट्रक को रोक लिया और चालक और तीन अन्य व्यक्तियों को जो ट्रक में थे गिरफ्तार कर लिया। सिपाही को उसके बायें पांव के अंगूठे में मामूली सी चोट आई।

Shri Yashpal Singh : Could I be permitted to put such a long supplementary as this answer is ?

श्री कपूर सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस सभा के प्रक्रिया नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रश्न पर जो कि उठता ही नहीं है समय नष्ट करना उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो मैं बता सकूं परन्तु अनुपूरक प्रश्न तो तब भी उठ सकता है जबकि उत्तर यह है कि प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कपूर सिंह : कुछ भी नहीं में से तो कुछ भी नहीं उठ सकता (**अन्तर्बाधा**)।

Shri Yashpal Singh : Has any action been taken against the truck driver?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : उसके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दायर किया गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What type of goods was loaded in that truck? What is the name of the owner of the Truck?

Mr. Speaker : We need not go into those details.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What type of goods was there in the truck that the driver did not stop the truck?

Mr. Speaker : This does not arise out of the main question.

न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण

\+

*32. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री गुलशन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) किन-किन राज्यों में ऐसा पृथक्करण हो चुका है; और

(ग) शेष राज्यों में पृथक्करण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह पृथक कर दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों तथा आसाम और राजस्थान के कुछ जिलों में भी इसे पृथक कर दिया गया है।

(ग) कोई निश्चित तिथि लक्ष्य रुप से निर्धारित न ीं की गई है। स मामले पर मुख्य रुप से राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना है।

Shri Yashpal Singh : Has the Government separated it in Union territories?

Shri Vidya Charan Shukla : Yes, in many levels it has been separated and in many places it is being done. This matter is being placed before the Advisory Committee today in Delhi. This matter will also be placed before the Advisory Committee in Himachal Pradesh.

A decision has been taken in principle regarding this matter in Goa, Daman and Diu and it will be enforced there soon. In Andaman Nicobar etc. where the incidents of the crime is much less, the matter is under consideration.

Shri Yashpal Singh : What are the difficulties that have been expressed by those Governments who have not so far separated it?

Shri Vidya Charan Shukla : No difficulties have been expressed. Every Government has accepted it in principle. There are some practical difficulties and they are being resolved. We are hopeful that very soon we shall make further progress in this regard.

Shri U. M. Trivedi : Our Constitution came into existence in 1950. Is it not a fact that the difficulties experienced in separating the executive from the judiciary have been resolved only in those states where the executive was already separated from the judiciary ? What objections have been expressed by the other states in this regard?

Shri Vidya Charan Shukla : Much progress has been made in this direction. This is not correct to say that was already separated in some of the States. This........

Shri U. M. Trivedi : This is absolutely correct. It was so in Madhya Bharat, in Bombay.

Mr. Speaker : His answer may be listened fully.

Shri Vidya Charan Shukla : I can give the exact dates on which the executive was separated from the judiciary. Some work remains to be done in certain states. Active efforts are being made in this direction and we are hopeful to achieve better results shortly.

श्री रामनाथन् चेट्टियार : कुछ राज्यों ने योजना को क्रियान्वित नहीं किया है। योजना की क्रियान्विति में देरी के क्या कारण है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ऐसी कोई योजना नहीं है। कुछ राज्यों ने इसको प्रक्रमों में क्रियान्वित करने का निर्णय किया है। पिछड़े क्षेत्रों में, जहां कि इसको सीधे ही क्रियान्वित करना संभव नहीं हुआ है जैसा कि प्रगतिशील क्षेत्रों में किया गया है, व्यावहारिक और स्थानीय कठिनाइयों के अतिरिक्त कोई कठिनाई नहीं है। यथासंभव सको पूरा कर लिया जायेगा।

श्री कन्डप्पन : क्या सरकार का विचार अन्दमान और निकोबार द्विपसमूहों के लिये शीघ्र एक पृथक न्यायपालिका स्थापित करने का है और यदि हां, तो कब स्थापित की जायेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अन्दमान और निकोबार में अपराध बहुत कम होते हैं फिर भी वहां भी ऐसा करने के लिए हमने कुछ कदम उठाये हैं।

Shri Sheo Narain : Has any final decision been taken for separating the Judiciary throughout the country?

Shri Vidya Charan Shukla : Yes. Please, this is our intension.

श्री स० मो० बनर्जी : किन राज्यों ने योजना को क्रियान्वित कर लिया है अथवा करने वाले है तथा किन राज्यो नें ऐसा करने से इन्कार कर दिया है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : किसी राज्य ने इन्कार नहीं किया है। कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रगति काफी तेज़ी से हुई है। मैं इस कार्य को सारे देश में शीघ्र ही पूरा करना चाहता हूं। राज्यों के साथ हमारी लिखा पढ़ी चल रही है। कुछ मामलों में उन्होंने कठिनाइयां प्रकट की हैं। मुझे आशा है कि कार्य तेज़ी से होगा।

Shri Bhagwat Jha Azad : The Hon. Minister and Deputy Minister have said that this has been accepted in principle, but it involves some practical difficulties. May I know whether after the acceptance of this theory in principle and keeping in view the practical difficulties, any time-limit has been fixed for the states for completing this?

Shri Vidya Charan Shukla : No such time limit has been laid down, but we have repeatedly requested the State Governments to expedite its implementation. From the progress so far achieved we hope to complete this work in a few years.

श्रीमती सावित्री निगम : जबकि संघ राज्य क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के अधीन है, इस विषय को सलाहकार समिति में इतनी देर बाद क्यों लाया गया है ? क्या पहले कभी इस विषय को रखा गया था अथवा नहीं, और यदि नहीं तो पहले ऐसा करने में क्या कठिनाइयां थी ?

श्री हाथी : इस प्रश्न को दिल्ली सलाहकार समिति में कोई पहली बार ही नहीं उठाया गया है वास्तव में विधयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है और विधेयक पर आज सलाहकार समिति में चर्चा हो रही है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has it come to the notice of the Government that Punjab State has experienced some administrative difficulties in this process of separation?

Shri Vidya Charan Shukla : No please, no such information has been received.

मेसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटिड

+

*33. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :

श्री बागड़ी : **श्री यशपाल सिंह** :

क्या गृह-कार्य मंत्री 1 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 581 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान्यायवादी ने मसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई द्वारा किये गये आपराधिक गबन के मामले में अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध काननी कार्यवाही करने की राय दी है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह राय मान ली है और तदनुसार कायवाही कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय जांच विभाग (सी० बी० आई०) द्वारा की गई जांच के परिणामों के आधार पर सरकार का इस मामले में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मामला विचाराधीन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला महान्यायवादी को उनकी राय जानने के लिये सौंपा गया था और यदि हां, तो क्या महान्यायवादी के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रति रक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : मामला महान्यायवादी को सौंपा गया था और उन्होंने कुछ राय दी है। हम उनकी राय के अनुसार कार्यवाही कर रहे है तथा जांच की जा रही है। परन्तु मैं नहीं समझता कि उन की राय को सभा-पटल पर रखा जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को देखते हुए कि यह खबर बहुत फैली हुई है कि श्री शांति प्रसाद जैन तथा गबन के मामले में अभियुक्त अन्य व्यक्ति और सरकार इस मामले को दबाना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ......

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह सच नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ है। म जानना चाहता हूं कि क्या विधि-मंत्री तथा विधि मंत्रालय की भी इस मामले में राय ली गई है यदि हां, तो उन्होंने क्या राय दी है और क्या उन्होंने कानूनी कार्यवाही करने का सुझाव दिया है ?

श्री हाथी : जी हां, विधि मंत्री तथा विधि मंत्रालय दोनों की राय ली गई था तथा उन्होंने मामले की और जांच कराने की सलाह दी है। महान्यायवादी ने भी यही सलाह दी है।

Dr. Ram Manohar Lohia : The papers owned by M/s Bennet Coleman & Co. Ltd. have now softened their attitude towards Government and some Ministers and whether it is a fact that this has resulted in the suspension of action being taken against them?

Shri V. C. Shukla, : No, Sir.

Shri Yashpal Singh : Whenever any enquiry is made against a government official he is suspended keeping in view the magnitude of misappropriation, I would like to know whether their license has been cancelled and whether they have been black listed?

श्री हाथी : जांच के समय सरकारी अधिकारी को तभी मुअत्तिल किया जाता है, यदि उसके विरुद्ध लगाये गय आरोप बहुत गम्भीर हों इस मामले में जो अपराध हुआ है उसके लिय कौन व्यक्ति कहां तक जिम्मेदार है इसका पता आग जांच कर के ही लगाया जा सकता है और इसीलिए जांच की जा रही है ।

श्रीमती रेणुका राय : यह जांच कब तक पूरी की जा सकेगी तथा सभा को अन्तिम निर्णय के बारे में कब तक सूचित किया जा सकेगा ?

श्री हाथी : जांच पूरी होने वाली है तथा इस में अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : यह गम्भीर गबन का मामला है । सरकार लोगों को यह धारणा बनाने का अवसर क्यों दे रही है कि कुछ कारणों तथा दबाव के फलस्वरूप इस बारे में पहले स्पष्ट निर्णय नहीं किया गया ?

श्री हाथी : यह धारणा गलत है ।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे यह जान कर खुशी हुई । परन्तु विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री हाथी : जांच पूरी हो जाने के पश्चात मैं माननीय सदस्य को विलम्ब के कारण बताऊंगा । मैं सभा को यह भी बताऊंगा कि और आगे जांच करने की आवश्यकता क्यों हुई; तथा कि तथ्यों पर महान्यायवादी की राय के अनुसार आग जांच की गई । सभा की सब बात तभी बताई जा सकती हैं, अब नही ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि बहुत से लोगों को सन्देह है कि जब तक जांच पूरी होगी, तब तक बहुत से दस्तावेज, जिनके आधार पर अपराध सिद्ध किया जायेगा, फाइलों से गायब हो जायेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी नही, ये दस्तावेज हमारे अधिकार में है । यह भय बिल्कुल निराधार है ।

श्री हेम बरुआ : श्री नंदा भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये बहुत प्रयत्नशील है और उन्होंने इस कार्य के लिये केन्द्रीय जांच विभाग (सी० बी० आई०) की सेवाओं का प्रयोग किया है । क्या यह सच है कि यह विशेष विभाग उनसे लेकर राज्य मंत्री को दे दिया गया है और यदि हां, तो मै जानना चाहता हूं कि क्या इस विशेष मामल पर इतना ध्यान दिया जायेगा, जितना कि नंदा के अधिन दिया जाता था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं सदन को सूचित करता हूं कि वह विभाग मेरे आधीन है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को देखते हुये कि अधिकतर लोग यह सोचते है कि श्री शांति प्रसाद जैन बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है और उनका सत्ताधारी दल पर बहुत प्रभाव है, मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने वह कार्यवाही करने के लिये जिससे कि उनको सजा दी जा सकती थी, इतना अधिक समय क्यों लगाया है ? इस विलम्ब के क्या कारण हैं ? वह इसके कारण नहीं बता रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नन्दा ने कहा है कि वह इस बारे में बतायेंगे और जांच समाप्त होने पर कारण भी बताये जायेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पिछले छह महीने से हां या नहीं में उत्तर दिया जा रहा है ।

श्री पे० वे० कटासुबय्या : गबन के आरोपों की और जांच करने का आदेश देने से पहले क्या सरकार ने पूरी तरह से यह समाधान कर लिया है कि ऊपरी तौर पर यह गबन का मामला है, और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्योंकि हमें विश्वास हो गया, इस लिए जांच का आदेश दिया गया ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री, श्री हाथी ने श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न के उत्तर में बताया कि भूतपूर्व विधि मंत्री की राय भी ली गई थी और उन्होंने अपनी राय दे दी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व विधि मंत्री की राय, महान्यायवादी की राय से कुछ भिन्न थी, यदि हां, तो किस किस बात में भिन्न थी ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं कह चुका हूं उनकी राय को सभा पटल पर नहीं रखा जा सका ।

श्री दाजी : क्या इन कार्यवाहियों में उस निकाय को गई अखबारी कागज की रद्दी को बेचने के बारे में लगाये गये आरोप भी शामिल हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : वस्तुत : आरोप अखबारी कागज़ की रद्दी के बेचने के बारे में ही है ।

श्री काकोदकर का लापता हो जाना

+

*34.	**श्री क० ना० तिवारी :**	**श्री भानु प्रकाश सिंह :**
	श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :	**श्री श्रीनारायण दास :**
	श्री इन्द्रजीत गुप्त :	**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
	श्री सुबोध हंसदा :	**श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**
	श्री स० चं० सामन्त :	**श्री यशपाल सिंह :**
	श्री भागवत झा आजाद :	**श्री मधु लिमये :**
	श्री म० ला० द्विवेदी :	**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
	श्री प्र० चं० बरुआ :	**श्री बड़े :**
	श्री विश्राम प्रसाद :	**श्री काजरोलकर :**
	श्री बागड़ी :	**श्री किन्दर लाल :**
	डा० राम मनोहर लोहिया :	**श्री विश्वनाथ पांडेय :**
	श्रीमती सावित्री निगम :	**श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया है कि वह गोवा कांग्रेस के प्रधान, श्री काकोदकर के रहस्यपूर्ण ढंग से लापता हो जाने के बारे में जांच करे;

(ख) क्या केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी. हां ।

(ख) केन्द्रीय अभिकरण महाराष्ट्र सरकार को जांच में मदद दे रहे हैं।

(ग) अभी तक जांच पूरी नहीं हुई।

Shri K. N. Tiwary : I would like to know the time by which the enquiry will be completed?

श्री हाथी : इस के लिये कोई निश्चित तिथी बताना संभव नहीं हैं ।

Shri K. N. Tiwary : May I know the authority through which the enquiry is being conducted and whether the representatives of Maharashtra and Mysore Governments are also included in the body constituting the enquiry?

Shri Hathi : Yes, Sir, the enquiry is being conducted by the officials of the Government of Maharashtra, Mysore and the Central Government.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब तक की गई जांच के दौरान क्या इस बातका कोई प्रत्यक्षतः साक्ष्य मिला है जिस से यह प्रतीत हो सके कि श्री काकोदकर जीवीत हैं अथवा नहीं ?

श्री हाथी : अब तक की गई जांच से यह पता चला है कि उन्हें अन्तिम बार 1-1-66 को जुनागढ़ में देखा गया था ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार का ध्यान इस अफवाह की ओर दिलाया गया है कि श्री काकोदकर ने स्वेच्छा से अपने आप को किसी स्थान पर छुपाया हुआ है ? यदि हां, तो यह कहां तक सच है ?

श्री हाथी : जैसाकि मैंने कहा है जांच की जा रही है। अब तक की गई जांच के दौरान हमें बताया गया कि उन्हें विभिन्न स्थानों पर विशेषतः धार्मिक स्थानोंपर जैसाकि वेरावल, सोमनाथ, पोरबन्दर, जामनगर और जुनागढ़ में देखा गया था ।

श्री हेम बरुआ : यदि उन्हें देखा गया था, तो उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : उनका फोटो क्यों नहीं खेंच लिया गया।

श्री हाथी : जब मैं कहता हूं कि उन्हें देखा गया था तो इसका यह अर्थ नहीं है कि पुलिस ने उन्हें देखा था। अन्य व्यक्तियों ने उन्हें देखा था।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या कोई कारण है जिस के आधार पर उस सूचना को गलत समझा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक पुकारा न जाये उन्हें प्रश्न नहीं पूछने चाहियें।

श्री स० चं० सामन्त : क्या गोवा में भी कोई जांच की जा रही है ? यदि हाँ, तो गोवा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री हाथी : जी हां, गोवा में भी जांच की जा रही है। परिणामों का पता जांच पूरी होने पर लगेगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : As a result of the investigation, has the Government come to any conclusion whether Shri Kakodkar has hidden himsel for whether he has been kidnapped or whether he has committed suicide? May I know whether the investigation is being made on definite lines or they are probing in the dark?

Shri Hathi : We are not probing in the dark. The letters and documents recovered show that his mental condition was such that he wanted to lead a solitary life.

Shri M. L. Diwidedi : Shri Kakodkar has disappeared under such circumstances, which may lead to many conclusions as stated by the Minister. I would like to know under what circumstances and on whose request and on what basis the investigation has been started?

Shri Hathi : Firstly we were approached by the Mysore Government. Secondly when the report about his disappearance reached us, the Central Investigation Bureau started investigation.

Shri Vishram Prasad : The hon. Minister has stated that Shri Kakodkar was seen at many places, not by the Police but by some other persons. If he has been seen by other persons, may I know the action taken by police to trace him or catch Shri Kakodkar.

Shri Hathi : The fact is that when the investigation was entrusted to police, his whereabouts were not known. After that one person from Goa went to Somnath and he saw him there. The man who noticed him, did not know that he had disappeared. So the police traced him after that man reached Goa and stated that he had seen him. He was first seen in a Hotel and then in a Dharmasala. The question of catching him does not arise.

Dr. Ram Manohar Lohia : When Central Government and two other Governments have been trying to trace him for more than one and a half week an apprehension has developed in the mind of the people that Government are using delaying tactics in order to conceal Government actions. May I know the action taken by Government to remove this apprehension from the mind of the people?

Shri Hathi : His search is being made. This is the action which is being taken.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, do you think that the Minister has replied my question?

Mr. Speaker : You have started asking questions from me.

Dr. Ram Manohar Lohia : I request you to get my question replied.

Mr. Speaker : I will ask the Minister that his question may be replied in full.

Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : I would like to reply. The fact is that an attempt is being made and we are succeeding in our attempt. He is being followed from one place to another. Therefore, it is wrong to say that we are delaying the matter. It is also not correct to think that we are trying to hide the fact.

श्रीमती सावित्री निगम : उनके परिवार के सदस्यों की क्या राय है? क्या उनकी राय में वह पूरी तैयारी करके तीर्थ यात्रा पर गये हैं?

श्री हाथी : उन पत्रों से, जो उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखे थे ऐसा प्रतीत होता है कि वह खादी आयोग के कार्यों से, कांग्रेस के कार्यों से तथा अन्य सभी कार्यों से निवृत्त होकर गांव में एकांत में जीवन व्यतीत करना चाहते है। उन पत्रों से यही अनुमान लगाया जा सकता है।

Shri Prakash Vir Shastri : The basic question about the disappearance of Shri Kakodkar is related to the merger of Goa and it is on that basis that Mysore Government has requested you to conduct an enquiry. May I know whether Government have arrived at any conclusion in order to avoid such incidents in future?

Shri Nanda : This has also been discussed in Parliament. The matter has not been persued further after that on account of certain special circumstances. Everything would come to the surface at proper time.

Shri Jashpal Singh : May I know the arrangements made for the safety of common man, when Congress President has been kidnapped in such a way?

Mr. Speaker : This question is not relevant.

Shri Hathi : That would be known only after the completion of enquiry.

Mr. Speaker : The Minister should first look toward me and reply only when I allow the question.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister has stated in reply to the question that Shri Kakodkar has been seen at some places in Gujarat. May I know the date on which he was seen? Have any personal talks been held with the members of his family? If so, the reactions of the members of his family?

Shri Hathi : He was seen on lst January, 1966 for the last time.

Mr. Speaker : The hon. member desires to know whether any talks have been held by Police with the members his family.

Shri Hathi : The talks were held before the said date, not after that.

Shri Bade : May I know whether police has furnished any report of this investigation after lst January and whether any investigation has been held after lst January?

Shri Hathi : Investigation has been made and we have also received a report. He has not been traced at any other place.

श्री काजरोलकर : क्या इस प्रकार गुम हो जाने का कोई राजनैतिक कारण तो नही है ?

श्री हाथी : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार का ध्यान मैसूर तथा महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों की परस्पर घृणा की अवांछनीय मुकाबले की भावनाओं की ओर गया है; यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सत्ताधारी राजनीतिज्ञों को अपने गोआ के बारे में भावनाओं के आवेश इस प्रकार के काम न करने की सलाह दी है ? आपत्कालीन स्थिति मे सरकार राज्य सरकारों को इस प्रकार की सलाह दे सकती है कि दुश्मनी की भावनायें नहीं होनी चाहियें ।

श्री नन्दा : यदि एक व्यक्ति अपनी गहरी भावनाएं व्यक्त करता है और दूसरा आश्वासन देता है, तो यह एक बात है । हम चाहते है सब बात ठीक ढंग से की जाये । हमने कोई सलाह नही दी है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थान

+

*35. श्री वारियर :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय की समिति की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मन्त्रिमण्डल के मंत्रियों के बराबर स्थान दिया जाये; और

(ख) उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की बनी हुई इस समिति की ओर किन सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है, और उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये संख्या एल० टी० 5450/66।**]

श्री वारियर : इस समिति का गठन किसने किया था ? क्या सरकार ने किया था और इसकी....

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार ने न्यायाधीशों की समिति का गठन नही किया था।

श्री वारियर : यदि इस का गठन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने किया था तो सरकार ने एक को छोड़कर अन्य सभी सिफारिशों को स्वीकार क्यों नही किया है और द्वारा ऐसा करने के क्या कोई उचित कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कारणों पर यहां चर्चा नही होगी।

श्री विद्याचरण शक्ल : समिति को सिफारिशों के दो भाग ह, एक तो उन के स्थान के बारे में हैं और दूसरे न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों के बारे में है। यह बताया गया पूवर्ता अधि[illegible] उन के स्थान में अब परिवर्तन नही हो सकता क्योंकि इसे अच्छी प्रकार विचार करने के बाद [illegible] गया था। सेवा की शर्तों के बारे में सिफारिशों मुख्य रूप से वित्तीय विषयों की है। इन को [illegible] करना असंभव है।

Shri K. N. Tiwary : The statement shows that it has been recommended that the age of retirement should be raised and certain more travel facilities should be provided. Why these recommendations have not been accepted?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैंने इस विषय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से बात की थी और आगे और भी बात होनी है कि इस विषय में क्या किया जा सकता है। यह सिफारिशें 1963 की है। इस प्रकार यह एक पुरानी बात है। हाल ही में कुछ और बातें हुई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इन सिफारिशों पर बड़े संक्षेप रूप ने विचार किया गया है। इससे न्यायपालिका के मान में कमी हुई है। सरकार से किस स्तर पर इन पर विचार हुआ था ? क्या पूरे मंत्रिमंडल ने इस पर विचार किया था ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं बात से सहमत नही कि इन पर संक्षेप रूप से विचार हुआ था। उनपर गृह-कार्य मंत्री तथा सरकार ने विचार किया था। उनपर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद यह देखा गया कि इनको माना नही जा सकता और वे अस्वीकार कर दो गई थी।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मेरे प्रश्न का उत्तर नही दिया गया। मैंने पूछा था क्या इन पर सरकार ने विचार किया था ?

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने कह दिया कि इस पर गृह-कार्य मंत्री ने विचार किया था तो इसका अर्थ यह है कि इस पर पूरे मंत्रिमंडल ने विचार नहीं किया है।

श्री रंगा : गृह-कार्य मंत्री तथा मंत्रिमंडल एक नहीं है। क्या गृह-कार्य मंत्री ने इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखना आवश्यक नही समझा ? इससे पता चलता है कि मंत्रिमंडल किस प्रकार कार्य कर रहा है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रथम सिफारिश, जो पूर्वता से सम्बन्ध रखती है, के अलावा अन्य सिफारिशें वित्तीय विषयों से सम्बन्ध रखती है। यह सिफारिशें एक ऐसी समिति की थी जिसका भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अनुमोदन किया था। क्या सरकार ने इन पर गम्भीरता से विचार किया था ?

श्री नन्दा : मैंने पहले भी कहा है कि इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ बातचीत कर रहा हूं। और यह देख रहे है कि और क्या किया जा सकता है ?

Shri Madhu Limaye : The judges are sometimes appointed Governors and retired judges are appointed as Ambassadors and ministers. This question pertains to their status and precedence. I want to know whether Government will reconsider this that they are not appointed in above offices after retirement?

Mr. Speaker : This question does not arise here.

Shri Bhagwat Jha Azad : I want to know whether, before arriving at this decision, Government had examined that practice of keeping the rank of Judges of Supreme Court above that of Ministers is prevalent in other countries or not?

Mr. Speaker : It is a separate question.

श्री स० चं० सामन्त : क्या शेष छः मदों पर, समाचार पत्रों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, पुनर्विचार होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस समिति का गठन सरकार ने नहीं किया है, तो इस समिति के सुझावों को सरकार सिफारिशें कैसे मानती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सिफारिशें न्यायाधीशों की समिति ने सरकार को भेजी थीं।

Shri Vishwanath Pandey : The Hon. Minister has said that only item 7 only has been accepted by Government. Keeping in view the rise in prices, may I know whether Government will consider increase in salaries of judges?

Shri Nanda : The recommendations of 1963 have been published in Newspaper. The recent development are to be kept as confidential as judges have written. We will consider over this.

श्री दाजी : पहली सिफारिश यह है कि उच्च न्यायालय की नियुक्ति का प्रस्ताव राष्ट्रपति के सचिवालय से आरंभ हो और गृह-कार्य कार्य मन्त्रालय में नहीं। जैसा कि राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में है। इसमें कोई वित्तीय विषय नहीं है परन्तु न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता की बात है। इस सिफारिश को न मानने के क्या कारण है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बारे में कुछ भ्रम है। वास्तव में नियुक्ति अधिपत्र पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते है और राज्यपाल की नियुक्ति की अधिसूचना संबंधित राज्यसरकार तथा न्यायाधीश के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय जारी करता है। राष्ट्रपति का सचिवालय तो केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। यह ठीक नहीं कि राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं और न्यायाधीशों के नहीं।

यूनेस्को मिशन का दौरा

+

*36. **श्री क० ना० तिवारी :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के केन्द्रों को दी गई सहायता के प्रभाव का पता लगाने के लिए यूनेस्को के एक मूल्यांकन मिशन ने भारत का दौरा किया था,

(ख) मिशन की सिफारिशों में सहायता कार्यक्रम को जारी रखने तथा इसे आगे बढ़ाने का कहां तक समर्थन किया गया है,

(ग) क्या भारत तथा ब्रिटेन सरकारें भारतीय विश्वविद्यालयों के उच्च अध्ययन के केन्द्रों तथा ब्रिटेन की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच सहयोग बनाने के एक कार्यक्रम पर सहमत हो गई है, और

(घ) यदि हां, तो विशेषतया उपकरणों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की सप्लाई के बारे में कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

(क) ब्रिटिश वैज्ञानिकों तथा विद्वानों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों के उच्च अध्ययन के केन्द्रों के दौरे।

(ख) उच्च अध्ययन के केन्द्रों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड का अल्पकालीन दौरा।

(ग) इंग्लैंड की संस्थाओं में भारतीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ तथा अधिछात्रवृत्तियों की व्यवस्था।

(घ) केन्द्रों के लिए आवश्यक कुछ विशेष उपकरणों की सप्लाई।

अब तक ब्रिटेन के 8 विशेषज्ञों ने उच्च अध्ययन के केन्द्रों का निरीक्षण किया है और 9 भारतीय वज्ञानिक तथा विद्वान प्रयोगशालाओं व संस्थाओं को देखने के लिए इंग्लड गए हैं। इस स्तर पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 1965-66 और 1966-67 के दौरान इस कार्यक्रम में कितने वैज्ञानिक विद्वान भाग लग-और न ही यह कहा जा सकता है कि करार के अन्तर्गत उपकरणों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की कितनी सप्लाई होगी।

Shri K. N. Tiwary : This states shows:

(a) Visits by British scientists and scholars to Centres of Advanced study in Indian universities.

(b) Visits of senior personnel of the Centres of Advanced Study to the U.K. for short periods.

I want to know whether this exchange of scholars will be only with England or with other countries also?

श्री मु० क० चागला : यह प्रश्न ब्रिटेन के बारे में है और उनकी सहायता के बारे में मैंने बता दिया है। इसी प्रकार के प्रबन्ध अन्य देशों के साथ भी हैं। जैसे रूस ने भी विशेषज्ञों को उच्च अध्ययन केन्द्रों में भेजा है।

Shri K. N Tiwary : I want to know the amount spent so far and allocated for Indian scholars for going to England for study?

श्री मु० क० चागला : स्थिति इस प्रकार है, 23 विदेशी विशेषज्ञ 1965-66 में 104 जन महीनों के लिये केन्द्रों में आयेंगे और 26 विशेष 1966-67 में 142 जन महीने के लिये जायेंगे। और 24 भारतीय विशेषज्ञ सन् 1966-67 में 159 जन महीने के लिये ब्रिटेन जायेंग। और 1966-67 में 26 विशेषज्ञ 184 जन महीने के लिये ब्रिटेन जायेंग। 40 लाख रुपये के उपकरण, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं 1965-66 में 18 लाख रुपये की, और 1966-67 में 22 लाख रुपये की उपलब्ध की जायगे।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या विद्वानों तथा तकनीशनों के विनिमय के अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थाएं, भी स्थापित करने का कोई विचार है जिस से कि विदेशी विशषज्ञों के आने से लाभ उठाया जा सके?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देखता है कि किस विश्वविद्यालय ने किस विषय में कहाँ तक प्रगति की है। जहां पर एक विशष स्तर प्राप्त हो गया हो, उस विश्वविद्यालय को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने के लिये सहायता दी जाती है। विभिन्न देशों के साथ सहायता प्राप्त करने के समझौते इस लिये किये जाते है उच्च अध्ययन के लिये प्रोफेसरों तथा विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त हो सके।

Shri M. L. Dwivedi : Is there any other Commonwealth country, except England, which has offered collaboration or we have offered help, if so, what is the name of that country and, if not the reasons for not giving help?

श्री मु० क० चागला : अभी तो हमने केवल इंग्लैंड तथा रूस से समझौते किये है। हम अन्य राष्ट्रमंडल देशों के बारे में कोशिश करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इन महानुभावों के विदेशों में जाने और भारतीय विश्वविद्यालयों में जाने के लाभकारी परिणामों का अनुमान लगाया गया है?

श्री मु० क० चागला : बहुत अच्छे परिणाम है। कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया गया है। यनेस्को इसका मूल्यांकन फरवरी में करना चाहता था परन्तु यह स्थगित कर दिया गया है।

हलदिया तेल शोधक कारखाना

+

*37. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री काजरोलकर :
श्री रा० बरुआ :
श्री ब० कु० दास :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में स्थापित किये जाने वाले तेल शोधन कारखाने के लिये कच्चे तेल की सप्लाई का अधिक सस्ता स्रोत ढूंढने में भारत सरकार को सफलता मिली है;

(ख) क्या कच्चे तेल के सम्भरण के लिये अमरीकी तेल कम्पनी सोकोमोबिल ने कोई संशोधित सुझाव देना स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या इस कम्पनी ने इस तेल शोधन कारखाने का विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये ऋण देने का प्रस्ताव किया; और

(घ) क्या सरकार ने इस तेल शोधन कारखाने का इंजीनियरों तथा डिज़ाइन सम्बन्धी सारा काम मेसर्स इंजीनीयर्स इण्डिया लि० को सौंपा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अलगेसन) : (क), (ख) और (ग) : सरकार को दिये गये विभिन्न प्रस्तावों पर बातचीत अभी प्रगतिपर है। अन्य ब्यौरों का विश्लेषण अभी नहीं किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : सहयोग के लिये कौन कौन सी मुख्य पेशकशे मिली है। इनमें से कितने में कम मूल्य पर कच्चे तेल के देने पर और परियोजना के लिय विदेशी मुद्रा की पेशकश भी है ?

श्री इकबाल सिंह : सरकार के पास तीन प्रस्ताव है। अन्य ब्यौरे अभी दिये नहीं जा सकते।

श्रीमती रेणुका बडकटकी : क्या सहयोग के इन प्रस्तावों में हल्दिया में बाद में पैट्रो-रासायनिक कम्पलेक्स स्थापित करने की बात भी है ?

श्री इकबाल सिंह : इस पर भी विचार हो रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार ने राज्य सरकार तथा कलकत्ता बन्दरगाह आयोग को सड़क जैसी अन्य सुविधायें वहां पर देने को कहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : वहां पर पहले ही सड़क बन रही है और राज्य सरकार इस बारे में कार्यवाही कर रही है। रेलवे लाइन भी रेलवे प्रशासन द्वारा बना दी जा रही है।

श्री सुबोध हंसदा : अमरीकी ऑयल कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले कच्चे तेल के मूल्य की तुलना में गुजरात अन्य देश के स्थानों का कच्चे कैसे पड़ता है ?

श्री इकबाल सिंह : जब निर्णय होगा तो सभी बातों पर विचार होगा। इस समय यह बताना कठिन है और यह जानकारी इस समय देना ठीक नहीं होगा।

Shri M. L. Dwivedi : What is the total expenditure involved in this refinery and the quantum of work so far completed.

श्री अलगेशन : अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। अभी लागत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

Shri M. L. Dwivedi : He has not told the estimate.

Mr. Speaker : That he has not.

श्री भागवत झा आजाद : जबकि हल्दिया तेल शोधन कारखाने को चतुर्थ योजना में भी विचार करने के लिये नहीं रखा गया है और स्थगित कर दिया गया है तो क्या सरकार यह नहीं समझती है कि इस विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का यह उचित समय नहीं है ?

श्री अलगेशन : मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य यह अनुमान कैसे लगा रहे हैं। चतुर्थ योजना में इसको शामिल करने के लिये पूरी तरह विचार किया जा रहा है। इसको पृष्ठभूमि में नहीं डाला गयी है जैसा कि माननीय सदस्य समझ रहे हैं।

Shri K. N. Tiwary : Has this entire work been given to M/s. Engineers India Limited or whether some other engineers are also engaged in this work, if so, their names?

Shri Iqbal Singh : Unless the proposals have been finalised the question of M/s. Engineers India Ltd. does not arise.

Shri Onkar Lal Berwa : What are the names of the countries with whom collaborations have been negotiated?

Shri Iqbal Singh : Negotiations regarding collaborations are going on with three countries. *viz.*, Rumania, America and France.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस परियोजना में आज कल के अनुमान के अनुसार कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी और इसको कहां से प्राप्त किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : वह भी एक अनुमान ही है। मैं किसी भी मोटे तरीके से अनुमान नहीं दे सकता। विदेशी मुद्रा का व्यय कुल लागत के 60 प्रतिशत के बराबर होगा और जिन पक्षोंने सहयोग देने के पेशकश की वे विदेशी मुद्रा शेअर द्वारा देंगे अथवा ऋण द्वारा।

Shri D. N. Tiwary : Is it a fact that a decision has been taken to manufacture fertilizer in Haldia part from establishing the oil refinery and that project is being given preference to Barauni?

Shri Iqbal Singh : It is hoped that when Haldia Refinery is completed fertiliser will also be manufactured there.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या हल्दिया को बरौनी पर अधिमान दिया जायेगा !

श्री अलगेशन : हल्दिया को बरौनी पर तरजीह देने की कोई बात नही है। बरौनी में भी हम उर्वरक कारखाना स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। रुसियोंने कुछ वर्षों के बाद इसे करने की पेशकश की है।

Shri Vishwanath Pandey : Has Government conferred with any other Country apart from U.S.A. for the supply of Crude oil?

Shri Iqbal Singh : These proposals have been received from three countries. There are no other parties except those three.

श्री रामसहाय पाण्डेय : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार इन तीन देशों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर रही है। किस देश की शर्तें अनुकूल हैं।

श्री अलगेशन : यह हम नहीं बता सकते।

Shri Yashpal Singh : Is it correct that all the countries have not been consulted and only few countries have been consulted. Countries who could offer more favourable terms have not been consulted.

श्री अलगेशन : हमने प्रस्ताव मांगे थे और ये तीन ही देश हैं जिन्होंने सहयोग की पेशकश की है। किसी देश से पूछने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या संशोधित पेशकशों में जो कि पक्षों द्वारा अब की गई हैं, सरकारने यह मांग की है कि बिक्री और मूल्यों पर उसका नियन्त्रण होगा ? क्या हम यह विश्वास कर सकते हैं कि कम से कम इस मामले में शर्तें पूर्णतया भारत के पक्ष में होंगी और जैसा उर्वरकों के मामले में हुआ था वैसा नहीं होगा ?

श्री अलगेशन : हम निश्चय ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि शर्तें यथा संभव भारत के पक्ष में हों। माननीय सदस्य जानते हैं कि मद्रास तेल शोधन कारखाने के संबंध में क्या किया गया है। हमने वहां सबसे अधिक अनुकूल शर्तें प्राप्त की हैं। इसके मामले में भी हम ऐसा ही करना चाहते हैं।

श्री हेम बरुआ : यह देखते हुए कि आसाम में नये तेल क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है, क्या सरकार इस कच्चे तेल को आसाम क्षेत्रों से साफ करने के लिये प्रस्तावित तेलशोधक कारखाने में पाइप लाइन द्वारा लाने का विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : आसाम से बरौनी तक कच्चे तेल की पाइप लाइन पहले से ही मौजूद है। अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि उस पाइप लाइन को वहां ले जाया जायेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि एक देश ने बहुत अच्छी पेशकश की है और उसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु सरकार यह निर्णय नही कर सकी है कि क्या उसको आधुनिक मशीने या साधारण मशीनें चाहिये और सरकार को यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस देश से कच्चा तेल खरीदेगी ?

श्री इकबाल सिंह : इस बारे में सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। सभी प्रस्तावों के सभी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं। हम उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे जो कि भारत के लिये सबसे अधिक अनुकुल हो।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have the Government assessed our requirement of oil and the extent to which we shall be able to meet our requirement after the commissioning of this refinery? What will be the quantity that will remain surplus? I would also like to know the minimum time likely to be taken in taking a final decision regarding the establishment of the refinery?

Shri Iqbal Singh : It is difficult to state the time likely to be taken but the Government has come to know that in some respects the shortage will be met and in some other respects the shortage will still continue with regard to which we shall be applying our minds.

प्रशासनिक सुधार आयोग

\+
*38. श्री किशन पटनायक :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री लाटन चौधरी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री बसुमतारी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या इसके सदस्यों के नामों, कार्यक्षेत्र तथा कार्यप्रणाली के बारे में जनता को जानकारी दी जायेगी जिससे उनको अमरीका में हुजूर आयोग की तरह विचार करने के लिये अवसर मिल सके; और

(ग) क्या आयोग सभी सेवाओं समेत संघ से जिला स्तर तक की सभी प्रशासनिक समस्याओं पर विचार करेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मं ालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना के बारे में सरकार के प्रस्ताव में, जिसकी एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है, आवश्यक सूचना दी गई है । [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 5451/6ठ**] आशा है कि आधार-सामग्री तथा साक्ष्य एकत्रित करने के लिये आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा ।

Shri Kishan Pattnayak : Has the work of the Commission been impeded because the Chairman of the Commission has demanded for the status of Cabinet for the Commission and the status of the Deputy Prime Minister for himself?

Shri Hathi : He has not demanded for himself the post of the Deputy Prime Minister, but he has, of course, demanded that his status should be sufficiently elevated.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : In connection the question arises that this Commission should have a status as would enable it to function properly. For this all the necessary things have been taken into consideration.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री किशन पटनायकने साधारणसा प्रश्न पूछा था । उनका प्रश्न था कि क्या यह सच है कि जो देरी हुई है उसका कारण यह है कि शासनिक सुधार आयोग के सभापति ने किसी ऊंचे पद की मांग की थी । इसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री नन्दा : आयोग के कृत्यों के संबंध में पद का प्रश्न उठा है ।

Shri Kishen Pattnayak : Has the Government made any policy statement in case it is proposed to bring changes in the Administration.

Shri Hathi : The terms of reference of the Commission are given in the resolution?

Shri K. N. Tiwary : In the Press it has been reported that many of its Members have tendered their resignations and one of the Members has been appointed as a Minister and therefore this Commission will be reconstituted. Is this correct and what are the reasons for the resignation by its Members?

Shri Hathi : One of the members of this Commission has been appointed Minister and for filling that place, action will certainly be taken.

Shri K. N. Tiwary : It has been reported in the Press that Shri Mathur and other Members have resigned, if so, the reasons therefor ?

Shri Nanda : It is wrong.

Shri Hathi : No one has resigned.

Dr. Ram Manohar Lahia : May I know whether this Commission has been appointed for effecting reforms in the Administration or for providing work to those who have not got Ministership in the Government?

Mr. Speaker : Shri Madhu Limaye.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, this is a very serious question. The Minister must reply.

Mr. Speaker : As the question was very serious, I called the other hon. Member.

Dr. Ram Manohar Lohia : You and Government will have to face serious questions.

Mr. Speaker : It is better if the Minister replies in 'yes' or 'no' whatever it is.

Shri Hathi : There is no such thing.

Shri Madhu Limaye : May I know whether this Commission will consider the question of checking the large scale growth of bureaucrats and the increasing disparity between the standards of living of the common people and that of the bureaucrats?

Shri Hathi : In this resolution, the machinery of the Government of India and personnel etc. all thse things have been included.

Shri D. N. Tiwary : What is the position of the Consultative Advisory Committee after the appointment of this Commission? If the Committee continues to function, the way the co-ordination will be achieved between the two bodies?

Shri Hathi : We have called a meeting of that Committee. We shall discuss with the Members of the Committee and afterwards a decision will be taken.

Shri Vishram Prasad : May I know whether the Government had laid down any policy for the selection of Members for this Commission?

Shri Hathi : The names only of the most suitable persons for this job were thought out.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा जनता की शिकायतों को दूर करने के संबंध में पृथक आयोग की नियुक्ति के बारे में गृह मंत्री को मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करना था; यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री नन्दा : मैंने इस विषय को भारत के मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष रखा है और इस पर विचार किया जा रहा है।

Shri M. L. Dwivedi : On behalf of the Government *exparte* statements regarding status have been published in the newspapers, whereas no such thing has been given out by the Commission. May I have a clarification in this regard?

Shri Hathi : Regarding status the hon. Home Minister has already clarified that in the matter of status there is no question of any individual. The status of the Commission should be such as would facilitate its working.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कारेक्कल और कावेरी क्षेत्र में तेल और गैस

39. डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारैक्कल और कावेरी क्षेत्र में हाल में तेल और गैस पाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना भण्डार होने का अनुमान है तथा उसको प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) : कारैक्कल क्षेत्र में तेल और गैस के कुछ चिन्ह पाये गये हैं। क्योंकि ये चिन्ह अभी व्यापारिक महत्व के नहीं हैं अतः इस समय उन संचयों के अनुमान का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु इस क्षेत्र में आगामी अन्वेषी कार्यों को जारी रखा जायेगा।

समवर्ती सूची में शिक्षा

†40. श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वाल्मीकी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचंद्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री, समवर्ती सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में सप्रू समिति की सिफारिश के बारे में 3 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच शेष राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं,

(ख) यदि हां, तो हर राज्य से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है, और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाकी राज्य सरकारों से जवाब मिलने पर सरकार द्वारा अगली कार्रवाही की जाएगी।

उर्वरकों के लिए कोक भट्टी गैस

*41. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री लाटन चौधरी :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री काजरोलकर :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मं ी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने से प्राप्त कोक भट्टी गैस का उपयोग करके उर्वरकों का उत्पादन करने की कोई योजना है;

(ख) क्या यह सच है कि कोरबा के उर्वरक कारखाने के लिये कोक-भट्टी गैस के उपयोग की संभावना के बारे में उन रूसी विशेषज्ञों से, जो भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में भारत आये थे, कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारतीय उर्वरक निगम लि० ने यूरिया के निर्माण के लिए भिलाई इस्पात कारखाने से प्राप्त कोक भट्टी गैस से हाइड्रोजन निकालने का एक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव से कई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुये हैं; जिनपर पूर्ण रूप से फ़ैसला नहीं किया जा सकता जब तक भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार की रूपरेखा पर निर्णय नहीं हो जाता। निगम की रिपोर्ट परीक्षाधीन है।

(ख) इस समय कोकभट्टी गैस के उपयोग द्वारा कौरबा में उर्वरक कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी क्षत्र में घुसपैठिये

*42. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री लाटन चौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री राम हरख यादव :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र०रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद :

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री किशन पटनायक : **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री बसुमतारी :**
श्री मधु लिमये : **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में पाकिस्तानी नागरिकों की घुसपैठ रोकने की विभिन्न योजनाओं को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आसाम सरकार द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वित किये जाने में बाधा-स्वरुप क्या कारण है;

(ग) उनको क्रियान्वित करने में आसाम सरकार द्वारा बताई गई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार क्या सहायता देने का विचार कर रही है;

(घ) क्या आसाम में सभी भारतीय नागरिकों को परिचय-पत्र देने की योजना को स्वीकार किया गया है और यदि हां, तो इन परिचय-पत्रों के कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में इस समय कितने घुसपैठिये होने का अनुमान है ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रति रक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ): पाकिस्तानी नागरिकों को आसाम में घुसपैठ करने से रोकने के लिये जो अनेक योजनाएं विचाराधीन थीं उनमें से कांटेदार तार की बाढ़ लगाने और पहचान-पत्र देने की योजनाएं क्रमशः अव्यावहारिक और अनावश्यक पाई गई। एक मील की पट्टी में से आबादी को निकाल लेने की योजना पर अभी भी विचार हो रहा है। अन्य योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं। राज्य सरकार को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की आवश्यक सहायता दी गई है और अब भी दी जा रही है।

(ङ)	आसाम	लगभग 1,20,000
	त्रिपुरा	लगभग 1,000
	पश्चिम बंगाल	अभी तक वास्तविक संख्या निर्धारित नहीं की जा सकी। फिर भी उन घुस-पैठियों की संख्या 728 थी जिनका पता 10-1-1966 तक लग गया था।

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

*43. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री नारायण रेड्डी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डये :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **शिक्षा** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें की गई हैं, और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, अभी तक नही।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता है।

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग

***44. श्री लाटन चौधरी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग को पुनर्गठित करने तथा उसके कार्यक्षेत्र में सारवान संशोधन करने का निश्चय कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके पुनर्गठन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस आयोग के सदस्य कौन-कौन है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां। आयोग पुनर्गठित किया जा चुका है।

(ख) इसके पुनर्गठन के मुख्य कारण संकल्प के पैरा 1 और 2 में दिए गए हैं। यह संकल्प सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिए, संख्या एल० टी० 5452/66**]

(ग) आयोग के सदस्यों के नाम संकल्प के पैरा 3.1. में दिए गए हैं।

समुद्र तल में तेल के भण्डार

***45. श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बालकृष्णन :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्री बसुमतारी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य और केरल समुद्र तल में कोलरून और कन्या-कुमारी के मुहाने के मध्यवर्ती तट के समुद्र तल में तेल के बहुत बड़े भण्डार हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस तेल को निकालने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भूकम्पीय सर्वेक्षणों ने दो स्थानों पर अनुकूल संरचनाएं बताई हैं। क्योंकि कारोमण्डल तट के साथ साथ अब तक व्यधन कार्यों को नहीं किया गया है, इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि इन संरचनाओं में तेल के संचय हैं। केरला तट का अभी विस्तृत तट-दूर सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Uniform Policy Regarding Universities

***46. Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Shri P. R. Chakravarti :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Narayan Reddy :
Shri Lahtan Chaudhry :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Shree Narayan Das :
Shri D. N. Tiwary :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Linga Reddy :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Ramdulari Sinha :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the Government's views about the proposal of the Chief Minister of Andhra Pradesh that consultations should be held between the Centre and the States for laying down a uniform policy in regard to the relations between the State Governments and the Universities; and

(b) whether his Ministry has evolved any method by which States could maintain uniform relations with the Universities all over the country?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). No such proposal from the Chief Minister of Andhra Pradesh has been received. The Union Education Minister has, however, written to the Chief Ministers of all States advising that a convention should be established that no University legislation should be undertaken and no University Act should be amended without first consulting the U.G.C. and the Central Ministry of Education.

मिट्टी के तेल और डीजल तेल के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता

***47. श्री लिंग रेड्डी :**
श्री मधु लिमये :
श्री विभूति मिश्र :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को डीज़ल, पैट्रोल तथा मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनाने में अब तक सरकार को कहां तक सफलता मिली है ; और

(ख) चौथी पंच-वर्षीय योजना में किन-किन राज्यों में तेल शोधन कारखाने स्थापित किय जाने वाले है तथा उन की अनुमानित लागत कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) मोटर स्पिरट का देशीय उत्पादन मांग की अपेक्षा अधिक है । हाई स्पीड डीज़ल और मिट्टी के तेल की मांग का कुछ हिस्सा अभी भी आयात से पूरा किया जाता है । कोचीन, कोयाली और बरौनी शोधन-शालाओं पर अतिरिक्त शोधन क्षमता के चालू होने पर 1966 में हाई स्पीड डीज़ल में आत्म निर्भरता के प्राप्त होने की आशा है । चौथी पंचवर्षीय योजना में नई शोधन क्षमता की स्थापना होने से मिट्टी के तेल के आयात में उत्तरोत्तर कमी होगी ; लेकिन आगामी कुछ वर्षो तक थोड़ी मात्रा में कमियों के रहने की सम्भावना है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में तीन तेल शोधनशालाओं अर्थात मद्रास शोधनशाला (लगभग 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर), पश्चिमी बंगाल में हल्दिया नामक स्थान पर एक शोधनशाला और दूसरी शोधनशाला उत्तर-पश्चिम भारत में किसी स्थान पर जिसका अभी निर्णय होना है, स्थापित करने का प्रस्ताव है । हल्दिया और उत्तर-पश्चिम भारत में स्थापित की जाने वाली शोधन शालाओं की लागत का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है ।

संयुक्त सलाहकार व्यवस्था

***48. श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त परिषदों में "क्राफ्ट यूनियनों" को प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर सरकार तथा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों में मतभद होने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का गठन करने में गतिरोध उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) इस गतिरोध को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य पंचफैसला योजना के क्रियान्वयन में सरकार तथा कर्मचारी संगठनों के बीच कुछ बातों पर मतभेद है । मतभेद के आधारों में से एक, सेवाहितों की समानता रखने वाली कर्मचारियों की श्रेणियों के आधार पर, कर्मचारी संघों की मान्यता है ।

(ख) किसी फैसले पर पंहुचने के लिये कर्मचारी संघों के साथ और बैठकें करने का विचार है ।

मद्य निषेध

*49. **श्री हेम राज :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री काजरोलकर :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम बरुआ :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दे० जी० नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री किन्दर लाल :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेक चन्द समिति के प्रति वेदन के संबंध में सब राज्य सरकारों की राय प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) कौन कौन से राज्य मद्य-निषेध के पक्ष में नहीं हैं ; तथा इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) देश भर में मद्य-निषेध लागू करने के प्रयोजनार्थ अपनाई जाने वाली नीति के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर दो को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों ने अपने मत भेज दिय हैं।

(ख) अब तक जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनमें किसी भी राज्य सरकार ने यह नहीं कहा है कि वह मद्य निषेध के पक्ष में नहीं है अथवा अध्ययन दल की सिफारिशों बिलकुल विरुद्ध है। कुछ राज्य सरकारों ने कुछ सिफारिशों की क्रियान्विति में कठिनाई प्रकट की है और उनपर विचार किया जा रहा है।

(ग) भविष्य की नीति पर शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

Use of Hindi in Ministry of Home Affairs

***50. Shri Ram Sewak Yadav :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress so far made regarding the use of Hindi in the Ministry of Home Affairs;

(b) the time by which Hindi will be fully introduced in that Ministry;

(c) whether any benefit is given to the Hindi-knowing staff; and

(d) if so, the nature thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla): (a) A statement giving the requisite information is laid on the table of the Sabha.

(b) The Official Languages Act, 1963, provides for the use of both Hindi and the English language for various official purposes of the Union without any time limit. Therefore, the question of introducing the exclusive use of Hindi for the Union official purposes does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Statement

Part (a) of the Question :

Progress made in the actual use of Hindi for various official purposes of the Union in the Ministry of Home Affairs is shown below:—

1. Letters received in Hindi are usually replied in Hindi.
2. Government resolutions are issued both in Hindi and English.
3. Administrative reports and reports to Parliament are published in Hindi also.
4. Out of 112 departmental forms, 94 have been printed in the bilingual form.

5. About 67% of the staff working in the various sections in this Ministry have a working knowledge of Hindi or have been trained in Hindi.

6. Noting in Hindi has been introduced in six selected sections in this Ministry so far.

Civil Defence Force

*51. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Linga Reddy :
Shri Bhagwant Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishram Prasad :
Shri Utiya :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Narayan Reddy :
Shri Himatsingka :
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to strengthen the Civil Defence Force;

(b) if so, whether Government propose to set up a separate Department for that purpose which will be under a Union Minister; and

(c) the main features of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) & (c). Certain proposals to make the Civil Defence measures more effective are under consideration. It will not be in the public interest to disclose the details.

(b) No, Sir.

सीमा सुरक्षा दल

*52. श्री गुलशन :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री राम सेवक यादव : श्री मान सिंह पृ० पटेल :
श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की सीमा पुलिस दलों को अपने नियत्रण में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को 1963 और 1964 के खर्चे का भुगतान किया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी रकम दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 1 दिसम्बर, 1965 से राज्यों के उन सशस्त्र पुलिस दलों को जो भारत-पाक सीमा पर नियुक्त थे, केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीन ले लिया है ताकि एक केन्द्रीकृत सीमा सुरक्षा दल बनाया जा सके और उसी तिथि से उन पर होने वाले सारे खर्चे की जिम्मेदारी भी केन्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले ली है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात पुलिस पर होने वाले व्यय के लिये साहाय्य अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को निम्नलिखित राशियां दी गई हैं :

	1963–64 (आंकड़े लाख रुपयों में)	1964–65
आसाम . . .	9.44	162.30
पंजाब . .	7.50	80.10
राजस्थान . .	..	200.00
पश्चिम बंगाल . .	8.50	4.67

भारत प्रतिरक्षा नियमों की क्रियान्विति का पुनरावलोकन

*53. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री मधु लिमये :
श्री वासुदेवन नायर : श्री किशन पटनायक :
श्री वारियर : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्रभात कार : डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रतिरक्षा नियमों की क्रियान्वितित का कोई पुनरावलोकन किया गया है ;

(ख) भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत इस समय कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं और उन में विधायक कितने हैं ;

(ग) भारत प्रतिरक्षा नियमों की क्रियान्विति के बारे में मुख्य शिकायतें तथा सरकार के निष्कर्ष क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान विशेष रूप से सर्वश्री सीतलवाद तथा सन्थानम द्वारा की गयी कड़ी आलोचना की ओर दिलाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-काय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) तक : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

कलकत्ता के उद्योगपति

***54. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या गृह-कार्य मंत्री 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 अक्तूबर, 1965 को भारत रक्षा नियम के अधीन गिरफ्तार किये गये कलकत्ता के दो उद्योगपतियों के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके घरों से करोड़ों रुपये के ऐसे भारतीय करैन्सी नोट बरामद किये गये हैं जिन्हें पाकिस्तान में छापा गया था ;

(ग) क्या इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) वे भारत रक्षा नियमावली के नियम 30 के अधीन अभी तक नजरबन्द हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है जो, निर्णय लेने के लिये, उपलब्ध सामग्री की अधिक विस्तृत जांच की प्रतीक्षा कर रही है ।

उर्वरकों के मूल्यों और वितरण का विनियंत्रण

***55. श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री लाटन चौधरी :
श्री उटिया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री काजरोलकर :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग में विदेशी गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा पूंजी के निदेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उर्वरकों के मूल्यों तथा वितरणपर से सीमित रूप में नियंत्रण हटा लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में विदेशी उद्यम-कर्ताओं की अब तक क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि जिन उर्वरक परियोजनाओं को 31 मार्च, 1967 तक लाइसेन्स दिये गये है, उन सभी परियोजनाओं को व्यापारिक उत्पादन के आरम्भ से लेकर 7 सालों की अवधि के लिए अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने तथा अपने वितरण की व्यवस्था करने के लिए स्वतन्त्रता होगी; बशर्ते कि सरकार इच्छानुसार बात-चीत द्वारा तय की गई लागत पर उत्पादो का 30 प्रतिशत ले सके ।

(ग) प्रतिक्रियाए अनुकूल हैं ।

राज्यों के मंत्रियों तथा राज्यपालों के बीच परामर्श

***56. श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल में राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें यह सलाह दी गई है कि मुख्य मंत्री तथा मंत्री समय समय पर प्रायः तथा अधिकांश मामलों में राज्यपालों से परामर्श करें ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यपालों ने शिकायत की थी कि राज्यों के मंत्री महत्वपूर्ण मामलों पर उनसे प्रायः परामर्श नहीं करते ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कार्य सम्बन्धी आदर्श नियमों को पुनरीक्षित करने का है और क्या ऐसा विचार है कि मंत्रियों की शक्तियां और घटाकर सभी मामलों में राज्यपालों को अधिक अधिकार हों ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

पंजाब में उपकुलपति की नियुक्ति

***57. श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री 1 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब में किसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में, जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा नौकरी से हटा दिया गया था, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विवरण क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : पंजाब के मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में कहा थी कि उन्होंने कुलपति से, जिनको कि नियुक्ति करने का अधिकार है, मामले में जांच करने के लिये अनुरोध किया था । कुलपति ने जाँच आरम्भ कर दी है परन्तु पंजाब सरकार ने इसके परिणाम के बारे में शिक्षा मंत्रालय को अभी तक सूचना नहीं दी है ।

काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का षड़यंत्र

***58. श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री दे० जी० नायक :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिसम्बर में काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या के षड़यंत्र का, इससे पहले कि उसे कार्यान्वित किया जाता पता लगा लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : घटना के बारे में जम्मू तथा काश्मीर सरकार से और अधिक ब्यौरा प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

4—19 L. S./66

मंत्रियों के लिये नयी आचार संहिता

*59. **श्री मधु लिमये :**
श्री प्र० के० देव :
श्री किशन पटनायक :
श्री कपूर सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मंत्रियों के लिये एक नयी आचरण संहिता तथा विधायकों द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की स्वतंत्र तथा प्रारम्भिक जांच के लिये एक नयी प्रक्रिया पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : सरकार मंत्रियों के लिये नई आचार संहिता बनाने के बारे में विचार नहीं कर रही । मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने की प्रक्रिया के बारे में सरकार का दृष्टिकोण गृह मंत्री न 27-4-1965 को गृह मंत्रालय की मांगों पर बहस के दौरान अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया था । उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री अजीत प्रसाद जैन का त्यागपत्र

*60. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री सेझियान :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री अजीत प्रसाद जैन ने अपने पद पर रहते हुए कांग्रेस दल के चुनाव में सक्रिय भाग लिया था ;

(ख) क्या उनका यह कार्य राज्यपाल के लिये निर्धारित आचार संहिता के अनुरूप था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) : राष्ट्रपति जी को सम्बोधित अपने 17 जनवरी, 1966 के पत्र में श्री अजीत प्रसाद जैन ने कहा था कि जब वे दिल्ली आये थे तब उन्होंने अपने उन मित्रों को कांग्रेस संसदीय दल के नेता के अभी हाल के चुनाव के बारे में राय दी थी जिन्होंने उनसे इस बारे में दिशा-निर्देशन मांगा था । उन्होंने ऐसा महसूस किया कि शायद यह बात राज्यपाल के ऊंचे पद के शिष्ट व्यवहार के अनुरूप न हो । अतः उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया । 21 जनवरी, 1966 को राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें उनके पद से मुक्त करने की व्यवस्था की जा रही थी । किन्तु जब तक यह व्यवस्था न कर ली जाय उन्हें केरल के राज्यपाल के पद पर कार्य करते रहना चाहिये ।

मथुरा में पाये गये प्राचीन स्थल

126. **श्री राम हरख यादव :**

श्री मुरली मनोहर :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक जर्मन भारत शास्त्र वेत्ता को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सोंख तथा राई क्षेत्रों में दो प्राचीन टीलों के स्थलों की खुदाई करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस लाइसेंस की क्या शर्तें हैं ; और

(ग) इस खुदाई पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) (1) खुदाई के दौरान जो वस्तुएं पाई जायेंगी वे राज्य सरकार की सम्पत्ति होंगी ।

(2) खुदाई में जो वस्तुएं पाई जायेंगी उनमें से एक ही प्रकार की पाई जाने वाली दो वस्तुओं में से एक खुदाई करने वाले को एक से अधिक नहीं दी जायेंगी ।

(3) खुदाई करने वाले को खुदाई के दौरान पाई जाने वाली वस्तुओं का फोटो खींचने की आज्ञा होगी परन्तु यदि वह उनको प्रकाशित करना चाहे तो उसे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(4) यदि अनुमति दी गई तो उसे उन प्रकाशनों की कम से कम 10 प्रतियां जिनमें कि इन वस्तुओं के फोटो प्रकाशित किये जायें, राज्य सरकार को देनी होंगी ।

(5) खुदाई की निगरानी के लिये राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी को वहां पर नियुक्त किया जायेगा ।

(ग) चूंकि खर्च खुदाई करने वाला का अपना होगा, भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने कोई अनुमान न तो तैयार ही किया है और न मंगाया है ।

सरकस कलाकारों के लिए प्रशिक्षण

127. **श्री मुरली मनोहर :**

श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सरकस संघ ने सरकार से सरकस कलाकारों के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकस कलाकारों को, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकसों पर से मनोरंजन करों को हटा देने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) मामला राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र में आता है ।

गुरूवयूरपान कालेज, केरल

128. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट ने गुरूवयूरपान कालेज, केरल की कार्य-प्रणाली की जांच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कालेज के प्रिंसिपल ने इसकी कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में शिकायत भेजी है ;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या क्या बातें शामिल हैं ; और

(घ) इस आयोग का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) प्रिंसिपल और प्रबन्धकों ने एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोप लगाये है ।

(घ) आयोग शीघ्र ही अपना कार्य पूरा कर लेगा ।

केरल में मुस्लिम लीगियों की गिरफ्तारी

129. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस आरोप की जांच की है कि केरल में कुछ मुस्लिम लीगियों को राजनैतिक विद्वेष के कारण गिरफ्तार तथा नजरबन्द किया गया है ;

(ख) केरल में अगस्त, 1965 के बाद भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने मुस्लिम लीगी नजरबन्द किये गये ;

(ग) उनमें कितनी स्त्रियां है ;

(घ) क्या इन गिरफ्तारियों पर विरोध प्रकट किया गया है ;

(ङ) क्या इनमें से किसी को परिवार भत्ता दिया गया है ; और

(च) क्या यह सच है कि उन्हें वे सभी सुविधायें, जो अन्य नजरबन्द व्यक्तियों को दी जा रही है, नहीं मिल रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) केरल राजनैतिक विद्वेष के कारण किसी मुस्लिम लीगी को गिरफ्तार नहीं किया गया ।

(ख) अगस्त 1965 के बाद 4 मुस्लिम लीगियों को भारत रक्षा नियम, 1962 के अधीन गिरफ्तार किया गया था । अब उन्हें रिहा कर दिया गया है ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जी नहीं । उनके मामलों पर राज्य सरकार विचार कर रही थी किन्तु कोई निर्णय लिया जा सकने से पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया ।

(च) जी, नहीं । नज़रबन्दों से व्यवहार के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता ।

हल्के डीजल तेल की कमी

130. **श्री शिव चरण माथुर** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर-अक्तूबर, 1965 के महीनों में देश में हल्के डीज़ल तेल की भारी कमी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और इस तेल की सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) राजस्थान और अन्य राज्यों का सितम्बर से दिसम्बर, 1965 तक की अवधि में कितना हल्का डीज़ल तेल दिया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) : 1965 के मौनसून की असफलता के कारण, कुछ राज्यों में उत्थापक (Lift) सिंचाई के ज्यादा बड़े कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया और अचानक ही अक्तूबर 1965 से हल्के डीजल तेल की मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई और उसकी कमी महसूस की जाने लगी । ज्योंहि इस तथ्य का भारत सरकार को पता चला त्योंहि उत्पादन की वृद्धि तथा तदनुसार हल्के डीज़ल तेल की सप्लाई के लिए कदम उठाये गये । इसके परिणाम स्वरूप सितम्बर 1965 में की गई लगभग कुल 71,000 किलो लीटर सप्लाई को दिसम्बर 1965 में लगभग 97,000 किलो लीटर तक बढ़ाया गया और इसलिए, स्थिति में काफी सुधार हुआ है ।

(ग) गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के लिए हल्के डीज़ल तेल की सप्लाई की विशेष रूप से आयोजन और व्यवस्था की गई । इन तीन राज्यों के बारे में विस्तृत सूचना केवल अक्तूबर से लेकर दिसम्बर तक उपलब्ध है । इन राज्यों को सप्लाई की गई मात्राएं निम्न प्रकार है :

मास	राजस्थान	गुजरात	महाराष्ट्र	अन्य राज्यों
	कि० लीटर	कि० लीटर	कि० लिटर	कि० लिटर
अक्तूबर	2034	23440	20082	38976
नवम्बर . .	3528	25847	20688	45149
दिसम्बर . . .	4184	20928	24384	47344

सितम्बर 1965 के लिए इसी प्रकार की तालिका तत्काल उपलब्ध नहीं है ; किन्तु सूचना इकट्ठी की जायेगी और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायगी ।

सामान्य शिक्षा कार्यक्रम

131. **श्री शिव चरण माथुर** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कालिजों के क्या नाम हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) सामान्य शिक्षा सम्बन्धी सलाहकार समिति की सिफारिश पर विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता इन इन प्रयोजनों के लिये दी जाती हैं :—

(एक) जहां पर सामान्य शिक्षा लागू कर दी गई है : पाठ्य सामग्री के इकट्ठा करने और छापने; चर्चा संबंधी बैठकों और सम्मेलनों ; छुट्टियों में वर्कशाप अधिवेशनों ; सामान्य रुचि की पुस्तकों के पुस्तकालय और सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रयोग के लिये अन्य दृष्टि उपकरणों (audio-visual aids) में वृद्धि के लिये ।

(दो) जहां पर सामान्य शिक्षा को लागू करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है : फैकल्टी के सदस्यों द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के दौरों के लिये जहां पर कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम चालू हैं तथा उन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा फैकल्टी के दौरों के लिये और इस समिति द्वारा तैयार की गई योजानाओं पर चर्चा के लिये सामान्य शिक्षा कार्यक्रम और बैठकों की तैयारी के लिये एक समिति के गठन के लिये ।

(ग) राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध तथा उनके अधीन सभी कालिज और जिनमें कि तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है इस योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

भारतीय अभिलेखागार परिषद्

132. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभिलेखागार विषयक विधान सम्बन्धी समिति द्वारा सुझाये गये रूप में भारतीय अभिलेखागार परिषद की स्थापना कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके गठन तथा कृत्यों की वास्तविक रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं । सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में गैस और तेल की सप्लाई

134. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के उद्योगपतियों और व्यापारियों ने स्थानीय उत्पादन से गैर-सरकारी उद्योगों को गैस और तेल की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में मिल कर विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : वर्तमान महीनों में गुजरात से हल्के डीज़ल तेल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये मांगें प्राप्त हुई थी । यह तेल गुजरात शोधन-शाला में पैदा नहीं होता है । इस लिए बम्बई की शोधनशालाओं के उत्पादन से सप्लाई की व्यवस्था की गई ।

प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए गुजरात के कई उद्योगों से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए है । उपलब्ध गैस की मात्रा सीमित होने के कारण आयोग, बिजली-घरों और उर्वरक कारखाने जैसे अग्रता प्राप्त उपभोक्ताओं की पूर्ति करने के बाद केवल कुछ उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होगा ।

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक

135. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य के विश्वविद्यालयों को असम्बद्ध करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये हाल ही में मैसूर में अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या उसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को कम करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया;

(ग) यदि हां, तो उनके बारे में क्या निर्णय किये गये; और

(घ) अन्य किन बातों पर विचार किया गया और उनके बारे में क्या निर्णय किया गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने अपनी वार्षिक बैठक में अन्य विषयों के साथ साथ आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय विधयकों के हाल के संशोधनों पर भी चर्चा की ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बोर्ड ने संकल्प पारित किया कि मामले में और कोई कदम उठाने से पूर्व विभिन्न विश्वविद्यालय अधिनियमों के उपबन्धों और विश्वविद्यालयों की बौद्धिक कार्यकुशलता तथा मान और गरिमा के हानिकारक नये परिवर्तनों का पुनर्विलोकन करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। विश्वविद्यालयों की स्थिति के अनुकूल आजकल की सरकार से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये यह समिति उपाय सुझायेगी ।

बोर्डने यह भी संकल्प किया कि बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और उपसमिति के प्रतिवेदन के आधार पर समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये मार्च के आरम्भ में अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिये ।

(घ) बोर्ड द्वारा जिन अन्य मदों पर चर्चा की गई वे इस प्रकार है :

(एक) विश्वविद्यालयों का गठन तथा कार्य ।

(दो) संस्थानों तथा उपाधियों की मान्यता और समानता ।

(तीन) अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के कृत्य ।

(चार) विश्वविद्यालयों को अनुदान ।

(पांच) भाषा नीति ।

(छः) विश्वविद्यालय में मुकदमे बाज़ी और अनुशासन ।

(सात) शिक्षा पद्धति ।

(आठ) प्राध्यापकों/अध्यापकों की सेवा की शर्ते ।

(नौ) उम्मीदवारों के गैर-सरकारी तौर पर परीक्षाओं में बैठने पर विशेष समिति का प्रतिवेदन ।

(दस) विषय और परीक्षाएं : पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में सुधार ।

(ग्यारह) सैन्य छात्र दल तथा खेल ।

(बारह) अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी मामलें ।

(तेरह) विविध मामले ।

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की कार्यवाहियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

हिन्दी तथा अन्य भाषाओं का प्रचार

136. **श्री सेझियान :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (1) हिन्दी तथा (2) संविधान के आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं के प्रचार तथा विकास के लिए वर्ष 1963–64, 1964–65 तथा 1965–66 में कितनी धनराशि नियत की गई थी और अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :

	स्वीकृत बजट आवंटन	व्यय की गई वास्तविक राशि
1963–64		
	रु०	०
हिन्दी	51,96,000	50,30,683
संस्कृत	9,34,000	12,36,000
अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं . .	11,30,000	6,12,000
1964–65		
हिन्दी	81,86,300	2,44,94,850
संस्कृत	18,04,000	16,80,000
अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं . .	16,00,000	5,67,000
1965–66		
हिन्दी . . .	2,07,42,300	1,70,00,000*
संस्कृत	25,45,000	23,18,000*
अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं . . .	12,00,000	10,00,000*

*प्रत्याशी व्यय के आंकड़े । वास्तविक व्यय के आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही उपलब्ध होंगे ।

मैसूर उच्च न्यायालय का निर्णय

137. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत आज़ाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मैसूर उच्च न्यायालय के 19 दिसम्बर, 1965 के उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिस में मैसूर सरकार के कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमों के कुछ उपबन्ध अनुच्छेद 19 के विरुद्ध घोषित किये गये ;

(ख) क्या इसी प्रकार के उपबन्ध केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमों में विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्णय के अनुसार इनमें रूपभेद करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) : (क) से (ग): मैसूर उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार सरकार ने देखे हैं । मैसूर सरकार से वस्तु-स्थिति का पता लिया जा रहा है और राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर जो भी कार्यवाही जरूरी होगी वह की जायगी ।

Panchayats and Zila Parishads in NEFA

138. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have studied the functions of Bungo and Bangumba, the members of local Panchayats and Zila Parishads respectively in Urvasiam (North East Frontier Agency); and

(b) if so, the time by which the said and the similar organisations will be given legal recognition?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

In May 1964, the Governor of Assam constituted a Committee to consider expansion and development of local self govenment in NEFA. After studying the functions of the existing indigenous tribal institutions all over NEFA, the Committee has made recommendations for the formation of democratic bodies like Gram Panchayats, Anchal Samities and Zila Parishads at the vilage, circle and District levels. These recommendations are now under consideration.

(b) No time limit can be specified.

Trace of Kidnapped Children

139. Shri Bagri:
Shri Vishram Prasad :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishan Pattnayak :
Shri Yashpal Singh :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 17 on the 3rd November, 1965 and state:

(a) whether the police have been successful in tracing out the missing children; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P.S. Naskar) (a) & (b). Despite best efforts made by the Delhi Police no clue of the missing children could be found. The case is being closed as untraced.

तालकटोरा बाग में इंडोअर स्टेडियम

140. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा तालकटोरा बाग में 'इन्डोर स्टेडियम' का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस प्रस्ताव के लिए अनुदान देने के बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई प्रार्थना की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दिल्ली प्रशासननें नई दिल्ली म्युनीसिपल कमेटी से इस परियोजना की लागत का एक तिहाइ देने के लिये अनुदान मांगा है ।

सैनिक कर्मचारियों की सम्पत्ति का विवरण

141. **श्री भागवत झा आझाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को सुझाव दिया है कि इस समय सेना में कार्य कर रहे भूस्वामी सैनिक कर्मचारियों को अपनी सम्पत्ति का ब्योरा देने की अवधि बढ़ाई जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर सक्रिय अपराधी

142. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री लाटन चौधरी :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों राज्यों के सीमा-क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों को पकडने के लिये हाल में संयुक्त कार्यवाही की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त योजना से दोनों राज्यों में अपराधियों तथा डाकुओं की गतिविधियों को रोकने में कहां तक सहायता मिली है; और

(ग) क्या यह संयुक्त योजना अन्य राज्यों में भी संभवतः आरम्भ की जायेगी ?

गृहकार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शें० नास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : आम तौर पर पड़ौसी राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डकैतियों, गैर कानूनी शराब बनाने, तस्करी आदि सम्बन्धित समस्याओं और उनके बारे में संयुक्त रूप से खोज करने के लिये विचार-विमर्श करते हैं ।

पवित्र स्थानों की मरम्मत

143. **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री लाटन चौधरी :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री नारायण रेड्डी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल के पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण में क्षतिग्रस्त पवित्र स्थानों की मरम्मत के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को धन इकट्ठा करने के लिए कहने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ;

(ग) पाकिस्तारी बमबारी से कुल कितने पवित्र स्थान नष्ट हुए; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) स्वयंसेवी संस्थाओं से कहने के बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया, किन्तु जनता के नाम, पूजास्थलों के पुर्ननिमाण के लिये चंदा देने के लिये, एक अपील जारी करने का विचार है ।

(ख) से (घ) : सम्बन्धित राज्य सरकारों से, हानि का और पुर्ननिमाण पर लगने वाली लागत का, अनुमान लगाने का अनुरोध किया गया है । एकत्रित हो जाने पर यह सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन

144. **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री बागड़ी :**
श्री लाटन चौधरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में इलाहाबाद में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) क्या निर्णय किय गये ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अखिल भारतीय शिक्षा संस्था संघ ने इलाहाबाद में इस सम्मेलन को बुलाया था ।

(ख) और (ग) : सरकार को सम्मेलन की कार्यवाहिया अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

गांधी शताब्दी समारोह

145. श्री रामेश्वर टांटिया : श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री हिम्मतसिंहका : श्री नारायण रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समारोह समिति ने विश्व के विभिन्न भागों में महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी का किन देशों में आयोजन किया जायेगा; और

(ग) उनकी सरकार क्या सहायता देगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Pay Scale of Skilled Operators

146. Shri Kishen Pattnayak : Dr. Ram Manohar Lohia :

Shri Madhu Limaye : Shri Bagri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the pay-scales fixed for the skilled operators of the Council of Scientific and Industrial Research by the Pay Commission;

(b) the number of Laboratories in which such pay scales have been introduced;

(c) whether it is a fact that the employees of the National Physical Laboratory have not been given those pay scales as their designation has been changed from skilled operators to operator-trainees; and

(d) if so, the action proposed to be taken in the matter?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) The recommendations of the Pay Commission do not *ipso-facto* apply to the Council of Scientific and Industrial Research which is an autonomous organisation. However, the C.S. I.R. has revised the scale of pay of various posts under the Council in the light of the Pay Commission's recommendations. Accordingly, the scales of pay of Rs. 35-1-40-2-60, 60-5/2-75 and 60-5/2-75-3-105 applicable to the operators of various categories in the Council were revised to Rs. 80-1-85-2-95-EB-3-110, Rs. 110-3-131 and Rs. 110-3-131-4-143-EB-4-155 respectively.

(b) All the National Laboratories/Institutes under the C.S.I.R. where these post exist have adopted the new scales.

(c) & (d). The revised scale of pay of Rs. 80-1-85-2-95-EB-3-110 was also given to those operators in the National Physical Laboratory, New Delhi, who were previously in the scale of pay of Rs. 35-1-40-2-60. However, out of 80 posts

of Operators (Skilled) in this revised scale of pay, 60 posts were redesignated as Operator Trainees (Skilled) without any change in the scale of pay, whereas 20 posts were upgraded as under:—

Designation	No. of posts	Scale of pay
(i) Senior Operators . .	10	Rs. 110-3-131-4-143-EB-4-155.
(ii) Junior Operators . .	10	Rs. 110-3-131.

दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सिविल तथा पुलिस सेवा

147. **श्री शिवचरण माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा पंजाब राज्यों से प्रतिनियुक्त अधिकारी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सिविल तथा पुलिस सेवाओं में रख लिये गये हैं ;

(ख) क्या अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्त अधिकारी उक्त सेवाओं को नहीं अपना सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग): सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

ज्वालामुखी में ड्रिलिंग

148. **श्री हेम बरूआ** :

श्री दलजीत सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में अब तक कितने गहरे कुएं खोदे गये हैं ; और

(ख) उन कुओं की संख्या कितनी है जिन में से तेल अथवा गैस पाई गई है और उनका अनुमानित वाणिज्यिक मूल्य कितना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) एक गहरे कुएं का व्यधन किया गया है और इस समय दो और कुओंका व्यधन हो रहा है ।

(ख) पहले कुंए ने प्राकृतिक गैस की विद्यमानता को सूचित किया किन्तु क्योंकि कुंए का ठीक तरह से परीक्षण नहीं हो सका, इस लिए गैस-शो (Gas-show) के व्यापारिक महत्व का निर्धारण नहीं किया जा सका। दूसरे कुंए में भी प्राकृतिक गैस के चिन्हों का पता चला है किन्तु उस कुंए के पूरे एवं परीक्षण होने के बाद ही उसका महत्व जाना जायेगा ।

Obscene Film Posters

149. **Dr. Ram Manohar Lohia** : **Shri Kishen Pattnayak** :
Shri Bagri : **Shrimati Savitri Nigam** :
Shri Ram Sewak Yadav : **Sari Yashpal Singh** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 327 on the 10th November, 1965 and state the steps taken by Government to ban posters displaying half-naked film photographs?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P.S. Naskar) : As already stated on 10th November, 1965 Government have no such specific proposal under consideration. The general question of amending the law relating to obscenity to make it more effective is, however, still under consideration.

दिल्ली राज्य में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

150. **श्री गुलशन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त और सितम्बर, 1965 में दिल्ली में भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) मुकदमे के बाद अथवा उस से पहले ही कितने व्यक्ति छोड़ दिये गये ; और

(ग) अभी कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 21 ।

(ख) 2 ।

(ग) 13 ।

आसाम के पर्वतीय जिलों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन

151. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका
श्री घूलेश्वर मीना :
श्री रा० बरुआ :
श्री रविंद्र शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पर्वतीय जिल्लों संबंधी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Hindi Teaching to Central Government Employees

152. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the progress made in the programme for teaching Hindi to the employees of the Central Secretariat and whether the number of classes has been increased;

(b) the total number of employees who have completed Hindi training since the beginning of the programme and the number of those who could not learn Hindi;

(c) whether the Hindi classes are now not arranged for those who could not learn Hindi ; and

(d) if so, the reasons thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) The total enrolment has increased from 16,000 in 1959-60 to over 44,000 in 1964-65. The number of Hindi teaching centres and classes has also increased.

(b) Out of 3 lakh Central Government employees who have completed one or more courses, 1·7 lakh employees have passed the prescribed examinations About 2·7 lakh employees have still to be trained.

(c) The facilities under the Hindi Teaching Scheme of this Ministry still continue.

(d) Does not arise.

Increase in Government Staff

153. Shri M. L. Dwivedi : Shri S. C. Samanta :
Shri P. C. Borooah : Shri Subodh Hansda :
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for extraordinary increase in the number of staff and officers in various Ministries and Departments of the Government of India after 1952;

(b) whether a statement showing the number of staff and officers appointed or posted in each department and Ministry after 1962 will be laid on the Table; and

(c) the present number of staff in various Ministries and Departments who have full-time work and those who have part-time work only and the steps being taken to give them full-time work or to reduce their number; and

(d) the number of staff and officers who are surplus or who are performing such duties as may be deferred in view of the Emergency and whether there is any proposal under consideration of the Government to remove them from these Ministries and Departments and assign them some other work?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b). The increase in the number of Government employees is due to expansion of the activities of the welfare State. Information about the number of staff and officers is being collected from the various Ministries and Departments, and a statement will be placed on the Table of the House as soon as complete information is available.

(c) The need for staff is carefully scrutinised before additional staff is sanctioned.

In the work-measurement and organisational studies carried out by the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance and the Department of Administrative Reforms of the Ministry of Home Affairs respectively, when spare capacity is located appropriate number of staff is declared surplus.

(d) Surplus staff is being located through systematic studies which cover the point where activities or jobs become redundant or can be postponed due to emergency or otherwise. A Central Cell to deal with the surplus staff is being set up in the Ministry of Home Affairs, which will assign them to suitable vacancies and, if need be, train them in some other skills such as stenography or accountancy.

Commissions under Government of India

154. **Shri M. L. Dwivedi : Shri S. C. Samanta : Shri P. C. Borooah : Shri Subodh Hansda : Shri Bhagwat Jha Azad :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Commissions functioning under the Government of India and the tenure thereof;

(b) whether the staff and officers of these Commissions have full-time work and, if not, the steps being taken to retrench the staff or to have the assignment of these Commissions finished quickly; and

(c) the details of the expenditure of those Commissions which have submitted their reports by December, 1965?

The Minister of State in the Ministry Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

दुर्गापुर उर्वरक कारखाना

155. **श्री सुबोध हंसदा : श्री म० ला० द्विवेदी : श्री स० चं० सामन्त : श्री प्र० चं० बरूआ : श्री भागवत झा आजाद : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दुर्गापुर उर्वरक कारखाने के लिये अपेक्षित पूरी पूरी विदेशी मुद्रा के लिये इस बीच स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियन और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : अभी नहीं । विदेशी मुद्रा की लागत की व्यवस्था जापान या इटली से प्रदायक ऋण के अन्तर्गत की जा रही है ।

गुजरात के कथाना स्थान में तेल

156. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कथाना स्थान में पहले कुएं में तेल पाया गया है ;

(ख) इस क्षत्र में तेल का पूर्ण निर्धारण करने के लिये अभी और कितने कुएं खोदे जायेंगे ; और

(ग) उस की वाणिज्यिक क्षमता कब तक निर्धारित की जा सकेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, हां ।

(ख) खोदे जाने वाले और कुओं के परिणामों पर यह संख्या निर्भर होगी ।

(ग) जब तक आगामी अन्वेषी व्यधन को हाथ में नहीं लिया जाता है तब तक कोई सूचना नहीं दी जा सकती ।

आसाम की सीमा पर निर्जन पट्टी

157. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती साविद्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने आसाम की सीमा पर एक मील लम्बी पट्टी को बनाने से उत्पन्न होने वाली कठिनाई की ओर ध्यान दिलाया है, क्योंकि इसमें वहां पर बसे हुए लोगों को हटाने तथा उनको पुनः बसाने की समस्या भी शामिल है ;

(ख) क्या भारत सरकार और आसाम सरकार के बीच हुई बातचीत के दौरान सीमा पर कांटेंदार तार लगाने के बारे में विचार करने का भी मुझाव दिया गया था ; और

(ग) आसाम की सीमा पर एक मील लम्बी पटटी बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ग) : राज्य सरकार ने कुछ वैकल्पिक सुझाव दिये है जो विचाराधीन हैं ।

(ख) कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह विचार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है ।

j—19 Lok Sabha/66

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आइल इंडिया लिमिटेड द्वारा छिद्रण-कार्य

158. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड ने अब तक तेल के लगभग 360 कुएं खोदे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने और आयल इण्डिया लिमिटेड ने क्रमशः 34 और 83 गैस के कुएं खोदे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां कहां पर हैं और इन साधनों से प्रति वर्ष औसतन कितनी पैदावार होती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) खोदे गये कुंओं की वास्तविक संख्या 376 है ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड ने क्रमशः 34 और 9 कुंओं का व्यधन किया है ।

(ग) भारतीय रक्षा नियमावली के अन्तर्गत स्थानों को नहीं बताया जा सकता । "प्रतिवर्ष औसतन प्राप्ति" ("Average yield per year") पद का भाव समझ में नहीं आया है । किन्तु इन सारे क्षेत्रों में कुल उत्पादित तेल 2.86 मिलियन मीटरी टन था और कुल गैस 137 मिलियन घन मीटर थी ।

ल्यूब्रिकेटिंग प्लांट, बम्बई

159. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री मधु लिमये :
डा० पू० नां० खां :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार और "एस्सो" कम्पनी के बीच हाल में एक करार हुआ है जिसके अन्तर्गत बम्बई ल्यूब्रिकेटिंग आयल बेस स्टाक रिफाइनरी स्थापित की जायेगी और जो दोनों की मालकियत की होगी ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित रिफाइनरी की क्षमता कितनी होगी और उत्पादों को कैसे बांटा जायेगा ;

(ग) परियोजना पर कितनी लागत आयेगी और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी ; और

(घ) प्रबन्धक बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्लांट प्रतिवर्ष 145,000 टन ल्यूब्रिकेटिंग आयल बेस स्टाक्स तैयार करेगा । इन पदार्थों में भारत सरकार या उस के नामित और एस्सो स्टैंडर्ड इस्टरन् इंक का बराबर भाग होगा ।

(ग) कुल लागत 7.16 करोड़ रुपये है । इस में विदेशी मुद्रा के 4.20 करोड़ रुपये का अंश भी शामिल है ।

(घ) निदेशकों के बोर्ड में 8 निदेशक होंगे जिन में से 4 सरकार द्वारा और 4 एस्सो द्वारा नामित होंगे, इस के अतिरिक्त, अध्यक्ष और वित्तीय निदेशक सरकारी निदेशकों में से होंगे। प्रबन्ध-निदेशक एस्सो द्वारा नामित होगा ।

गंगा के मैदान में तेल

160. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा के मैदान में किन स्थानों में तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण किये गये थे, किये जा रहे हैं अथवा किये जाने वाले हैं ;

(ख) क्या तेल मिलने के रोचक लक्षणों का संकेत मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के छिद्रण कार्य जारी हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्तर-प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के गंगा के मदान के सम्पूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रीय वैमानिक चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है ।

गंगा नदी के उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों के अधिकांश स्थानों में जैसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बहराइच, बाराबांकी, बरेली, बस्ती, देहरादून, फैजाबाद, एटा, गाजीपुर गोरखपुर, हाथरस, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पिल्ली भीत, सहारनपुर, सीतापुर और उन्नाव जिलों तथा बिहार के भागलपुर, चम्पारन, दरभंगा, मूंगेर, मुज़फ्फरपुर और पूरनिया जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के हिस्सों में प्रारम्भिक आकर्षण एंव चुम्बकीय सर्वेक्षण किये गये हैं । उपर्युक्त क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में प्रादेशिक प्रारम्भिक विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किये गये हैं ।

इस समय उत्तर प्रदेश में फैजा बाद जिले के अकबरपुर-टाण्डा क्षेत्र, बहराइच और गोण्डा क्षेत्रों, बिहार में छपरा (सारन) जिले के सीवान क्षेत्र और चम्पारन जिले के बगहा क्षेत्र में प्रारम्भिक आकर्षण एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के मोहन्द क्षेत्र में और पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर जिले के तामलूक क्षेत्र तथा 24 परगना जिला के पोर्ट-केनिंग-बोड़रा एवं भगर-दम-दम क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

उत्तर-प्रदेश और बिहार के गंगा के सम्पूर्ण मैदान में प्रारम्भिक आकर्षण एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्यों को करने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इन सर्वेक्षणों द्वारा अब तक मालूम किये गये दिलचस्प संरचनाओं का गहरे व्यधनों द्वारा परीक्षण किया गया है । इस समय गंगा के मैदान के किसी हिस्से में भी व्यधन कार्य नहीं हो रहा है । पश्चिमी बंगाल में गहरे व्यधन के लिये तैयारियां प्रगति पर हैं ।

होम गार्ड

161. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री हेम बरूआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होम गार्डज की संख्या बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितना अतिरिक्त धन निर्धारित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते ।

वैज्ञानिक सम्मेलन

162. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री उटिया :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओ के वैज्ञानिकों तथा औद्योगिक टैक्नोलौजी विज्ञों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या सम्मेलन ने सरकार को कुछ सिफारिशें दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सम्मेलन के कार्य कारी दलों द्वारा की गई सिफारिशों पर दलों के संयोजकों ने 7 और 8 फरवरी, 1966 को बुलाई गई एक बैठक में विचार किया था। ताकि सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये उपायों को अन्तिम रूप दिया जा सके । उनका प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

मुख्य मंत्रियों की गृह-कार्य मंत्री के साथ मुलाकात

163. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 में भारत के राज्यों के मुख्य मंत्रियों की गृह-कार्य मंत्री के साथ एक मुलाकात हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) इस बैठक में क्या निर्णय किये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

विज्ञान तथा इंजीनियरी में प्रतिभा-शाली व्यक्ति

164. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हेम बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के महा निदेशक द्वारा दिये गये इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि औद्योगिक प्रोद्योगिकी के क्षत्र में 80 प्रतिशत विदेशो विशेषज्ञों के स्थान पर भारत में इस समय उपलब्ध विज्ञान तथा इंजीनियरी वाल प्रतिभाशाली व्यक्तियों को लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने वास्तव में "विदेशी विशेषज्ञता" का हवाला दिया था न कि "विदेशी विशेषज्ञ" का । 22 दिसम्बर, 1965 को आयोजित प्रेस सम्मेलन में महानिदेशक ने कहा था कि अधिकांश उद्योगों के औद्योगिकी विकास के लिए आवश्यक "तकनीकी ज्ञान" का 80 प्रतिशत देश में ही उपलब्ध है और उद्योगों के विकास के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

जगदलपुर के लिये कपडे का कारखाना

165. **श्री बाल्मीकी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री 17 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दण्डकारण्य में पुनर्वास उद्योग निगम के तत्वावधान में जगदलपुर में कपड़े का एक कारखाना लगाने के कार्य में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कपड़े की मील के लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है और भूमि के प्रारंभिक विकास का कार्य हाथ में ले लिया गया है । मशीनरी के लिये दरें मंगवा ली गई हैं और आशा है कि शीघ्र ही मशीनरी के चुनाव के सम्बन्ध में अंतिम रूप दे दिया जायेगा ।

नेफा (उपूसी) सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

166. **श्री बाल्मीकी :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री भानु प्रकाश सिंह : **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री बागडी **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 17 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 814 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) सरकार नें इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : पता चला है कि व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद द्वारा संचालित सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है । परिषद द्वारा तैयार की गई एक प्रारम्भिक रिपोर्ट नेफा प्रशासन को भेज दी गई है और उनके विचार प्राप्त होने पर इसे अंतिम रूप दिया जायेगा ।

सीमान्त क्षेत्रों के लोगों को हथियारों का दिया जाना

167. **श्री भानु प्रकाश सिंह :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री दलजीत सिंह :**
श्री बागड़ी : **श्री कृष्णपाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमान्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाइट मशीनगन तथा अन्य हथियार देने की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : गृह-रक्षी योजना के अधीन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये एक स्कन्ध के निर्माण पर पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जाता रहा है ; और चुने हुए व्यक्तियों को हाथियार देने का काम केवल इस योजना के अंतर्गत ही किया जायेगा । इस योजना के क्रियान्वयन के बाद ही प्रगति की समीक्षा की जा सकेगी ।

कर्मचारी संघों की मान्यता

168. **श्री बाल्मीकी :** **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 17 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परामर्श योजना के लिये कर्मचारियों की संस्थाओं और संघों की मान्यता सम्बन्धी हिदायतों के मसौदे मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिये भेज दिये गये हैं ; और

(ख) क्या ये हिदायतें अन्य प्रयोजनों के लिये भी काम में लाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी तक विचाराधीन है ।

भारत का गजेटियर

169. **श्री बाल्मीकी :** **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री भानु प्रकाश सिंह :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के गज़ेटियर का कोई नवीनतम संस्करण तैयार करके जारी किया गया है;

(ख) क्या नये गज़ेटियर के सभी खण्ड प्रकाशित कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रकाशन सम्बन्धी कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत के गजेटियर का प्रथम खंड "Country and People" प्रकाशित कर दिया गया है ।

(ख) दूसरे खंड का सम्पादन किया जा रहा है । तृतीय और चतुर्थ खंडों के लिये कुछ सामग्री प्राप्त हुई है ।

(ग) भारत के गजेटियर के चारों खंडों के चतुर्थ योजनावधि की समाप्ति से पूर्व ही प्रकाशित होने की आशा है ।

अन्तर्राज्य विवाद

170. **श्री किशन पटनायक :** **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री बागड़ी :**
श्री बाल्मीकी : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री मधु लिमये : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री रामचंद्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या गृह-कार्य मंत्री 17 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 277 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों को निपटाने के लिये कोई सरकारी कार्यप्रणाली बनाने के लिये अब कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : मामला अभी तक विचाराधीन है :

क्लर्कों/असिस्टेंटों की पदालियों में गतिरोध

171. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 717 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय में क्लर्कों तथा असिस्टेंटों की श्रेणियों में गतिरोध के प्रश्न की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) सन 1957 से संयुक्त सचिवों के स्तर पर एक समन्वय-समिति पहले ही मौजूद है जिस पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की सेवा की उन शर्तों तथा परिस्थितियों से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करने का भार है जिनके बारे में उपर्युक्त कर्मचारी परिषदों में फैसला नहीं हो सकता । इस समिति को ऐसे विभिन्न मामलों की जांच करने के लिये कहा जा रहा है जिनके बारे में अभी हाल के कुछ समय में विभिन्न कर्मचारी परिषदों में तथा सेवा संघटनों द्वारा समय-समय पर आंदोलन उठाये गए । इन मामलों में क्लर्कों तथा असिस्टेंटों की श्रेणियों में गतिरोध का प्रश्न भी शामिल है ।

(ख) समन्वय समिति के कार्य की परिभाषा पहले ही की जा चुकी है और वह इस प्रकार की है कि उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं की परिस्थितियों सम्बधी सभी मामले आ जाते है । अतः विधिवत कोई निर्देश-पद आवश्यक नहीं प्रतीत होते ।

(ग) जितनी जल्दी सम्भव होगा ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड के लाभ

172. श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली को आरम्भ से अब तक कुल लाभ क्या हुआ है ;

(ख) क्या सरकार भण्डार के कर्मचारियों पर व्यय कम करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कर्मचारियों को कम करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड को स्थापना 1 जुलाई 1963 को हुई। 30 जून 1964 को समाप्त होने वाले संस्था के प्रथम वर्ष के लाभ की राशि 1,30,300.90 रु० थी । 30-6-1964 को समाप्त होने वाले दूसरे वर्ष के लेखे की जांच हो रही है ।

(ख) और (ग) : जरुरत के मुताबिक कम से कम कर्मचारी नियुक्त किये गए है। फिर भी, बचत के उपाय के रूप में रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार की वार्षिक बैठक

173. **श्री वारियर : डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री यशपाल सिंह : श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बाल्मीकी : श्री किशन पटनायक :
श्री भानु प्रकाश सिंह : श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी : श्री उटिया

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी ण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक वार्षिक सामान्य बैठक करने से छूट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह छूट दिये जाने के क्या कारण है ; और

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक कब होने की सम्भावना है !

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे नास्कर) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्था, लिमिटेड नई दिल्ली, बम्बई सहकारी संस्था अधिनियम, 1925 के उस रूप से नियंत्रित होती है जो दिल्ली में लागू है न कि कम्पनी अधिनियम द्वारा दिल्ली के मुख्यायुक्त ने एक अधिसूचना जारी करके 31 जुलाई 1966 तक के लिये इस संस्था को पहल अधिनियम की कुछ व्यवस्थाओं से छूट दे दी है । इन व्यवस्थाओं में वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने से सम्बन्धित व्यवस्था भी शामिल है ।

पेट्रो-रसायन उद्योग समह

174. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री मधु लिमये :**
श्री लिंग रेड्डी : श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के विकास के लिये कोई भावी योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पैट्रो-रसायनों का उपयोग करने तथा उनके स्थान पर दूसरी वस्तुओं के प्रयोग की गूंजाइश का पूरा अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : जी हां । 1975-76 तक पैट्रो-रसायनों के विकास के लिये एक अस्थाई योजना तैयार की गई है । इस योजना में देश के विभिन्न भागों में नये यूनिटों की स्थापना एवं वर्तमान यूनिटों के विस्तार द्वारा मुख्य पैट्रो-रसायन इण्टर-मीटीयेटस (Intermediates) के उत्पादन के निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करना है ।

मद	एच्छित उत्पादन 1975-76 स्तर तक (प्रति वर्ष '000 मीटरी टन तक में)
1. पौली एथिलीन	240
2. पौली वाइनिल क्लोराइड	240
3. पौली स्टिरीन	80
4. केपरोलकटम	73
5. डी० एम० टी०	60
6. ऐकिलोनाइट्राइल	45
7. वाइनिल एसीटेट	92
8. एथिलीन आक्साइड	35
9. थैलिक-ऐनहाइड्राइड	60

(ग) और (घ) : चौथी योजना के दौरान में जिन पैट्रो-रसायनों का निर्माण प्रस्तावित है, अन्तिम-उपयोग सर्वेक्षण (End Use Survey) किया गया है । यह निर्णय किया गया है कि देश में अपेक्षित प्रक्रिया एवं तान्तक्कि क्षमता को शीघ्र ही स्थापित किया जाए । प्लास्टिक, संश्लिष्ट रेशों, संश्लिष्ट रबड़ और संश्लिष्ट प्रक्षालकों के स्थान पर दूसरी वस्तुओं की सम्भाव्यता को अच्छी तरह मान लिया गया है और यह प्रस्ताव है कि इन सम्भाव्यताओं का आयोजित एवं व्यवस्थित पद्धति से समुपयोजन किया जाए ।

हिन्दी सलाहकार समिति

175. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरूआ : **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 1 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी सलाहकार समिति ने हिन्दी के विकास के लिए अब कोई अग्रेतर सुझाव तथा सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और वे सिफारिशें कहां तक लागू की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) : (क) से (ग) : हिन्दी-भाषी राज्यों में सरकारी कामकाज के लिये हिन्दी के प्रयोग के बारे में उप-समिति की एक बैठक नवम्बर, 1965 में हुई । उसकी सिफ़ारिशों और उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया को बताने वाला एक विवरण संलग्न है । (**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 5453/66।)

विद्यार्थियों के लिये नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण

176. **श्री भानुप्रकाश सिंह :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत चौदह वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को नागरिक सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना है ;

(ख) क्या इस योजना को सभी राज्यों पर लागू करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : क) और (ख): भारत सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों पर स्कूलों के विद्यार्थियों को नागरिक सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षण देने की वांछनीयता पर जोर दिया है । इस संबंध में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाई गई योजना उनकी जानकारी में लाई गई थी और उनसे कहा गया था कि वे अपने राज्यों के स्कूलों के लिये इसी प्रकार की योजनाएं आरम्भ करें ।

(ग) राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया आम तौर पर अनुकूल रही है, उनमें से अधिकांश ने कहा कि दिल्ली योजना की जांच की जा रही है ताकि उसपर उचित कार्यवाही की जा सके ।

इम्फाल में पुल का उड़ाया जाना

177. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री नागा विद्रोहियों द्वारा इम्फाल पुल के उड़ाये जाने सम्बन्धी 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्णय क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : जाच पूरी होने के बाद 12 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग दायर किया गया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

चेथान्नूर के पुलिस इन्स्पेक्टर के विरुद्ध जाँच

178. **श्री भानु प्रकाश सिंह :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री चेथान्नूर के पुलिस इन्सपेक्टर के विरुद्ध जांच के बारे में 8 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार से इस बीच कोई जांच रिपोर्ट मिल गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

चेथान्नूर के पुलिस उप-निरीक्षक के खिलाफ़ क्विलोन के सहायक समाहर्त्ता (ऐसिस्टेंट कलक्टर) द्वारा जाच की गई । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस निरीक्षक के खिलाफ़ अभ्यर्थी पर गिरफ्तारी के दौरान नाजायज़ हमले का मामला प्रथम दृष्टया ही बन जाता है । केरल सरकार ने उनकी इस बात को मंजूर कर लिया है । उक्त उप-निरीक्षक के खिलाफ केरल पुलिस विभागीय जांच, दंड और पुनर्विचार नियमों के अधीन कार्यवाही की जा रही है ।

अंग्रेजी का स्तर

179. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्री हेम बरुआ :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार विश्वविद्यालय में दाखले के लिए "न्यूनतम स्तर" तक अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य करने का है ;

(ख) क्या सरकार को स्कूलों में अंग्रेजी के वर्तमान स्तर की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मानक समिति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित की गई अंग्रेज़ी पुनर्विलोकन समिति ने अन्य बातों के साथ साथ इस बात पर जोर दिया है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से अंग्रेजी लिखने और बोलने के लिये एक निश्चित योग्यता ग्रहण करने के लिये आग्रह करें और हाईस्कूलों में अंग्रेजी के शिक्षण को मज़बूत किया जाये । आयोग ने इन समितियों के प्रतिवेदनों को विश्वविद्यालयों को टिप्पणियों के लिये परिचालित कर दिया है ।

(ख) जी, हां ।

राज्यों में जिलों का पुनर्गठन

180. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में जिलों तथा उपखण्डों आदि के पुनर्गठन की योजनायें विचाराधीन है ;

(ख) क्या मामले में केन्द्रीय सलाह अथवा वित्तीय सहायता मांगी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्रीतथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : यह सूचना राज्य-सरकारों से प्राप्त की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

बिहार में जिलों का पुनर्गठन

181. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने जिलों का तथा सब-डिवीज़नों का पुनर्गठन करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) इस योजना पर कितना अतिरिक्त धन व्यय होगा ;

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया गया था ;

(घ) क्या कोई वित्तीय सहायता मांगी गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सं रण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) : यह सूचना बिहार सरकार से प्राप्त की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

Enticing of Girls

182. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any gang is operating at inter-State level to entice girls for sending them to foreign countries;

(b) whether any arrests have been made in Varanasi, Raxaul and Jhajha in this connection; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) No. Sir,

(b) and (c). Statement is laid on the Table of the Sabha. Four girls disappeared from their houses in Varanasi town on 13th December, 1965 in the company of four persons. They had gone to Jahajha, district Monghyre (Bihar), but before the police party could intercept them, they slipped away to Kathamandu. The police, anyway, succeeded in bringing the girls back. Out of the four accused, one was arrested in Raxual, two at Jhajha and one surrendered himself in a court at Varanasi. It is also alleged that out of the four girls who disappeared from their houses, two were in league with the accused. These two girls have also been arrested. The case is being vigorously investigated by the local police.

अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय

184. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री हेम बरूआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट ने विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् से सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय का नाम बदल कर नेशनल मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा जाय ; और

(ख) क्या मामले में केन्द्रीय सलाह अथवा वित्तीय सहायता मांगी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) यह ज्ञात हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के अनुरोध से विश्वविद्यालय के कोर्टने एक समिति नियुक्त की जिसने यह सुझाव दिया कि उसका नाम राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ रख दिया जाये। कोर्ट ने यह सुझाव मान लिया तथापि इस पर अभी विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने विचार नही किया है।

(ख) इस सुझाव के बारे में सरकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । प्राप्त होने पर इसपर विश्वविद्यालय के लिये दीर्घकालीन विधान करने के संम्बन्ध में इस सुझाव पर भी विचार किया जायेगा ।

आसाम में तेल के क्षेत्र

185. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री लीला धर कटकी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में लकवा, रुद्रसागर तथा दमदमा में तेल के कुछ समृध्द क्षेत्रों का पता चला है ;

(ख) इन क्षेत्रों से वाणिज्यिक आधार पर तेल निकाला जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : जी हां, रूद्रसागर एवं लकवा क्षेत्रों में। दमदमा क्षेत्र में व्यधन अभी प्रगति पर है और वहां पर एक तेल-युक्त संरचना की बाबत बताना अपरिपक्व है ।

(ग) रूद्रसागर और लकवा क्षेत्रों में व्ययन कार्यों को बढ़ाया जा रहा है और रूद्रसागर में परीक्षण उत्पादन के केन्द्रों का निर्माण-कार्य हो रहा है और लकवा में इन केन्द्रों का शीघ्र ही निर्माण होना है। दमदमा क्षत्र में तेल-सम्भाव्यता का निर्धारण करने के लिए और कुंओं के व्यधन का प्रस्ताव है ।

दिल्ली में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की योजना

186. **श्री बागड़ी :** **श्री बाल्मीकी :** **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री भानु प्रकाश सिंह :** **श्री यशपाल सिंह :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से दिल्ली में हिन्दी को एक ऐच्छिक विषय के रूप में लेने वाले छात्रों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना प्रस्तावित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) प्रस्तुत योजना पर कुल कितना वार्षिक खर्च होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

तकनीकी कालेजों में प्रवेश

187. **श्री बागड़ी :** **श्री बाल्मीकी :** **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री यशपाल सिंह :**

क्या शिक्षा मंत्री 24 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 432 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी कालेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में कई अनियमिततायें होती हैं ;

(ख) क्या ऐसी संस्थाओं में दाखले के लिए विद्यार्थियों को कभी कभी काफी धन देना पड़ जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उन संस्थाओं में दाखला विनियमित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : मैसूर के कुछ प्राइवेट इंजीनियरी कालेज दाखिला चाहने वाले विद्यार्थियों से दान-फीस की मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी कालेजों में दाखिले में किसी अनियमितता के संबंध में भारत सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) दान-फीस लेना बंद करने के लिए सरकार इन कालेजों को मनाने की कोशिश कर रही है। इस उद्देश्य कि प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस संबंध में मैसूर राज्य सरकार से विचारविनिमय हो रहा है।

देश में तेल के कुए

188. **श्री राम हरख यादव :** क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल निकालने के लिए भारत में राज्यवार कुल कितने कुएं खोदें गये हैं ;

(ख) इस समय राज्यवार कितने कुओं से तेल मिल रहा है ; और

(ग) कितने कुओं से वास्तव में प्राकृतिक गैस मिल रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) देश में अभी तक खोदे गये कुओं की कुल संख्या राज्य-अनुसार निम्नलिखित है :—

राज्य	खोदे गये कुओं की संख्या
गुजरात	335
असम	1,330
पंजाब	5
उत्तर प्रदेश	3
बिहार	2
राजस्थान	2
पांडीचरी का संघीय प्रदेश	1

(ख) 31-12-1965 तक के तेल उत्पादन करने वाले कुल कुए निम्न-प्रकार थे :—

गुजरात	197
असम	555

(ग) संख्या नीचे दी गई है :—

गुजरात	12
असम	17

इस के अतिरिक्त तेल के सारे कुंओं से सम्मिलित गैस भी निकलती है।

Indian Languages Committee

189. **Shri D. N. Tiwari :**
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the "Indian Languages Committee" has been constituted;

(b) if so, the number and names of the Members of the Committee; and

(c) the terms of reference of the Committee?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c). A statement is enclosed. **[Placed in Library see No. L. T. 5454/66]**

All India Law Teachers' Conference

190. **Shri D. N. Tiwary :**
Shri D. C. Sharma :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Yashpal Singh :
Shri Ram Sewak Yadav
Shri Bagri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an All-India Educational Conference was held on the 30th and 31st December, 1965 under the aegis of the All-India Law Teachers' Association at Ernakulam in Kerala;

(b) whether any suggestions were given for reforming the method of teaching law; and

(c) if so, the nature thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagala): (a) The seventh All India Law Teachers Conference was held on the 30th and 31st December, 1965 at Ernakulam in Kerala.

(b) and (c). A statement is attached.

Statement

1. There should be a uniform nomenclature for law degrees at all Universities in India. The first and the second degrees in law should be called as LL.B. and LL.M. respectively.

2. The successful students should be classified only in two groups, namely, first class and second class.

3. The minimum passing marks in an individual subject should be 40% the minimum marks for passing in second class should be 50% of the aggregate total and the minimum marks for first class should be 60% of the aggregate total for both LL.B. and LL.M. degrees.

4. Graduation in any faculty be recognised as a minimum qualification for admission to a law course. The possibility of introducing an alternative five-year integrated course with a pre-university examination or its equivalent as a minimum qualification for admission should be explored as early as possible.

5. The course for the LL.B. degree should be a three year one. The Bar Council of India is requested that the professional training as required by the Bar Council be incorporated within these three years.

6. The course for the LL.M. degree should be a two year course after the first degree in law.

7. The course leading to the LL.B. degree and LL.M. degree respectively should be treated for all purposes of recognition as a post-graduate course and a postgraduate degree respectively.

8. Matters like the method of instruction, the teacher-pupil ratio, number of students in a class, compulsory and elective subjects to be included for LL.B. course should be left to the Universities concerned for taking appropriate decisions.

Goa

191. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Sinddhanti :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri M. L. Jadhav :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further progress made in regard to ascertaining public opinion on the merger of Goa with Maharashtra or Mysore and Diu and Daman with Gujarat;

(b) whether the Government of Goa have had any correspondence with the Government of India in this connection; and

(c) if so, when the decision is likely to be taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). No decision has yet been taken in the matter.

Integration of Kashmir

192. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Hem Raj :
Shri Linga Reddy :
Shri Daljit Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri C. K. Bhattacharyya :
Shri Gopal Dutt Mengi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the additional Articles of the Indian Constitution which have been made applicable or are being made applicable to the State of Jammu and Kashmir;

(b) whether there is any proposal to replace the Constitution and flag of that State by the Constitution of India and the Flag of India as has been done in the case of the Governor and the Chief Minister; and

(c) If so, when Article 370 of the Constitution is likely to be abrogated?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) An Order by the President under article 370 of the Constitution providing for the modified application to the State of Jammu and Kashmir of the following articles of the Constitution of India for giving effect to the change in the designation of the "Sadar-i-Riyasat" to "Governor" was issued on 24th November, 1965, with the concurrence of the State Government : —

Article 222.

Article 361.

Article 367(4).

Proposals for the application to the State of the following articles of the Constitution either with or without modification are under consideration in consultation with the State Government :

Article 81.

Article 325.

Article 326.

Article 327.

Article 329.

(b) and (c). There is no such proposal under consideration at present.

Obscene Literature

193. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Shree Narayan Das :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the publication of obscene literature and magazines is on the increase;

(b) if so, whether Government propose to take some stringent steps to check it; and

(c) whether it is also a fact that such magazines and literature are being purchased mainly by the younger generation particularly by the boys and girls of schools and colleges?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) :

(a) Some increase in the publication and circulation of obscene literature has come to notice in one or two States.

(b) The State Governments who are empowered to take action under the eixsting law against the publication and circulation of obscene literature are vigilant in the matter. The Government of India have also a proposal under consideration for amending the law relating to obscenity with a view to make it more effective.

(c) It has not come to notice that obscene literature and magazines are being purchased mainly by the younger generation.

Children's Education in Delhi

194. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a survey of schools and colleges in connection with the children's education in the capital; and

(b) if so, the extent of shortage of schools and colleges and the time by which it is likely to be met?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla): (a) & (b). The local bodies concerned make a survey every year before the commencement of the academic session to find out what additional educational facilities are to be provided at the elementary stage and the required provision is made by them.

For the Secondary stage, every year before the commencement of the academic session a detailed survey is made by each zonal education officer to formulate the admission plan within his zone and to provide necessary facilities accordingly for admitting all eligible students.

At the college stage, the problem of additional facilities required has been studied with reference to the students that would be eligible for admission during the year, 1966-67. Demand for more seats is anticipated. The matter is under consideration.

कानपुर में उर्वरक कारखाना

195. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में अब अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां । मैसर्ज़ इण्डियन एक्सप्लोसिब्ज़ लिमिटेड को एक आशय-पत्र भेज दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Script of Gitanjali

197. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattanayak :
Shri Yash Pal Singh :
Shri Bade :
Shri Utiya :
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Government of India have purchased a microfilm ot the original manuscript of 'Gitanjali' from the Harward University; and

(b) if so, the cost and the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) $6.94 equivalent to Rs. 33·03P. The microfilm has been kept in the National Library, Calcutta.

Motor Wheel Stealing Gang

198. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 2117 on the 8th December, 1965 and state :

(a) whether the remaining two members of the motor wheels stealing gang, who were at large, have now been apprehended,

(b) if so, the action taken against them; and

(c) the other stolen articles recovered from them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P.S. Naskar) : (a) No Sir.

(b) & (c). Do not arise.

English in Jiwaji University

199. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Faculty of Arts of the Jiwaji University has sent a suggestion to Government that English should be compulsory only for one year;

(b) whether it is also a fact that it is not considered useful to make English compulsory for three years as a result of which 60 per cent of the B.A. students get plucked;

(c) if so, whether there is any proposal to remove this compulsory condition with a view to make teaching work more effective; and

(d) if not the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b), (c) and (d). Do not arise.

Re-Organisation of Jammu & Kashmir State

200. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwara Nand :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a demand is being made to re-organise Jammu and Kashmir State on linguistic basis and under this scheme Kashmir has been suggested to be made a separate State; and

(b) if so, the reasons therefor and the reaction of the Government of India thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) & (b). No such demand, as distinct from suggestions in the press etc., has been made or considered by the Government.

Text Books in Jammu and Kashmir

202. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Madhu Limaye :
Shri Hem Barua :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 741 on the 8th December, 1965 and state:

(a) whether the Central Government have since collected information from the Jammu and Kashmir Government regarding the text books taught in schools in the State, in which China has been praised; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Jammu & Kashmir have reported that some of the text-books printed and published by the State Education Department did contain certain objectionable material and also some mistakes and wrong information. These books were printed several years back. The State Government of Jammu & Kashmir have ordered a thorough probe to the matter and also taken necessary steps to get all objectionable portions deleted, and mistakes/wrong information corrected.

अशोधित तेल के मूल्यों में कमी

203. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मधु लिमये :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री काजरोलकर :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :
श्री प० ह० भील :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रामसेवक यादव :
श्री बागड़ी :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आयात किये गये अशोधित तेल पर आधारित शोधन कारखाने वाली कुछ तेल कम्पनियों ने अशोधित तेल का मूल्य कम करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से हैं ; और

(ग) मूल्यों में कितनी कमी की गई है और इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में कितनी बचत होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) बर्मा-शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इण्डिया लि०, एस्सो स्टैण्डर्ड इस्टर्न इंक और कालटैक्स (इण्डिया) लि०।

(ग) 1-1-1966 से बर्मा शैल और कालटैक्स कम्पनियां आगा जारी अशोधित तेल पर प्रति बैरल 8 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती देने को सहमत हो गई है। इसी प्रकार एस्सो कम्पनी ने अपने अरेबियन क्रड मिक्स (Arabian Crude mix) पर प्रति बैरल 4 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती देना स्वीकार किया है। इन कटौतियों के परिणाम स्वरूप 1966 के पहले चतुर्थांश में लगभग 27 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने की आशा है।

पोर्ट केनिंग में ड्रिलिंग

204. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के दक्षिण में पोर्ट केनिंग क्षेत्र में ड्रिलिंग में और विलम्ब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) सिब-सागर से व्यधन स्थल को व्यधन रिग की संलग्न संरचनाओं (under-structures) एवं डेरिक (Derrick) के परिवहन में अनभव की गई कठिनाईयां ही देरी का मुख्य कारण हैं ।

गोहाटी तेल शोधन कारखाना

205. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मधु लिमये :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के दौरान गोहाटी तेल शोधन कारखाने का विस्तार करने की योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बर्मा से स्वदेश लौट आने वाले लोगों का पुनर्वास

206. **श्री म० ला० द्विवदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यलमंदा रेड्डी :
श्री हुकमचंद कछवाय :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री 17 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 273 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय ने बर्मा से स्वदेश लौट आये लोगों के पुनर्वास के हेतु कुछ दुकानें आवंटित करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन लोगों को बसाने के लिए कौन-सी वैकल्पिक कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में उन्हें कितनी दुकानें देने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों को दुकानें देने के लिये उपलब्ध नहीं की जा सकती। एक विवरण जिसमें लौटने वालों के पुनर्वास सम्बन्धी किये गये उपायों का विवरण दिया गया है, संलग्न है।

विवरण

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु किये गये उपाय

(1) एक योजना जिसके अनुसार व्यापार करने के लिये प्रत्येक परिवार को 2,000 रुपये तक ऋण दिया जायेगा, मंजूर कर दी गई है।

(2) बर्मा से लौटने वालों के लिये रोजगार सहायता दी जा रही है। इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार के आधीन सेवाओं तथा पदों की नियुक्ति में रोजगार कार्यालय द्वारा बर्मा से लौटने वालों को अग्रता दी गई है।

(3) रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती के लिये 45 वर्ष तक आयु की छूट दे दी गई है ; इसके साथ अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लोगों को आगे 5 वर्ष की छूट दी गई है।

(4) केन्द्रीय सरकार के वे प्रशासनिक मंत्रालय जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक उपक्रमों से हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि उनके आधीन सार्वजनिक उपक्रमों में बर्मा तथा लंका से लौटने वाले लोगों के लिये 25 से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित कर दें।

(5) राज्य सरकारों को कहा गया है कि लौटने वालों को भूमि उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत बसाया जाये जिसके लिये भारत सरकार की सहायता उपलब्ध है।

(6) राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि :

(क) राज्य सरकारों के आधीन पदों तथा सेवाओं में रोजगार सुविधायें देना ;

(ख) वर्तमान परियोजनाओं में रोजगार ;

(ग) शैक्षिक रियायतें ; और

(घ) भूमि आवंटन भवन निर्माण के लिये प्लाटों आदि में तरजीह देना।

(7) हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि बर्मा से लौटने वालों को जिन्हें उद्योग प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया गया है, उचित मामलों में यदि प्रशिक्षणार्थी अपने माता-पिता से अलग रहते हैं तो उन्हें 45 रुपये प्रति मास छात्रावृत्ति दी जाये।

(8) लौटने वालों को उद्योगों में बसाने के लिये कुछ योजनायें जैसे कि, कपड़े के कारखाने, डैरी फ़ार्म तथा पोल्ट्री फ़ार्म और कृषि में बसाने के लिये विचाराधीन है।

(9) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में आयु की छूट तथा परीक्षा शुल्क की छूट भी दे दी गई है।

(10) लौटाने वाले लोगों के हित के लिये राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि यदि किसी राज्य में वृद्धावस्था पैंशन योजना लागू है तो यह योजना लौटने वालों के लिये भी लागू की जाये।

केरल की सब्रिगिरि जल विद्युत परियोजना के कर्मचारियों के लिये राशन

207. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में हड़ताल के दौरान केरल राज्य के सब्रिगिरि जल विद्युत् परियोजना के कार्मिकों को राशन से वंचित रखा गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कटौती पूरी कर दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :
(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में राष्ट्रीय वाणिज्य डिप्लोमा

208. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वाणिज्य डिप्लोमा की परिक्षायें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की बजाय केरल की राज्य सरकार द्वारा कराने का कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा दिया गया डिप्लोमा राष्ट्रीय डिप्लोमा के बराबर ही होगा ; और

(ग) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) तकनीकी शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद ने 1957 में संस्थाओं को संबद्ध बनाने को बंद करने तथा तकनीकी शिक्षा संबंधी राज्य बोर्डों द्वारा परिक्षाओं का आयोजन करने का निर्णय किया था। इस निर्णय के अनुसरण में राज्य शिक्षा बोर्ड, केरल से फरवरी, 1963 में अनुरोध किया गया था कि वह संबद्ध बनाने और राज्य में संस्थाओं के बारे में राष्ट्रीय डिप्लोमा परिक्षाएं आयोजित करने का काम अपने हाथ में ले लें।

(ख) जी, हां।

(ग) फरवरी, 1965 में केरल के विद्यार्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस में अनुरोध किया गया था कि परीक्षाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जायें न कि राज्य बोर्ड द्वारा। विद्यार्थियों का ख्याल था कि राज्य बोर्ड के डिप्लोमा को शायद मान्यता नहीं दी जायेगी। स्थिति शीघ्र ही विद्यार्थियों और राज्य सरकार को समझा दी गई थी। उसके बाद कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल के थाकाजी स्थान पर चोरियां तथा कत्तल

209. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य की थाकाजी पंचायत से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ ह जिसमें 1965 के नवम्बर मास में उस क्षेत्र में चोरी तथा कत्ल की कुछ घनओं की पूरी-पूरी जांच करने की प्रार्थना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) उस का क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में विज्ञान की शिक्षा

210. **श्री वारियर :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री प्रभात कार :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में वैज्ञानिक शिक्षा संबंधी वर्तमान प्रणाली में गम्भीर दोष हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोषों को दूर करने और विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं ; परन्तु विज्ञान के शिक्षण के वर्तमान कार्य-क्रमों की बराबर जांच की जा रही है और उनमें सुधार किया जा रहा है।

(ख) विज्ञान के शिक्षण में सुधार करने के लिये जो उपाय किये गये हैं उनमें विज्ञान के पाठ्य-क्रमों का सुधार, नवीनतम जानकारी वाली नई पाठ्य पुस्तकों का तैयार किया जाना, अध्यापकों के लिये मार्गदर्शन पुस्तकों का तैयार किया जाना, अध्यापक प्रशिक्षण तथा अध्यापन के तरीकों में सुधार, अच्छी प्रयोगशालाओं, अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा राज्यों में विज्ञान संस्थाओं को स्थापित करना शामिल हैं।

बिक्री कर सम्बन्धी कार्यवाही

211. **श्री विश्राम प्रसाद :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी : **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री राम मनोहर लोहिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री सदर बाजार, दिल्ली में बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के बारे में 10 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दूकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शं० नास्कर) : चार दुकानदारों की दुकानों से कब्जे में लिये गए खातों और दस्तावेजों का सम्बन्ध मुख्यतः चालू वर्ष 1965-66 से है। अतः इन दुकानदारों के विरूद्ध कर निर्धारण की कार्यवाहियां वर्ष की समाप्ति के बाद ही शुरु की जायेंगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय

212. **श्री विश्राम प्रसाद :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री बागड़ी :**

डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बड़े :
श्री उटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रा० बरूआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री 10 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने कितनी प्रगति की है ; और

(ख) इस विश्वविद्यालय में शिक्षा कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : विषय अभी विचाराधीन है।

पेट्रो केमिकल कारपोरेशन

213. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 10 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में एक पैट्रोलियम कारपोरेशन स्थापित करने की योजना के बारे में अब अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : मामला अभी विचाराधीन है।

सेवा निवृत्त असैनिक कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाया जाना

214. श्री विश्राम प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं बरूआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा-निवृत्त असैनिक कर्मचारियों को गैर-सरकारी सेवा में फिर से नौकरी देने के बारे में सन्थानम आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो कब निर्णय किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : इस विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई हिदायतों की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये, संख्या एल०टी० 5455/66]**

स्कूलों में हिन्दू धार्मिक शिक्षा

215. श्री राम हरख यादव :
श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 से 12 दिसम्बर, 1965 तक दिल्ली में हुए विश्व हिन्दू धर्म सम्मेलन ने प्राथमिक स्तर से स्कूल पाठ्यक्रम में हिन्दू नैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा शामिल करने के लिय सरकार से आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सरकार को सम्मेलन की सिफारिशों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा तकनीकी संस्थाओं को अनुदान

216. श्री राम हरख यादव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड फाउन्डेशन ने भारत में तकनीकी संस्थाओं को हाल में बहुत बड़ी धनराशियां अनुदान के रूप में दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के विशिष्ट विवरण सहित उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : 1965 के दौरान फोर्ड फाउन्डेशन ने बिरला टेक्नालोजी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी के विकास के लिये 1,450,000 डालर की राशि मंजर की थी।

श्री नेहरू के योगदान के सम्बन्ध में यूनेस्को सम्मेलन

217. **श्री बाल्मीकी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री घूलेश्वर मीना :
श्री बागड़ी :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा मंत्री** 17 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 833 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज के विश्व में, स्वर्गीय श्री नेहरू के योगदान के सम्बन्ध में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक नेताओं का गोल मेज सम्मेलन आयोजित करने में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस बीच इस में भाग लेने वालों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सितम्बर, 1966 के अन्तिम पखवाड़े में नई दिल्ली में गोल मेज सम्मेलन आयोजित करने का विचार है।

(ख) जी नहीं।

फाइल के इधर उधर भेजने पर 50 लाख रुपये का खर्च

218. **श्री काजरोलकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक फाइल विशेष के कारण, जिस को दिल्ली नगर निगम से केन्द्रीय सचिवालय तथा वहां से वापिस लौटने में आठ महीने से भी अधिक समय लगा, नगर निकाय को 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ ;

(ख) यदि हां, तो राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या ऐसे आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिये कर में वृद्धि करनी पड़ेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पू० शं० नास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नामरूप उर्वरक कारखाना

220. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बडकटकी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नामरूप उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) भूमि अर्जन तथा भारवहन करने की कम क्षमता सम्बन्धी जिन कठिनाइयों के कारण कारखाना स्थापित करने में विलम्ब हो रहा है, वह अब कहां तक दूर हो गई है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए परियोजना चालू करने की नई लक्ष्य तिथि क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) असैनिक निर्माण 5-3-65 को आरम्भ किया गया था। सभी बड़े संयंत्रों की इमारतों और बुनियादों का काम 1-12-1966 तक पूरा हो जायेगा।

सल्फेट और गंधक के तेज़ाब के संयंत्रों की बुनियादें लगभग पूरी हैं। एमोनिया और उरिया संयंत्रो में प्रगति कार्यक्रम के अनुसार है।

गंधक के तेज़ाब के संयंत्र में संयंत्रों और उपकरणों का लगाया जाना 1-1-66 को आरम्भ किया गया था और उस कार्य में कार्यक्रम के अनुसार बराबर प्रगति हो रही है। 802 में से 642 क्वार्टर बन गये हैं और शेष क्वार्टरों का निर्माण चालू है। गौण इमारतों और अन्य सेवाओं की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार है।

(ख) भूमि संबंधी सभी कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है। नये कारखाने के स्थान का कब्ज़ा 2-2-65 को ले लिया गया था और कार्य जैसा कि ऊपर बताया गया है अब आगे बढ़ रहा है।

(ग) संयंत्र को चालू करने की पुनरीक्षित लक्ष्य तिथि 1-8-1967 है।

पूना के विद्यार्थियों की शिक्षा

221. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि पूना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से विद्यार्थी अपना अध्ययन छोड़ने के लिए बाध्य हो गये हैं क्योंकि फसलों के न होने के कारण उनके माता पिता उनकी शिक्षा के लिए व्यय नहीं कर सकते हैं ;

(ख) क्या राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति के कारण उस सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वित्तीय सहायता के बारे में कोई अनुरोध मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनका अनुरोध किस सीमा तक स्वीकार किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) इस विषय पर केन्द्रीय सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनता की शिकायतें

223. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई प्रभावशाली संस्था स्थापित करने के लिये अन्तिम रूप से कोई योजना बना ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं है तो इस के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जनता शिकायतों को दूर करने की समस्याओं पर अब प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा विचार किया जायगा।

रीवा की निधियां

224. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मंत्री रीवा के भूतपूर्व शासक का धन भारत में मंगाने के बारे में 17 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 282 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय महाराज गुलाब सिंह द्वारा विदेशी बैंकों में जमा कराये गये धन के बारे में रीवा के वर्तमान शासक के साथ कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस धन का स्थानान्तरण कब तक होने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि ऊपर के (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : रीवा के स्वर्गीय सर गुलाब सिंह के नाम जमा निधियों के, वसूली आदि का खर्च निकालने के बाद भारत सरकार और रीवा के महामहिम महाराज के बीच बराबर-बराबर बटवारे के लिये जनवरी, 1963 में भारत सरकार और रीवा के वर्तमान महाराज के बीच समझौता हो गया। इन निधियों में बैंकों आदि में जमा 19,157 पाउंड की राशियां शामिल थी।

(ग) इन निधियों की वसूली के लिये कदम उठाने गए हैं और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही इन्हें राष्ट्रपति जी के नाम हस्तांतरित कर दिया जायगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में पेट्रो-कैमिकल उद्योग समूह

225. **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के तेल क्षेत्रों के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिये पेट्रो-केमिकल उद्योग समूह एकक स्थापित करने की एक योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : भारत का उर्वरक निगम, फालतू गैस से नाइट्रोजन खाद तैयार करने के लिये नामरूप में एक कारखाना स्थापित कर रहा है। पी० वी० ए० फाइबर, मेथानोल, फोर्मेल्डीहाइड और गन्दा बरोज़ा से फोर्मेल्डीहाइड तैयार करने की भी योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त बरमा आयल कम्पनी, भारत के उर्वरक निगम की सहायता से नाइट्रोजन खाद के अधिक उत्पादन के लिये प्राकृतिक गैस के और अधिक उपयोग पर अध्ययन कर रही है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थानों का कोटा

226. **श्री दलजीत सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1966 को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित अभ्यंशों के अनुरूप पूरी नियुक्तियां कर ली गयी हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सरकार के अधीन उन सभी सेवाओं और पदों में आरक्षण किया जाता है जो सीधी भरती द्वारा भरे जाते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये उन श्रेणी iii और iv के पदों में भी आरक्षण किया जाता है जिन पर नियुक्तियां चयन अथवा विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा उन वर्गों में की जाती हैं जिनमें किसी भी प्रकार की सीधी भरती नहीं होती। ये आरक्षण केवल नई नियुक्तियों के बारे में नहीं लागू होते हैं। भारत सरकार के मंत्रालयों तथा संलग्न कार्यालयों के कुल कर्मचारियों में 1-1-1966 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का अनुपात बताने वाले आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी 1957 से 1963 तक के वर्षों में भारत सरकार के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रगतिशील प्रतिनिधित्व का सूचक एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखीये सख्या एल० टी०** 5456/66।]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी का मुख्य कारण यह है कि इन जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उन सभी पदों के लिये नहीं मिलते जो उनके लिये आरक्षित रखे जाते हैं—खास तौर पर उन पदों के लिये जिन के लिये तकनीकी या विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है।

पंजाब में शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का विस्तार

227. **श्री दलजीत सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को उस राज्य में शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का विस्तार करने हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये नियत की गई रकम में से पेशगी के रूप में कोई वित्तीय सहायता दी है है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है और इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : लड़कियों की शिक्षा, पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण, वयस्क साक्षरता, शैक्षिक सर्वेक्षण और तकनीकी शिक्षा जैसी चौथी पंचवर्षीय आयोजनकी योजनाओं पर अग्रिम कार्रवाई के लिए पंजाब के लिए 3,50,000 रुपये की रकम निर्धारित कर दी गई है।

Hindi in Former Princely States

228. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that before the advent of Independence, princely States in Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh used Hindi language in Devanagari script as their official language;

(b) if so, whether it is also a fact that after their merger in the Indian Union, English language was introduced in their working; and

(c) whether it is also a fact that the people of those princely States are unhappy as a result of the use of the English language in administration?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

आसाम में विदेशियों के चाय बागानों के विरुद्ध जाँच

229. **श्री हेम बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस व्यापक आरोप की ओर दिलाया गया है कि आसाम में विदेशियों के कुछ चाय बागान पाकिस्तान के लिये 'जासूसी के अड्डों' के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस बारे में की गई जांच से कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिससे पता चलता कि आसाम में विदेशियों के कोई चाय-बागान पाकिस्तान के लिये जासूसी में लगे हुए थे।

उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में तेल

230. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री भुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में तेल की खोज करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : बद्रीपाड़ा क्षेत्र में भूवैज्ञानिक जांच की जा चुकी है और बद्रीपाड़ा-वालासोर जिलों में आकर्षण तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण किये जा चुके हैं। कटक-भद्रक-पुरी क्षेत्र में आकर्षण तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण प्रगति पर है।

बद्रीपाड़ा-जालेश्वर क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण से पता लगा है कि पूर्वेक्षण आशाजनक नहीं है ।

कटक-भद्रक-पुरी क्षेत्र में किये जाने वाले सर्वेक्षणों, जो कि इस समय प्रगति पर हैं, का परिणाम कार्य की समाप्ति पर ही जाना जा सकेगा।

7—19 Lok Sabha/66

Migration form Pakistan

231\. **Shri Vishram Prasad :**

Shri Ram Harakh Yadav :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Hindus, Christians and members of other communities who have been driven out of East and West Pakistan after the recent Indo-Pak. hostilities to-date;

(b) the number of those among them who have been rehabilitated so far by Government; and

(c) the amount spent on their rehabilitation so far?

The Minuster of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) Since the lst August, 1965, 11,039 migrants have come from East Pakistan. Community-wise break-up is not available. 3,833 Hindus comprising Sodha Rajputs, Jats, Meghwals, Bhils and Swamis have migrated from West Pakistan into Rajasthan.

(b) & (c). Among the migrants from East Pakistan, those who are eligible for relief and rehabilitation assistance, are being given relief assistance for the present pending arrangements for their permanent rehabilitation. The schemes for the rehabilitation of families who have migrated from West Pakistan are being worked out. It is not possible to indicate at this stage, the amount likely to be spent on their rehabilitation.

मुसलमानों की गिरफतारियां

232\. **श्री मुहम्मद इलियास :**

श्री इन्द्रजीत गुप्ता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश पर पाकिस्तानी आक्रमण के समय कितने मुसलमान गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या आरोप थे ; और

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

मैसूर में मिट्टी के तेल की कमी

233\. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसूर में मिट्टी के तेल की कमी है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि मिट्टी के तेल के दाम असाधारण रूप से बढ़ गये हैं और यह चोर बाजार में बिक रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो मसूर राज्य को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल देने तथा उस में चोरबाजारी समाप्त करने के लिय क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं। हाल के महीनों में मैसूर राज्य को भेजे गये मिट्टी के तेल की सप्लाई 1964 वर्ष में उसी राज्य के औसतन मासिक खच लगभग के बराबर है।

(ख) जी नहीं।

(ग) राज्य में साम्य वितरण करने के लिये कदम उठाने का, और यदि कोई चोर बाज़ारी हो, तो उसे रोकने का काम राज्य सरकार का है। इस बारे में उस राज्य का ध्यान उसके सांविधिक शक्तियों की ओर दिलाया गया है।

Uniform Primary Education

235. **Shri Bagri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are arranging for a uniform pattern of education for the children of the poor and the rich alike up to the 5th class;

(b) whether it is also a fact that all the private educational institutions run specially for the children of modern and upper class people are being closed down; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) A more or less uniform pattern of general education up to class V is already in existence for all children.

(b) No, Sir.

(c) Rigid uniformity of patterns is not considered desirable.

सिंदरी उर्वरक कारखाना

236. **श्री काजरोलकर :**
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंदरी उर्वरक कारखाना घाटे पर चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना वार्षिक घाटा हो रहा है और उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस की पुरानी उत्पादन प्रोद्योगिकी में कोई परिवर्तन किया गया था ; और

(घ) इस का निर्धारित उत्पादन कितना है और उसकी लागत गैर-सरकारी क्षेत्र की कीमत की तुलना में कम है अथवा अधिक ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिंदरी की उत्पादन औद्योगिकी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) प्रारम्भिक निर्धारित वार्षिक क्षमता 117,000 मीटरी टन थी। परन्तु कोक भट्टी गैस और घटियां दर्जे वाली जिप्सम (Gypsum) के कारण, पिछले समय में इस का वास्तविक वार्षिक उत्पादन शायद ही 90,000 मीटरी टन तक बढ़ पाया हो। लीन गैस जनरेटर (Lean Gas Generator) और नेप्था गैस युक्त यूनिट (Nephtha Gasification Unit), जैसे कई आतिरिक्त

उपकरणों की स्थापना से अगले दो या तीन वर्षों में, क्षमता को 1,10,000 मीटरी टन नाइट्रोजन तक बढ़ाया जायेगा। कारखाने के सज्जित उत्पादों (end products) एमोनियम सल्फेट, डब्ल साल्ट और यूरिया हैं जो कि गर-सरकारी क्षेत्र में अभी तक तैयार नहीं किये जाते। उन्हें सरकार द्वारा निश्चित बरकरारी-कीमतों (rentention prices) पर उर्वरक-पूल को बेचा जाता है। अतः गैर-सरकारी क्षत्र की कीमतों के साथ तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रीष्म कालीन स्कूल तथा बहु प्रयोजनीय स्कूल

237. **श्री रा० बरूआ :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रीष्म कालीन स्कूलों तथा बहुप्रयोजनीय स्कूलो को लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें और अधिक संख्या में खोलने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) इन दोनों प्रकार के कितने स्कूल इस समय चल रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन की कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता के सम्बद्ध में कोई मूल्यांकन किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) (एक) इन क्षेत्रों में अध्यापकों के लिये चतुर्थ योजनावधि में विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययनों में लगभग 1,000 ग्रीष्म कालीन स्कूल खोलने का विचार है।

(दो) वर्तमान बहुप्रयोजनीय स्कूलों में विभिन्न पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिये एक केन्द्रीय प्रत्याजित योजना तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ योजना में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिक बहुप्रयोजनीय स्कूलों के खोले जा सकने के लिये राज्य क्षेत्र में बड़ी निधियों का उपबन्ध किया गया है।

(ख) (एक) 1965 में ग्रीष्मकालिन स्कूलों का आयोजन किया गया था।

(दो) जुलाई, 1965 तक बहुप्रयोजनीय स्कूलों की संख्या 3,558 थी।

(ग) ग्रीष्मकालीन स्कूलों तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के कार्य का बराबर पुनर्विलोकन किया जा रहा है। विभिन्न निकायों में उनकी उपयोगिता को स्वीकार किया है। आशा है कि शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में भी इस पहलू पर सिफारिशें की जायेंगी।

उड़ीसा राज्य में सांस्कृतिक केन्द्र

238. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में उड़ीसा राज्य में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना के लिए उक्त राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा राज्य में प्रकाशकों तथा पुस्तक विक्रेताओं को सहायता

239. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66 में उड़ीसा राज्य के सामाजिक शिक्षा, साहित्य तथा नवसाक्षर लोगों के लिये साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक विक्रेताओं को कितनी सहायता दी गई थी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौंदरम रामचंद्रन) : ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई है।

पुनर्वास उद्योग निगम

240. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास निगम द्वारा जिन औद्योगिक सार्थों को ऋण दिये गये थे उन की कितनी राशि 31, जनवरी 1966 को अवशिष्ट थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : एक विवरण जिसमें 31 जनवरी, 1966 तक के ऋण के बकाया तथा व्याज का ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है। [**पस्तकालय में रखा गया। देखीये संख्या एल० टी०-5457/66।**]

दण्डकारण्य छोडकर चले जाने वाले प्रव्रजक

241. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

श्री सुबोध हंसदा :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री भागवत झा आजाद :

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री क० ना० तिवारी :

श्री महेश्वर नायक :

श्रीमती सावित्री निगम :

डा० रानेन सेन :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

श्री च० का० भट्टाचार्य :

श्री मुहम्मद इलियास :

श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हो कर आये हुए कुल कितने परिवार, जिन्हें दण्डकारण्य के पुनर्वास में तथा पश्चिम बंगाल से भिन्न राज्यों में बसाया गया था, वर्ष 1964, 1965 और 1966 में अब तक उन स्थानों को छोड़ कर चले गये हैं, और राज्यवार उन का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन परिवारों के उन स्थानों को छोड़ कर चले जाने के क्या कारण थे तथा वहां से चले जाने के बाद उन का ठोस ठिकाना क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्म में दी गई है :—

पुनर्वास स्थानों को छोड़कर जाना

परिवारों की संख्या

	1964	1965	1966 (आज तक)	योग
त्रिपुरा . . .		..	..	..
नेफा . . .	..	..	..	..
महाराष्ट्र . . .	..	259	..	259
उत्तर प्रदेश . .	25	7		32
मध्य प्रदेश . .	..	..	..	..
बिहार . .	43	30	..	73
आसाम . . .	..	..	..	..
दण्डकारण्य .	159	1,036	81	1,276
आन्ध्र प्रदेश . .	151	73	..	224
उड़ीसा . . .	..	759	6	765
	378	2,164	87	2,629

(ख) मुख्य कारण :—

(क) कुछ परिवार इस कारण छोड़ कर चले गये हैं कि उनके परिवार के अन्य भागों को पहले दूसरे स्थानों में बसाया गया था और वे उनके पास चले गये।

(ख) कुछ क्षेत्रों में अनचाहे तत्वों ने विस्थापितों को अन्य स्थानों पर पुनर्वास की आशायें दिलाईं और कुछ परिवार उनके इस प्रचार के भुलावे में आ गये।

(ग) मजदूर का कार्य करने में अनिच्छा।

(घ) बस्तियों में प्राप्त सुविधाओं के अतिरिक्त उत्तम सुविधाओं की मांग।

(ङ) कृषि भूमि की अलाटमेन्ट का न होना।

छोड़ कर जाने वालों का कोई पता नहीं कि वे कहां गये हैं किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकांश पश्चिम बंगाल में गये हैं।

हिन्दी का प्रचार

242. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य भूमि तथा भारतीय संघ के द्वीपों का ऐसा कितना क्षेत्र है जहां अनपढ़ लोग बसे हुए हैं और जहां सरकार द्वारा अब तक हिन्दी का प्रचार आरम्भ कर दिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : हिन्दी के प्रचार तथा विकास संबंधी कार्य को सभी अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में आरम्भ कर दिया गया है चाहे वह मुख्य भूमि है अथवा द्वीप हैं।

केरल विश्वविद्यालय में अन्तरिक्ष अनुसंधान

243. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय से अन्तरिक्ष अनुसन्धान का पाठ्यक्रम आरम्भ करने के कि । प्रस्ताव की सिफारिश की गई है;

(ख) क्या उक्त विश्वविद्यालय को थुम्बा राकेट लांचिंग स्टेशन से सम्बद्ध किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग): केरल विश्वविद्यालय के उपकुलपति और थुम्बा राकेट लांचिंग प्राजेक्ट के अधिकारियों के बीच विश्वविद्यालय में अन्तरिक्ष अनुसन्धान पाठ्यक्रम चालू करने के प्रश्न पर कुछ प्रारम्भ कि बातचीत हुई है। पाठ्यक्रम चालू करने के लिये अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा यह इस अवस्था पर नहीं बताया जा सकता है।

बेतुल में चीनी का कारखाना

244. **श्री वाडीवा :**
श्री अ० सिं० सहगल :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री चांडक :
श्री लखमू भवानी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री 17 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 785 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों को बसाने के लिये बेतूल में गन्ने की खेती के लिये कृषि योग्य बनायी गयी भूमि में सिंचाई व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव भेज दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना मंजूर हो गई है ;

(ग) क्या वहां पर चीनी का कारखाना स्थापित करने के बारे में निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अभी नहीं।

(ख), (ग) ओर (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में लघु उद्योग

245. **श्री वाडीवा :**
श्री अ० सिं० सहगल :
डा० चन्द्रमान सिंह :
श्री चांडक :
श्री लखमू भवानी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वसन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये 1327 नये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये राज्य में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार को भारत सरकार की स्वीकृति भेज दी गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने 57 छोटे पैमाने के उद्योगों की योजनाएं भेजी हैं जिन में 56 लाख रुपये की लागत पर 2,418 नये विस्थापितों को रोजगार देने की व्यवस्था है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखीए संख्या एल०टी०-5458/66।]**

(ग) योजनाओं की तकनीकी दृष्टि से छानबीन हो रही है।

मध्य प्रदेश जिला गजटियर का हिन्दी में संकलन

246. **श्री वाडीजा :** **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
डा० चन्द्रभान सिंह : **श्री चांडक :**
श्री अ० सि० सहगल :

क्या **शिक्षा** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मध्य प्रदेश भाषा अधिनियम 1957 के अनुसार मध्य प्रदेश जिला गजेटियर का हिन्दी में संकलन करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि भारत सरकार उस प्रकाशन की 40 प्रतिशत लागत देगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की मंजूरी भेज दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी भाषाओं का अध्यापन

247. **श्री मलाइछामी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर 1965 के समाचार पत्र "हिन्दू" में प्रकाशित व्यापार बोर्ड के इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि देश में अरबी, स्पैनिश, रूसी तथा जापानी आदि विदेशी भाषाओं के अध्यापन की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं की शिक्षा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० चागला) : (क) जी, नहीं।

(ख) माध्यमिक स्कूलों में विदेशी भाषाओं में शिक्षा देने का कोई उपबन्ध नहीं है। विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाओं के अध्ययन के विकास के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ अनुदान अनुमादित किये हैं। चुने हुए विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय अध्ययनों से संबंधित कार्यक्रम के भाग के रुप में विदेशी भाषाओं के अध्ययन के विकास के लिये उसने क्षेत्रीय अध्ययनों संबंधी समिति की सिफारिश भी स्वीकार कर ली है।

Degree of Doctor Honoris Causa

248. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of persons upon whom the degree of Doctor Honoris Causa was conferred by the Central Universities since the commencement of the Constitution up to the 31st December, 1965;

(b) the categories to which those persons belonged;

(c) the number of Union and State Ministers among them;

(d) whether any person who held anti-Government views was also among them;

(e) the number of Convocation Addresses delivered in the Central Universities during the above period; and

(f) whether any such person who delivered the Convocation Address was an authority on some subject but held anti Government views ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) 134.

(b) Educationists, Scientists, Scholars, Philosophers, Authors, Social Workers, Poets, Musicians, Visiting Heads of States and other dignitaries from abroad, President of India, Prime Minister of India, Governors and Chief Ministers, Union and State Ministers.

(c) 12.

(d) No such assessment has been made.

(e) 71.

(f) The persons, who are invited to deliver Convocation Addresses, are eminent in their own spheres of acitivites. No assessment is however made of the views held by them about the Government.

Criticism of Indian History

249. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishan Pattnayak :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the UNESCO has brought out any publication on history wherein it has been mentioned that there was no noteworthy existence of Indian poetry or music up to 1200 B.C.

(b) whether the wooden houses of Patliputra have been described in the said book as imitations of China;

(c) whether it is also a fact that prior to the publication of the said book, the Indian representative in this Organisation had also glanced through and approved it; and

(d) the name of the Indian representative on the Organisation?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla): (a) and (b). No specific statements to this effect are traceable in Vol. I of the History of Mankind, Cultural and Scientific Development, which deals with the period in question. A reference on this point is, however, being made to UNESCO under whose auspices the History has been published by an International Commission.

(c) and (d). UNESCO set up in 1951 an International Commission for the preparation and publication of A History of the Scientific and Cultural Development of Mankind, and entrusted to the Commission full responsibility for the preparation and execution of the work. The Commission was originally constituted with 9 members, including one Indian (Dr. Homi Bhaba). But subsequently, further scholars were added to the Commission to enlarge its geographical, cultural and philosophical representation. Prof. R.C. Majumdar became a Vice-President and Sardar K.M. Panikkar a member of the Commission. Prof. R.C. Majumdar, who saw the draft of Vol. I of the History before its publication, pointed out certain inaccuracies and inadequacies regarding the treatment of the pre-historical period of India in Vol. I of the History. These were brought to the notice of the Internationl Commission which communicated them to the author-editors for taking them into consideration while preparating the revised text for publication. The responsibility for the statements made in the History rests with the Commission and not with UNESCO.

Awards to Teachers

250. Dr. Ram Manohar Lohia :

Shri Ram Sewak Yadav :

Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the outline of the scheme regarding national awards to teachers;

(b) the criteria and the procedure for giving the awards;

(c) the procedure and the criteria for scrutiny of examination results, interest taken in games, other items of teaching work, building and development of personality of students; and

(d) whether any complaint has been received in this connection by the Goverment of India?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla): (a) & (b). A brief note is attached. **[Placed in Library, See No. L.T. 5459/66.]**

(c) A copy of the blank application form is also attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 5459/66.]** Scrutiny is done on the basis of the information furnished by the teacher/State Government concerned.

(d) No complaint has been received about the criteria and the procedure adopted for the selection of the teachers for the grant of award.

विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी-गृह

251. **श्री बसुमतारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थी-गृहों की स्थापना के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक लाख रुपये की राशि मंजूर की है;

(ख) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या है, जिन्होंने इन गृहों के लिये अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ग) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जिनकी योजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) विद्यार्थी-गृहों की स्थापना के लिये, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अन्तर्गत, किसी भी विश्वविद्यालय को अधिक से अधिक 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जा सकता है। इस अनुदान का दिया जाना किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त हुए प्रस्तावों, योजनाओं और अनुदानों के स्वरुप, विद्यार्थियों की संख्या तथा पढ़ने के स्थानों आदि जैसी सुविधाओं पर निर्भर करता है।

(ख) अभी तक ऐसे गृहों के लिए 24 विश्वविद्यालयों ने योजनाएं दी हैं जो इस प्रकार हैं; अलीगढ़, आन्ध्र, आन्ध्र प्रदेश कृषि, बनारस, बिहार, गोरखपुर, गुजरात विद्यापीठ, जादवपुर, जीवाजी, करनाटक, मद्रास, मैसूर, उस्मानिया, पंजाब कृषि, पूना, राजस्थान, जामिया मिलिया इसलामिया, काशी विद्यापीठ, मराठवाड़ा, कुरुक्षेत्र, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, इन्दौर, एस० पी० विद्यापीठ और बर्दवान।

(ग) (एक) उसमानिया (दो) करनाटक (तीन) राजस्थान (चार) बनारस (पांच) जीवाजी (छः) एस० बी० विद्यापीठ (सात) इन्दौर।

भूतपूर्व शासकों को निजी थैलियां

252. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व रियासतों के शासकों को दी जाने वाली निजी थैलियों के प्रश्न का पुनरीक्षण कर लिया है ;

(ख) वर्ष 1965 में ऐसे कितने शासकों का निधन हुआ; और

(ग) क्या सरकार ने उनके उत्तराधिकारियों को निजी थैलियां के रूप में दी जाने वाली धनराशि को कम कर दिया है या उन्हें वही धन राशि दी जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) भूतपूर्व भारतीय रियासतों के शासकों को निजी थैलियां देना संविधान के अनुच्छेद 291 के अधीन भारत सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार का इस प्रश्न का पुनरीक्षण करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) दस।

(ग) एक मामले में शासक की स्वीकृति से धनराशि कम की गई है और एक अन्य मामले में कोई निजी थैली नहीं दी जा रही क्योंकि शासक पद समाप्त हो गया है।

वालकाट की गिरफतारी

253. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिह :

श्री राम सेवक यादव :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री कोल्ला वकेय्या :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री राम हरख यादव :
श्री काजरोलकर :
श्री धर्मलिंगम :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेनियल हेली वालकाट नामक एक व्यक्ति को हाल में बम्बई में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वही व्यक्ति है, जो बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर-व्यापारियों के गिरोहों से सम्बन्धित बताया जाता है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी हां, यह वही व्यक्ति है जिसके तस्करी की अनेक कार्यवाहियों से सम्बन्धित होने का विश्वास किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक मामले की जांच की जा रही है।

दिल्ली में यातायात की भीड़

254. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पटरियों तथा सड़कों पर लोग बैठ जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे यातायात में रुकावट बढ़ती है; और

(ग) यदि हां, तो अधिकारी इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग): सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

दिल्ली में कई पटरियों और सड़कों के किनारे पर रेहड़ी वाले और पटरियों के अनधिकृत दुकानदार बैठ जाते हैं। इनके कारण यातायात में रुकावट पैदा होती है।

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका अक्सर इन्हें हटाने के लिये मजिस्ट्रेटों तथा दिल्ली प्रशासन की पुलिस की सहायता से कार्यक्रमों का संगठन करती हैं। दिल्ली प्रशासन इन अवैध बैठने वालों पर मुकदमे चलाता है और दिल्ली में लागू बम्बई पुलिस अधिनियम के अधीन उनके नाजायज़ कब्जे से जगह खाली कराता है। कई मामलों में इन पटरी वालों ने अदालतों से कार्यवाही रोकने के आदेश प्राप्त कर लिये हैं और मामला अदालतों में विचाराधीन है।

इस समस्या के स्थायी निदान के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली नगर निगम ने यह फैसला किया है कि रेहड़ी वालों को नये लायसेंस बिल्कुल न दिये जायें। नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में जो दुकानदार सन् 1957 से अवैध-रूप से बैठे हैं उनको अस्थायी तह-बाजारी परमिट

दिये जाते हैं, और इस प्रकार बैठने वाले लोगों की जांच के बाद उन्हें स्थान देने के लिये एक उप-समिति का गठन किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकार ने लायसेंस शुदा रेहडी वालों के लिये खास इलाके निर्धारित करने के लिये कार्यवाही की है। इन इलाकों में उनके लिये अर्धस्थायी दुकाने बनाई जायेंगी। धोबियों, मोचियों और सब्जी वालों के लिये भी ऐसे ही क्षेत्र निर्धारित करने की दृष्टि से क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

दिल्ली के लिये मद्यनिषेध समिति का प्रतिवेदन

255. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की भूतपूर्व राज्य सरकार ने दिल्ली के लिये मद्य निषेध समिति नियुक्त की थी ;

(ख) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) क्या दिल्ली में भारतीय नागरिकों के लिये पूर्ण रूप से मद्य-निषेध के लागू करने की कोई सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस समिति की सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) दिल्ली में पूर्ण मद्य-निषेध का प्रश्न अखिल भारतीय नीति के साथ संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-5460/66।]**

रूस को शिष्टमंडल

256. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच आदमियों का एक विशेषज्ञ शिष्ट मंडल शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था तथा योजना का अध्ययन करने के लिए रूस गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त शिष्टमंडल ने कोई प्रतिवेदन दिया है ;

(ग) इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) शिक्षा के क्षेत्र में इस यात्रा से भारत को कितनी सहायता मिली है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 1965-66 के लिये भारत-सोवियत सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 जनवरी, 1966 को शिक्षा शास्त्र/प्रशासकों का एक चार सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल लगभग 4 सप्ताह के लिये उस देश की शिक्षा पद्धति का अध्ययन करने के लिये रूस के लिये रवाना हुआ था।

पांचवां सदस्य प्रतिनिधि मंडल में शामिल नहीं हो सका।

(ख) अभी नहीं।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न इस समय नहीं उठते।

एक समान जेल नियम

257. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सुरक्षा नियम, 1962 के अन्तर्गत नजरबन्द राजनैतिक कैदियों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राज्यों में जेल नियम भिन्न-भिन्न है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या भारत सरकार सारे देश में राजनैतिक नजरबन्द व्यक्तियों के लिये एक समान जेल नियम लागू करने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो जेल नियमों में ऐसी एकरूपता कब तक लायी जा सकेगी तथा उन्हें कब तक लागू करने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सुरक्षा बन्दियों का नियंत्रण करने वाली राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा बनाये गए नियमों में, स्थानीय परिस्थितियों के कारण, कुछ अंतर हैं।

(ग) और (घ) : सरकार के सामने सारे भारत में एक से जेल नियम लागू करने का कोई विचार नहीं है। फिर भी, नजरबन्दों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा छूटों के बारे में एक सा दृष्टिकोण रखने और वर्तमान अंतरों को, सुरक्षा तथा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अधिक से अधिक जहां तक हो सके कम करने की चेष्टा जारी रखी जा रही है।

त्रिपुरा में आए विस्थापित व्यक्ति

258. **श्री दशरथ देव :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व पाकिस्तान से आये हुए ऐसे कितने विस्थापित परिवार हैं जो पुनर्वास के लिये अभी तक त्रिपुरा में रुके हुए हैं ;

(ख) वर्ष 1965-66 में अब तक पुनर्वास के लिए कितने परिवारों को त्रिपुरा से बाहर भेजा गया ; और

(ग) त्रिपुरा में इस समय जो विस्थापित परिवार शिबिरों में रह रहे हैं, उन्हें पुनर्वास के लिये कब तक त्रिपुरा से बाहर भेज दिया जायेगा।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 525।

(ख) 367।

(ग) 29 परिवार जो अन्य राज्यों में भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आशा है उन्हें शीघ्र ही बिहार में पुनर्वास के लिये भेज दिया जायेगा।

राष्ट्रीय विकास दल के 200 परिवार तब तक शिविरों में ही रहेंगे जब तक सम्बन्धित सहकारियों को राष्ट्रीय विकास दल से उन्मुक्त नहीं किया जाता। 296 परिवार जो दीर्घकालीन दायित्व श्रेणी के हैं उन्हें त्रिपुरा के ही पी० एल० होम में बसाया जायेगा जहां कि उपयुक्त व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अमरीकी छात्रवृत्ति

259. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जादबपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के रेक्टर, डा० त्रिगुण सेन को अमरीका में अध्ययन करने के हेतु किसी अमरीकी संस्थाने छात्रवृत्ति देने की पेशकश की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि डा० त्रिगुण सेन ने उस प्रस्ताव को पहले तो स्वीकार कर लिया था, किन्तु अन्ततोगत्वा उन्हें अमरीका जाने से इन्कार कर देना पड़ा ; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने किन कारणों से वहां जाने से इन्कार किया ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) डा० त्रिगुण सेन को किसी अमरीकी संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी, परन्तु 21–25 जून, 1965 तक शिकागो में हुए इंजीनियरी शिक्षा के विश्व सम्मेलन में भाग लेने और उस देश में संस्थान का दौरा करने के लिये अमरीकी सरकारने उनको निमन्त्रित किया था।

(ख) और (ग) : डा० सेन ने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया था, परन्तु बाद में इस दौरे के संबंध में लगाई गई कुछ शर्तों के कारण उन्होंने दौरा न करने का निर्णय किया।

भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय

260. **श्री बासप्पा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय ने थाईलैण्ड के शिक्षा मंत्री को हाल में बैंकाक में हड़प्पा-कला के प्लास्टर पर बनाये गये 20 नमूनों का एक 'सेट' भेंट में प्रदान किया।

(ख) क्या उक्त सेट के बदले उन्होंने भी कुछ वस्तुएं उपहारस्वरूप दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन्होंने संग्रहालय सम्बन्धी क्या वस्तुएं दी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 'मोटिव टेबलेट' की 26 वस्तुएं तथा 'प्ले', 'टेरा-कोटा' और 'लेड' की अन्य वस्तुएं।

Language Teachers in Kerala

261. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of language teachers engaged in High Schools in Kerala at present;

(b) the respective number of those among them who have been employed for teaching by departmental schools, Municipal Corporation, educational institutions and private educational agencies;

(c) the numberof degree holders, Graduate and Post-graduate language teachers among them;

(d) the number of those Graduate and Post-graduate language teachers who had joined service after obtaining the degree and the number of those who obtained it afterwards; and

(e) the number of Post-graduate teachers in other subjects and the number of those out of them who have passed Post-graduate examinations during their Service?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the table of the House.

अध्यापकों का न्यूनतम वेतन

262. **श्री जं० ब० सि० बिष्ट :**

श्री दी० चं० शर्मा :

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.:

(क) क्या सरकार ने राज्यों से अध्यापकों को 100 रुपये न्यूनतम वेतन देने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) केन्द्र का किस हद तक राज्यों को सहायता देने का विचार है ताकि वे अध्यापकों के लिए न्यूनतम वेतन-क्रम लागू कर सकें ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री बी० जी० मेहता का स्मारक

263. **श्री रामपुरे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री बी० जी० मेहता के सम्मान में एक स्मारक बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

केरल के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु

264. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक विभाग में जिला न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केरल सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) केरल में वर्तमान उद्घोषणा का निर्णय होने तक कितने जिला-न्यायाधीश सेवा-निवृत्त हो जायेंगे ;

(ग) क्या भूतपूर्व मंत्रिमंडल द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था और इसे अस्वीकार कर दिया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय पर अब पुर्नविचार किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बनिय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अपर्याप्त महंगाई भत्ता दिये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

अपर्याप्त महंगाई भत्ता दिये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के पच्चीस लाख कर्मचारियों में व्याप्त भारी असन्तोष है ।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है जब कभी श्रमिक वर्ग के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में 12 महीने में औसतन 10 अंको की वृद्धि हो जाती है, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दरो पर फिर से विचार किया जाता है। इस आधार पर, अभी हाल में महंगाई भत्ते की दरों में 1 दिसम्बर, 1965 से, जब सूचक अंक का औसत 165 से बढ़ गया था, वृद्धि की गयी थी ।

2. इस अवसर पर जो वास्तविक वृद्धि की गयी, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

110 रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी .	33 रुपये से 38 रुपये
110 से 149 रुपये मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारी .	50 रुपये से 58 रुपये
150 से 209 रुपये मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारी .	65 रुपये से 76 रुपये
210 से 399 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी .	81 रुपये से 93 रुपये
400 से 1000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी 1100 रुपये तक सीमान्तक हेरफेर के साथ . .	90 रुपये से 100 रुपये

3. मूल्यों के सूचक अंक में 155 से 165 तक जो वृद्धि हुई है, वह, महंगाई भत्तों में की गयी उपर्युक्त वृद्धियों से, सब से नीचे की तीन श्रेणीयों के कर्मचारियों के मामले में लगभग 75 प्रतिशत तक प्रभावहीन हो गयी है और उससे ऊपर की श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में 60 प्रतिशत तक। 400 रुपये से 1000 रुपये तक वेतन पाने वाले लोगों के लिए 10 रुपये की तदर्थ वृद्धि की गयी है, ताकि उनको मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता 100 रुपये मासिक तक सीमित रहे। लेकिन इन प्रतिशतों से, कर्मचारियों को मिलने वाली कुल राहत का पूरी तरह से पता नहीं चलता, क्योंक सामान्य मूल्य सूचक अंक से उन लाभों का पता नहीं चलता, जो कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अतिरिक्त मिलते हैं, जैसे कि मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं, बच्चों की शिक्षा के लिये सहायता, नगर पूरक भत्ता और अन्य विशेष पूरक भत्ते ।

4. यह ठीक है कि जितनी महंगाई को निष्प्रभाव किया गया है वह उन प्रतिशतों से कुछ कम है जिनकी 1964 में नियुक्त किये गये एस० के० दास० निकाय ने सिफारिश की थी। इस निकाय ने जिन दरों की सिफारिश की थी उनका सम्बन्ध औसत सूचक अंक 145 से था। इसके अलावा, श्री दास द्वारा रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद, खास तौर पर पिछले वर्ष पाकिस्तान के साथ दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई छिड़ने के बाद, स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है। दूसरे वेतन आयोग ने भी मूल्य सूचक अंक के साथ महंगाई सम्बन्धी मुआवजे का कोई निश्चित सम्बन्ध स्थापित करने का सुझाव नहीं दिया था। बल्कि उसने सरकार को इस बात की स्वतन्त्रता दे दी थी कि वह मुआवजे की रकम के संशोधन के समय की परिस्थितियों—जैसे रहन-सहन के मूल्य की वृद्धि के कारणों, अर्थव्यवस्था की स्थिति और मुआवजे की रकम बढ़ाने या न बढ़ाने के सामाजिक और आर्थिक परिणामों को ध्यान में रखकर मुआवजे की मात्रा निर्धारित करे ।

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

5. पहली दिसम्बर, 1965 से महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की गयी है, उससे सरकार पर हर साल 25 करोड़ रुपये का और बोझ पड़ेगा । यह बात याद रखनी चाहिये कि मोटे तौर पर, सरकारी कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त रुपया देने का अर्थ है—सरकार के खर्च में हर साल लगभग 3 करोड़ रुपये की वृद्धि और इस हिसाब में राज्य सरकारों, सरकारी प्रतिष्ठानों, नगरपालिकाओं आदि के कर्मचारी शामिल नहीं किये गये है । जैसा कि माननीय सदस्य भलीभांति जानते है, इस समय देश की अर्थ-व्यवस्था पर असाधारण बोझ पड़ रहा है और साधनों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है । इस समय इस बात की सख्त जरूरत है कि प्रशासनिक व्यय को कम रखा जाय और मुद्रा-बाहुल्यकारी दबावों को रोका जाय । रक्षा और विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की अनिवार्यता के कारण समाज के सभी वर्गों को, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल है, निश्चित रुप से कुछ न कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । ऐसी परिस्थितियों में महंगाई भत्तों में जितनी वृद्धि की गयी है उसे अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता और यह कर्मचारियों के लिये असंतोष का उचित कारण नहीं है ।

6. माननीय सदस्यों को भी मालूम होगा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समय-समय पर जो वृद्धियां हुई है, उनका राज्य सरकारों द्वारा विरोध किया गया है । पिछले साल राष्ट्रीय विकास परिषद की साधन-समिति (रिसोसज कमिटी) द्वारा किये गय एक निर्णय के फलस्वरुप, हाल ही में जब इस विषय पर कुछ मुख्य मंत्रियों से विचार-विनिमय किया गया, तो उन्होंने बताया कि हमारे निर्णयों की उनके कर्मचारियों पर क्या प्रतिक्रिया होती है और उनके साधन ऐसे नहीं है कि वे किसी भी अतिरिक्त वृद्धि का बोझ उठा सकें । उसके अलावा, मुद्रा के रूप में की जाने वाली वृद्धियों से कर्मचारियों की वास्तविक सहायता नहीं होती, क्योंकि अनुभव से यही प्रकट होता है कि सामान्य उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में समानान्तर वृद्धि होने से यह वृद्धि अधिकांश में प्रतिसंतुलित (आफसेट) हो जाती है । इसलिये सरकार ने महंगाई भत्ते के सारे सवाल पर फिर से विचार करने का निश्चय किया है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिये प्रभावशाली उपाय ढूंढे जा सकें और समाज के दूसरे वर्गों पर भी अतिरिक्त बोझ न पड़े । इस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है और माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे, उनका मै स्वागत करूंगा । ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया कि इस समय जो महंगाई भत्ता दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाय ।

श्री स० मो० बनर्जी : अपने वक्तव्य के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि सरकारने दास आयोग की इस सिफारिश का कि महंगाई भत्ता बढ़ा कर महंगाई को 90% तक प्रभावहीन किया जाये, पालन नहीं किया है तथा इस बढ़ोतरी के कारण महंगाई को 70% तक प्रभावहीन किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह स्वर्गीय श्री लाल बहादुर के उस आश्वासन के विपरित नहीं है जो उन्होंने केन्द्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को 12 अगस्त, 1965 को दिया था कि दास आयोग की सिफारिश फैसले की तरह मानी जायेंगी ? क्या वर्तमान प्रधान मंत्री स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आश्वासन का पालन करेंगे ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : स्वर्गीय प्रधान के ऐसे आश्वासन की मुझे निजी जानकारी नहीं है परन्तु मैं माननीय सदस्य के कथन को सच मानता हूं ।

यह मानते हुये भी कि यह सिफारिश एक फैसला है, प्रश्न यह है कि क्या हम इस फैसले को क्रियान्वित करने की स्थिति में हैं अथवा नहीं । मैंने उन हालात पर प्रकाश डाला है जिन के कारण हम अपना पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी कुछ कर्मचारियों के लिये महंगाई की 90% प्रभावहीन नहीं कर सकते हैं । कमचारियों को वास्तविक लाभ देने के लिये यदि आप कोई अन्य योजना बनाने के बारे में सुझाव दे तो हम उन का स्वागत करेंगे और इस से अब तक जो लाभ उन्हें दिये गये है उन को कम नहीं किया जायेगा । इस विषय पर मैंने कानूनी तौर पर विचार नहीं किया है और

में यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि इसे कानून के आधार पर लागू किया जा सकता है अथवा नहीं जहां तक भी संभव होगा मैं व्यवहारीक उपाय करना चाहता हूं जिससे अन्य व्यक्तियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों को भी वास्तविक रूप से दूर किया जाये। यदि माननीय सदस्य इस बारे में मेरी सहायता करें तो मैं समझता हूं कि इस झगड़े में पड़ने की बजाय कि यह फैसला है अथवा नहीं ; मैं अधिक लाभदायक काम कर सकुंगा मैं अपने माननीय मित्र के उस कथन को कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था सच मानने को तैयार हूं परन्तु हमें यह भी देखना पड़ता है कि आर्थिक दृष्टि से हम उस का पालन करने की स्थिति में हैं अथवा नहीं। देश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यदि उस आश्वासन का पालन किया गया तो उसका अर्थ यह होगा कि अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं को जिन की आवश्यकताय भी इतनी ही है जितनी कि सरकारी कर्मचारियों की इससे वंचित रखा जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न स्पष्ट है। जब देश में व्यापक असंतोष था तो एक प्रतिनिधि-मंडल स्वर्गीय श्री लाल बहादुर से मिला था और उन से एक विशेष प्रश्न पूछा गया था कि क्या दास आयोग की सिफारिशों को फैसल के रूप में माना जायेगा और उन्होंने उत्तर दिया था कि उन सिफारिशों को फैसले के रूप में माना जायेगा।

अब वित्त मंत्री ने दो अथवा तीन तर्क पेश करते हुए कहा है कि एक तो पाकिस्तानी आक्रमण के कारण परिस्थितियां बदल गई ह, दूसरे मख्य मंत्रियों ने हस्तक्षेप किया है और तीसरे यद्यपि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया उनका आशय वाणिज्य चैम्बर के हस्तक्षप से था। मैं जानना चाहता हूं कि उक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्यों हानि उठानी पड़े और क्या कारण हैं कि वर्तमान प्रधान मंत्री को वह फैसला मान्य नहीं है? आज हम उन की कोठी के बाहर प्रदर्शन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य मुझे भी उस प्रदर्शन में शामिल करना चाहते हैं?

श्री स० मो० बनर्जी : प्रधान मंत्री को मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह उत्तर देना चाहें तो उत्तर दे सकते है। परन्तु वित्त मंत्री पहले ही स्पष्टिकरण दे चुके ह और उन्होंने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि वह एक फसला है।

श्री रंगा (चित्तूर) : माननीय मंत्रीजी स्वयं एक प्रसिद्ध वकील है। क्या उन्होने कभी किसी न्यायालय में यह दलील पेश की है कि कार्यकारणी का यह अधिकार है कि वह चाहे किसी फसले को माने अन्यथा नहीं और उसे क्रियान्वित करने की बजाये अपनी व्यवहारिक कठिनाइयां पेश करे?

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : इस बात को देखते हुए कि भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने स्पष्ट शब्दों में इस सदन को बताया था कि सरकार निर्वाह व्यय म वृद्धि को रोकने में असफल रही है, और भारत सरकार के वर्तमान निर्णय को देखते हुए पिछले पांच वर्षों में सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों क महंगाई भत्ते में छः बार बढ़ोतरी की है अतः भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत म कोई बढ़ोतरी नहीं की जायेगी तथा सरकार के इस निर्णय को देखत हुए कि सारी समस्या पर पुनर्विचार किया जायेगा और उन्हें दनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं देने का प्रबन्ध किया जायेगा ताकि उन्हें वास्तविक लाभ हो सके, क्या सरकार अखिल भारतीय रेल कर्मचारि संघ की उस अपील पर कि उन्हें राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न की दुकानो के द्वारा दनिक आवश्यकता की वस्तुएं सस्ती कीमत पर दी जायें जसे कि 1949 मे दी जाती थी, और इस में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में भदभाव न किया जायगा अर्थात् सब को समान दरों पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो सकें, विचार किया है और कोई निर्णय किया है? मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य ने क्या प्रश्न पूछा है। यह केवल मेरी बुद्धि का दोष है तथा अन्य किसी का दोष नहीं है। जहां तक मैं समझ सका हूं, यदि मैं गलती पर हूं तो माननीय सदस्य उस में सुधार कर सकते है, वह जानना चाहते है कि राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्न की दुकानों के बारे में हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इस बारे में हम आवश्यक विचार करेंगे। मैं ने सभा के सब सदस्यों से इस बारे में सुझाव मांगे है। यदि वे मुझ से मिलकर अथवा पत्रों द्वारा सुझाव देंगे तो आवश्य उन पर विचार किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : तो वह बैठक क्यों नहीं बुला लेते है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं सभा के सब सदस्यों की बैठक तो नहीं बला सकता केवल कछ ही सदस्यों की बैठक बुलाई जा सकती है। यदि माननीय सदस्य चाहते तो अवश्य बैठक बुलाई जायगी।

श्री दाजी (इन्दौर) : वित्त मंत्रीने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार कियाहै कि इस अन्धाधूंध मूल्य वृद्धि के कारण मजूरी कम हो जाती है। यदि दास आयोग के फैसले कों इस भांति स्वेच्छासे बदला गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को विदीत है कि कर्मचारियों पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग के समक्ष सब कारण रखे कि वह दास आयोग की सिफारिशों को क्यों बदलना चाहती है ? यह निर्णय कि ये कारण न्यायसंगत हैं अथवा नहीं न्यायाधीश पर छोड़ दिया जाये। इस तरह स्वच्छा से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय को बदल कर सरकार कर्मचारियों में अपना विश्वास खो रही है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : प्रश्न यह है, कि क्या इस मामले को पुनः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपा जाये अथवा नहीं। इस मामले पर विचार किया जायेगा। परन्तु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश निष्कर्षों पर तुरन्त सहायता प्रबन्ध तो नहीं किया जा सकता। इसी कारण मैंने सदस्यों को आमन्त्रित किया है ताकि तुरन्त सहायता के उपायों पर विचार किया जा सके। जहां तक मामले को पुनः न्यायाधीश को सौपने का प्रश्न है, इस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : अपने वक्तव्य मे वित्त मंत्री ने कहा है कि द्वितीय वतन आयोग ने कोई सीमा निर्धारित नही की है। परन्तु वास्तव में जांच के समय आयोग ने इस बात का अनुमान ही नही लगाया था कि मूल्य इतने अधिक बढ़ जायेंगे और इसी कारण उन्होंने 125 पायंट से ऊपर के लिये कोई विषेश सिफारिश नहीं की है।

सरकारने सभा को आश्वासन दिया था कि दास आयोग कि सिफारिशें सरकार को मान्य होंगी परन्तु इस के बावजूद उन्होंने दास आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है।

तीसरी बात उन्होने कही है कि राज्य सरकारें अपनी कठिनाईयां पेश कर के केन्द्र के निर्णयों पर प्रभाव डाल रही हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने केद्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किये बिना स्वयं ही सिफारिशों को कैसे बदल दिया।

श्री शचीन्द्र चौधरी : निर्णय स्वैच्छिक रूप से नही किया गया। सरकार को कर्त्तव्यवश प्रत्येक विशेष बात पर विचार करना होता है। सरकार जहां तक संभव होता है अपने कर्मचारियों की सहायता करने का प्रयत्न करती है।

श्री प्रिय गुप्त : इस बात को देखते हुए कि मूल्यों में बहुत वृद्धि हुई है केन्द्रीय सरकार ने निर्णय नही किया है कि........

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को दूसरा प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। वह बैठ जायें।

श्री प्रिय गुप्त : क्या सरकार चाहती है कि उसके कर्मचारी भूखे मरें?

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति, वह सभा की कार्यवाही में रुकावट डाल रहे हैं।

श्री प्रिय गुप्त : मैं पूछना चाहता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : यदि वह अपने स्थान पर नहीं बैठते है तो मुझ उन का नाम लेकर कहना पड़ेगा। यह उनकी आदत है। वह सदा सभा की कार्यवाही में रुकावट डालते हैं।

श्री प्रिय गुप्त : यदि सरकार अपने कर्मचारियों को भूखा मारना चाहती है तो उसे साफ साफ कहना चाहिये ....

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का नाम पुकारता हूं, श्री प्रिय गुप्त।

श्री प्रिय गुप्त : मैं जा रहा हूं। धन्यवाद।

श्री प्रिय गुप्त सभा-भवन से उठकर चले गये।

Shri Priya Gupta then left the House.

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि यह पंचाट नहीं था। क्या सरकार द्वारा भुगतान न करने की क्षमता के कारण निर्णय को अस्वीकार करने के कई अन्य परिणाम नहीं होंगे? क्योंकि इसी आधार पर न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों द्वारा निजी उद्योगपतियों के संबंध में दिये गये निर्णयों को भी उद्योगपतियों द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है क्या वे भी इसी युक्ति का आश्रय नहीं ले सकते हैं?

श्री शचीन्द्र चौधरी : कानूनी दृष्टि से उसे पंचाट नहीं कहा जा सकता। स्वर्गीय श्री लाल बहादूर शास्त्री ने इसे कानून की तरह मानने को कहा था। जैसा कि मै पहले कह चुका हूं कि यदि इस को पंचाट भी माना जाये तो भी परिस्थितियोंवश इस की शर्तों को पूरा करना सरकार के लिये संभव नहीं है। जहां तक संभव होगा कर्मचारियों की हालत सुधारने का प्रयत्न किया जायेगा

1949 को

।

कालये में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०

ष्ट्रपती के कृत्यों का निर्वाहन करते हुए उप-राष्ट्रप E

मार्च, 1965 को जारी की गई

मी तथा अपवर्तन अधिनियम **हुई घातक दुर्घटना की जांच के प्रतिवेदन**

श्रम, ामी तथा **था** वर्तन नियम **श्री जगजीवन राम**) : मैं ये पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

अधिसूच ा एम०

(1) ये नवम्बर, 1965 को राजनगर कोयला खान में हुई घातक दुर्घटना की जांच के प्रतिवदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5436/66।]**

(2) धोरी कोयला खान दुर्घटना 1965 की जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखीये संख्या एल०टी-5437/66।]**

(3) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसुचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) कोयला खान (चौथा संशोधन) विनियम, 1965 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1789 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5438/66।]**

[श्री जग जीवन राम]

(ख) खान (द्वितीय संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1886 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 5438/66।]**

भारतीय तार-यंत्र अधिनियम अधिसूचनायें

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं भारतीय तार-यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय तार-यंत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय तार-यंत्र (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 8 जनवरी 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 75 में प्रकाशित हुए थे ।
[पुस्तकालय में रखी गई देखिये । संख्या एल० टी० 5439/66।]

मद्रास में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये करार

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मद्रास में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये भारत सरकार और नेशनल इरानियन आयल कम्पनी तथा अमरीका में निगमित एमोको इंडिया के बीच दिनांक 18 नवम्बर, 1965 के विरचना करार की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5440/66।]**

(2) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड को कच्चे तेल के विक्रय के सम्बन्ध में भारत सरकार और नेशनल इरानियन आयल कम्पनी तथा पान अमेरिकन इन्टरनेशनल आयल कम्पनी के बीच दिनांक 18 नवम्बर 1965 के ... तेल विक्रय करार की एक प्रति । **[पुस्तकालय में** ... वास्तव में जांच के समय आयोग ने इस ... 1/66।]
धक बढ़ जायेंगे और इसी कारण उन्होंने 125 ...

(3) (क) कम्पनी अधि... नहीं की है। ... 1) के अन्तर्गत फर्टीलाइजर्स एण्ड ... न दिया था कि दास आयोग कि सिफारिशें सरक... 65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ... क और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां । ... सिफारिशों को स्वीकार नहीं ...

(ख) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा स... ... वाईयां पेश कर ... के केन्द्र वे
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० ... 5442/66

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्शसे छूट) (तीसरा संशोधन) विनियम

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) :

(1) मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (तीसरा संशोधन), विनियम 1965 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1672 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1673 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया।

(2) मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में कतिपय संशोधन किये गये सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) जी० एस० आर० 1716 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० आर० 1718 जो दिनांक 27 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) जी० एस० आर० 1763 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) जी० एस० आर० 1764 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) जी० एस० आर० 1765 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(छ) जी० एस० आर० 1766 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(सात) जी० एस० आर० 1767 जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) जी० एस० आर० 1796 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था :

(नौ) जी० एस० आर० 1949 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5443/66।]

(3) राष्ट्रपती के कृत्यों का निर्वाहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल राजगामी तथा अपवर्तन अधिनियम, 1964 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल राजगामी तथा अपवर्तन नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 4 मई, 1965 के केरल राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 184/65 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5444/66।]**

(4) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनाक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल दमकल टोली (फायर फोर्स) अधिनियम 1962 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल दमकल टोली (फ़ायर फ़ोर्स), नियम 1965, की एक प्रति, जो दिनांक 9 नवम्बर 1965 के केरल राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एम० संख्या 406/65/होम में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5445/66।]**

(5) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वर्ग) संशोधन नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 27 नवम्बर,

[श्री हाथी]

1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1717 में प्रकाशित हुये थे और जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 12 द्वारा संशोधित किये गये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5446/66 ।]**

नौ सेना (नामांकन) विनियम, 1965

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं श्री अ० म० थामस की ओरसे नौ सेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौ सेना (नामांकन) विनियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 359 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5172/65 ।]**

व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकार बीमा) अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

योजना मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं श्री शाह नवाज खां की ओर से व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1964 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 77 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5447/66 ।]**

(2) व्यक्तिगत क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन योजना, 1965 जो 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 78 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5447/66 ।]**

भारत-चीन सीमा पर स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SITUATION ON INDIA-CHINA BORDER

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : पिछली बार 30-11-65 को और 6-12-65 को मैंने चीनी सीमा पर स्थिति के बारे में सूचित किया था। तब से अब तक संसद् सदस्यों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं, अतः मैं वर्तमान स्थिति के बारे में सभा को सूचित करता हूं।

दिसम्बर, 1965 और जनवरी, 1966 में चीनियों ने 27 बार हमारी सीमा का उल्लंघन किया है। उन्नीस बार वे लद्दाख में घुस आये, चार बार उसी में, एक बार उत्तर प्रदेश में तथा तीन बार सिक्किम सीमा में उन्होंने घुसपैठ की। कुछ समय बाद वे इन सब क्षेत्रों से वापस चले गये। फरवरी में अभी तक किसी उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है।

जैसाकि मैं पहले सभा को बताया की 26 नवम्बर को वे थागला रिज के पार चले आये। कुछ दिन बाद 250 सशस्त्र चीनी नामकाचू नदी के दक्षिण तक आयें। दो दिसम्बर, तक वे वहां रहे। पांच-छह दिसम्बर को काफी संख्या में चीनियों ने थागला रिज को पार किया और वे पुनः नामचूक क्षेत्र में हाटुंगला रिज तक जो की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से तीन मील हमारी ओर है अन्दर आ गये। 10 दिसम्बर को 400 सशस्त्र चीनी उसी के सुबानसीरी जिले में लौंगजू क्षेत्र में $1\frac{1}{2}$ से दो मील तक भारतीय क्षेत्र में घुस आये। उन्होंने वहां हमारे क्षेत्र में बंकर बनाये तथा खाइयां खोदी।

27 दिसम्बर को लौंगजू तथा 29 दिसम्बर को थागला रिज से चीनी वापस लौट गये।

सिक्किम इलाके में 12 दिसम्बर को 250 से 300 चीनी सैनिकों हमारी सीमा में लगभग तीन मील घुस आये तथा हमारे गस्ती दल पर गोलियां चलायी। हमारी ओर से भी आत्म-रक्षा के लिये जवाबी गोलियां चलाई गई। इस गोलबारी के फलस्वरूप जो कई घण्टे चलती रही पांच भारतीय सैनिक मारे गये तथा तीन पकडे गये। उनमें से एक सैनिक उनकी कैद में मर गया। चीनियों ने छह लाशें तथा दो सैनिकों को वापस कर दिया। एक सैनिक ला पता है।

इस गोलाबारी में तीन चीनी सैनिक भी मारे गये। अंधेरे में चीनी अपने सैनिकों की लाशें उठा ले गये। इन बड़ी घटनाओं के अतिरिक्त चीनी ने 10 दिसम्बर, की रात को और फिर 19 दिसम्बर की रात को नाथूला क्षेत्र में सीमा के पार गोलियां चलायी। सिक्किम के उत्तर में बोम्बच् क्षेत्र में भी 30 चीनियों ने 10 दिसम्बर को भारतीय सीमा का उल्लंघन किया परन्तु भारतीय गस्ती दस्ते के देखते ही वे वापस चले गये।

मध्य क्षेत्र में एक चीनी विमान माना इलाके में 16 दिसम्बर को पांच मील भीतर तक उड़ा। लद्दाख में वास्तविक अधिकार रेखा के भारतीय इलाके में चीनी दो पहाड़ियों पर आते रहे। यह दौलतबेग ओल्दी इलाके में पड़ता है।

सीमा की इस ओर उल्लंघनों के अतिरिक्त चीनी सैनिक अपनी ओर 20 किलोमीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र में काफी संख्या में जमा है।

पिछले वर्ष चीनियों ने तिब्बत में अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा ली है। उन्होंने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की है तथा तोपखाने को अधिक बलशाली बनाया है। सीमा पर सभी स्थानों पर सड़कें बनाई गयी है तथा बैंकरो का निर्माण किया गया है। चीनका रवैया आक्रमणकारी है।

सारी कार्रवाई एक खास ढंग से की जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि चीन उत्तरी सीमा पर तनाव का वातावरण बनाये रखना चाहता है। वह भड़काने वाली कार्यवाही कर रहा है तथा हमें स्थिति पर कड़ी नज़र रखनी होगी। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री रंगा : सैनिक गोपनीयता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस सदन को अथवा सलाहकार समिति को बतायेंगी कि उपूसी, नागलैंड तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार की व्यवस्था को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा सैनिक महत्व के स्थानों पर सैनिकों को रक्षा के लिये आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय मंत्री के सुझावानुसार मैं इस बारे में सलाहकार समिति में विचार करने को तथा कुछ सूचना देने को तैयार हूं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The Government is keeping the people in the dark. The fact is that Thagla Ridge is under the occupation of Chinese forces since 1962 when it is asked as to what steps are being taken to get it vacated, the Prime Minister replies that our doors are always open for negotiation with China. The Chinese have occupied 38000 square miles of our territory and no steps are being taken to get it vacated. I would like to know how long Government will keep people in dark and what this negotiation means, when China's attitude is hostile?

श्री हीं० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : क्या सरकार कोलम्बो राष्ट्रों तथा अन्य मित्र देशों को, उत्तरी सीमा पर चीन की कारवाइयो के बारे में बराबर सूचित करती रही है ताकि अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के भारत के दृढ़ निश्चय के साथ साथ, समानपूर्वक समझौते की भारत की इच्छा प्रकट की जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कोलम्बो देशों को उल्लंघनों आदि के बारे समय समय पर सूचित किया जाता रहा है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : भारत ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार किया है जबकि चीन ने उनको ठुकरा दिया है। श्री नेहरू तथा श्री शास्त्री इस बात पर दृढ़ रहे हैं कि चीन से बात चीत तभी की जा सकती है जब कि वह इन प्रस्तावों को पूर्णरूप से क्रियान्वित करे। वर्तमान स्थिति यह है कि चीन कोलम्बो प्रस्तावों के अन्तर्गत निर्धारित किये गये विसैन्यकृत क्षेत्रों का भी अतिक्रमण कर रहा है। इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधान मंत्री का चीन से बात करने का आधार क्या होगा ? क्या वह भूतपूर्व प्रधानमंत्रीयों द्वारा दिये गये आश्वासनों को भूला देंगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जी नहीं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या कोलम्बो देशों की ओर से इस बात का संकेत मिला है कि हमारे उत्तरी सीमा के बारे में चीन से वार्ता करने को हमारी शर्तों में परिवर्तन कर दिया जाये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे इसका ज्ञान नहीं है। मैं ने तो केवल इतना कहा है कि उचित वातावरण उत्पन्न होने के बाद चीन से अथवा अन्य किसी से वार्ता की जा सकती है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं ने पूछा है कि कोलम्बो देशों ने इस बारे में कोई अन्य नया प्रयत्न किया है और क्या वार्ता की शर्तों में परिवर्तन किया गया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी नहीं।

Shri Bade (Khargone) **:** The Defence Minister has mentioned in his statement that Chinese forces have crossed to this side of Namkachu river and I think they are still there. When China is not agreeable to Colombo proposal, why a befitting reply is not given to them by throwing the Chinese army back, as we have done in case of Pakistan by opening a new front in Sialkot?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं उन का ध्यान अपने वक्तव्य की ओर दिलाऊंगा। पैरा 2 में ने मैं कहा है कि वे थोड़े समय बाद इन सब क्षेत्रों से वापस चले गये तथा इन में से कोई क्षेत्र अब उन के अधिकार में नहीं है।

दूसरे भाग के बारे में मैं कहता हूं कि युद्ध संचालन का मामला है तथा इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस बारे में हमारी नीति बचाव की है।

Dr. Ram Manohar Lohia : On one hand the Defence Minister has resolved to defend the borders and on the other hand the Prime Minister has expressed that she is ready to enter into negotiations with China, if suitable conditions are created. May I know whether the Prime Minister and the Defence Minister are aware of the statement made by Mr. Edgar Snow, the greatest friend of China, to the effect that China may vacate the areas of Kailash, Mansrowar and Brahmputra and may also consider the question of granting independence to Tibet?

The question is, if they are not aware of it, will they try to look into it?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम ने इस बारे में श्री एडगर स्नो का वक्तव्य पढ़ा है। परन्तु ऐसे वक्तव्यों पर निर्भर नहीं किया जा सकता और इन पर कोई राजनतिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, I will require your help in getting a reply to my answer. The answer given by the defence Miniser is most unsatisfactory. The fact is that Mr. Edgar snow is the greatest friend of China in foreign country. They must study his statements and if they are unaware of his statements, they must state it clearly. Mr. Speaker, I would request you to ask the Prime Minister to reply my question.

Mr. Speaker : You have suggested them to look for the statement and study it, if they are unaware of it. What else do you want?

श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित (फूलपुर) : वह लेख जिसका माननीय सदस्य ने निर्देश किया दो वर्ष पुराना है और उक्त लेख के लिखे जाने के पश्चात मुझे तीन अथवा चार बार श्री एडगर स्नो से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि स्वयं श्री एडगर स्नो की आज भी इस बारे में वही राय है, जो लेख लिखते समय थी।

श्री दिबिद कुमार चौधरी (बरहामपुर) : माननीय प्रधान मंत्रीने कहा है कि वह उचित परिस्थितियों में चीन से वार्त्ता करने को तयार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे उचित परिस्थितियां कोलम्बो प्रस्तावों की सीमा के अन्तर्गत हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमें सब से पहले देश के हितों को देखना है तथा हम किन्ही भी एसी परिस्थितियां में वार्ता नहीं करेंगे, जो हमारे हितों के विरूद्ध हों।

उन परिस्थितियों के बारे में वक्तव्य जिन में श्री लालबहादुर शास्त्री का देहावसान हुआ

STATEMENT RE : CIRCUMSTANCES OF SHRI LAL BAHADUR SHASTRI'S DEATH

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आप की अनुमति से में इस वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। यह वक्तव्य दो पृष्टों में है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं जिन परिस्थितियों में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई उन के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : यह महत्वपूर्ण वक्तव्य है इसे पढ़ा जाये।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही काफी समय लग गया है। इस विवरण को सदस्यों में परीचालित किया जायेगा और यदि माननीय सदस्य इस बारे में कोई सूचना प्राप्त करना चाहें, तो व नोटस दे सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (हुशंगाबाद) : सदर ताशकंद की इस दु:खद घटना के बारे में समाचार पत्रों में जो खबरें छपी थी, व अधूरी तथा अस्पष्ट थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस विवरण में वे सब तथ्य कि प्रधान मंत्री के सोने के कमरे के बाहर किसी परिचर अथवा नर्स की व्यवस्था थी या नहीं, तथा उन के डाक्टर के पास आक्सीजन थी या नहीं, शामिल किये गये है ? यदि ये सब बातें इस में सम्मिलित नहीं है, तो उन्हें एक पूरक वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : पहले वक्तव्य को पढ़ा जाये, ये प्रश्न तो बाद में उठेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि इस विवरण में सब तथ्य शामिल हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता अन्यथा उन्हें एक पूरक वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले इस वक्तव्य को पढ़ें।

श्री हरि विष्णु कामत : इस परचालित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री बड़े : खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों चाहिये कि वे पहले इस विवरण को पढ़ें ताकि उन्हें पता लग सके इस में क्या लिखा है।

श्री बड़े : क्या प्रश्न पूछने की अनुमति दी जायेगी ?

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं निवेदन करता हूं कि इस विवरण को सभा में पढ़ा जाये। हम स्वर्गीय प्रधान मंत्री की मृत्यु के बारे में जानना चाहते है। यह कोई साधारण मामला नहीं है, अतः बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसलिये इस वक्तव्य को सभा में पढ़ा जाये।

Shri Hukam Chand Kachhayaiya : The whole House disires that the Statement may be read.

श्री हरि विष्णु कामत : समय की पूर्ति करने के लिये सभा की बैठक आधा घण्टा बढ़ाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा की यही इच्छा है तो वक्तव्य को पढ़ा जाये।

श्री स्वर्ण सिंह : प्रधान मंत्री शास्त्री की मृत्यु के संबंध में सरकार इस अवसर पर एक वक्तव्य देने चाहेगी।

2. स्वर्गीय प्रधान मंत्री को सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार की ओर से विशेष रूप से दिए गए एक विला में ठहराया गया था। विला में उनके साथ निम्नलिखित निजी कर्मचारी थे :

(क) डा० आर० एन० चुग . . .	स्वास्थ अधिकारी
(ख) श्री आर० कपूर . . .	सुरक्षा अधिकारी
(ग) श्री जे० एन० सहाय . . .	निजी सचिव
(घ) श्री एम० एम० एन० शर्मा . . .	व्यक्तिक सहायक
(ङ) श्री राम नाथ . . .	व्यक्ति परिचर

यह विला इन्टूरिस्ट होटल से जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य ठहराये गये थे, करीब 250 गज़ पर था। प्रधान मंत्री के निवास कक्षा से लगा हुआ कमरा उनके स्वास्थ अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारों को दिया गया था। दल के अन्य सदस्य विला के दूसरे कमरों में थे।

3. निवास कक्षा में देश में और विदेशों से बात करने के लिए जो 2 टेलीफोन लगे थे उनके अलावा बज़र सहित एक तीसरा टेलीफोन भी था जो केवल रिसीवर के उठाने से ही सक्रिय हो सकता था। यह उपकरण प्रधान मंत्री के उपयोग के लिए था ताकि वे वक्त ज़रूरत अपने किसी निजी कर्मचारी को या डाक्टर को बुला सकें।

4. 10 जनवरी 1966, को स्वर्गीय प्रधान मंत्री अपने विला को सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की मंत्रि-परिषद के अध्यक्ष श्री कोसिगिन द्वारा दिए गए स्वागत समारोह में भाग लेने के बाद, लगभग 10 बजे के बाद वापस आए। वे तुरन्त ही अपने निवास कक्ष में चले गए और वहां उनके व्यक्तिक परिचर श्री राम नाथ ने उन्हें करीब साढ़े दस बजे खाना खिलाया। कुछ देर बाद प्रधान मंत्री ने दो भारतीय न्यूज़रील फोटोग्राफरों को खिड़की के बाहर से अपनी तस्वीर खीचने की अनुमति दी। उसके उपरान्त उन्होंने टेलिफोन द्वारा दिल्ली में अपने परिवार के सदस्यों मे बातचीत की। मध्य रात्रि से 30 मिनट बाद उन्होंने श्री राम नाथ से कहा कि वे जाएं और अपना खाना खाएं। श्री राम नाथ ने तब बत्तियां बुझा दी और बगल वाले कमरे में चले गए जहां अन्य कर्मचारी-गण अपना सामान बांधने में लगे थे।

5. 11 जनवरी को सुबह करीब 1.20 बजें, जबकि प्रधान मंत्री के निजी कर्मचारी सुबह के हवाई जहाज से जाने के लिए अपना सामान बांध रहे थे, उन्होंने प्रधान मंत्री को अपने कमरे के दरवाज़े पर देखा। प्रधान मंत्री जरा सा ठहरे ओर डाक्टर बुलाने को कहा। श्री कपुर और श्री शर्मा शीघ्र आगे बढ़े और प्रधान मंत्री को सहारा देकर उनके कमरे में ले गए। श्री सहाय ने डाक्टर चुग को जगाया और वे तुरन्त प्रधान मंत्री के कमरे में दौड़ कर पहुँचे। उन्होंने प्रधान मंत्री की परीक्षा करनी शुरु की और साथ ही उनके निजी सचिव श्री सहाय से स्थानीय डाक्टरों को भी बुलाने को कहा। वहाँ पर तैनात सोवियत सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह काम तुरन्त करवाया गया। सुबह 1.32 तक प्रधान मंत्री की चेतना लुप्त हो गई थी, नाड़ी डूब गई थी, दिल की धडकन नहीं सुनाई पड़ती थी और सांस चलना बंद हो गई थी। प्रधान मंत्री को चेतना लौटने के लिए डा० चुग ने इन्ट्रा-मस्कुलर इंजक्शन दिया, कृत्रिम तरीके से सांस दिलाई और मालिश की, लेकिन यह सब बेकार गया। सोवियत डाक्टरों का दल जो श्री कोसिगिन के कहने पर मिनटों में वहां आ उपस्थित हुआ था, वह भी उन्हें चेतना लौटा न सका। अतएव बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के होते हुए भी स्वर्गवासी प्रधान मंत्री की जान नहीं बचाई जा सकी।

6. डा० चुग और सोवियत चिकित्सक दल द्वारा दी गई मैडिकल रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

7. स्वर्गीय प्रधान मंत्री ताशकंद जितने दिन रहे उनका स्वास्थ अच्छा ही दिखाई दिया। मैं, मेरे सहयोगी रक्षा मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य बराबर उनके साथ प्रति दिन देर तक रहते थे। वे प्रसन्न चित और प्रसन्न वदन रहते थे। दिल्ली के दैनिक कार्यक्रम के मुकाबले में उनका वहाँ का कार्यक्रम कम श्रम-साध्य था और उन्होंने न कभी अस्वस्थ होने की शिकायत की और न, वास्तव में, वे कभी थके ही दिखाई दिए।

8. ताशकंद में स्वर्गीय प्रधान मंत्री की भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध मास्को स्थित हमारे राजदूत के परामर्श और उन्हीं की देख-रेख में किया गया था। स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आराम और सुविधाओं के लिए जो भी कुछ संभव था उस सभी की सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार ने व्यवस्था की थी।

9. इस अवसर पर मैं एक बार फिर सोवियत समाजवादी गणतत्र संघ की सरकार को धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

भारत के प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुह शस्त्री की मृत्यु पर डाक्टरी रपोर्ट

भारत के प्रधान मंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जितने दिन ताशकंद में रहे उनमें, और 10 जनवरी 1966 की शाम को भी, उनकी तबियत अच्छी थी। उन्होंने अपने स्वास्थ के बारे में कोई शिकायत नहीं की। 10 जनवरी 1966 की शाम को भारत के प्रधान मंत्री, लाल बहादुर शास्त्री स्वस्थ और प्रसन्न थे जबकि उन्होंने सोवियत समाजवादी गणतत्र संघ की मंत्रि-परिषद ए० एन० कोसीगिन की ओर से दिए गए एक स्वागत-समारोह में भाग लिया। प्रधान मंत्री के डाक्टर, डा० आर० एन०

[श्री स्वर्ण सिंह]

चुग के अनुसार जो सदा उनके पास रहते थे और इस स्वागत-समारोह में भी उपस्थित थे, स्वागत-समारोह से अपने निवास-स्थान को लौटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री का स्वास्थ सामान्य था और वे प्रसन्नचित्त थे तथा उन्होंने दिल्ली में अपने संबंधियों से टेलिफोन पर बात की। रात को करीब 12. 30 बजे वे सोए 11 जानवरी को सवेरे क़रीब एक बजकर बीस मिनट पर सर्वश्री सहाय, कपूर और शर्मा प्रधान मंत्री के डाक्टर के पास गए तो प्रधान मंत्री के बगल वाले कमरे में थे और उन्होंने उन्हें बताया कि प्रधान मंत्री अस्वस्थ हैं। डा० आर० एन० चुग तुरंत प्रधान मंत्री के पास पहुँचे और उन्होंने प्रधान मंत्री को बिस्तर पर बैठे, खाँसते देखा; उन्होंने पूरी साँस न आने की शिकायत की। वे दोनों हाथों से अपनी छाती को पकड़े हुए थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था।डाक्टर ने देखा की उनकी नब्ज़ बहुत तेज़ और कमज़ोर थी। ब्लड प्रेशर नही लिया गया था। दिल की धड़कन मुश्किल से सुनी जा सकती थी। जिन व्यक्तियों के नाम ऊपर बताए गए हैं उनकी सहायता से डाक्टर चुग ने प्रधान मंत्री को ऐसे लिटाया कि उन्हें आराम मिले और उन्हें **सेप्थेटिन सल्फट** एक एम०एल० (15 मिलीग्राम) और एक एम०एल० **माइकोरेना** का एक इन्ट्रामस्कलर इंजेक्शन दिया। अगले तीन मिनिट में प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की चटता जाती रही, नाड़ी डूब गई, सांस रूक गई और दिल की धड़कन सुनाई नहीं पड़ती थी। 11 जानवरी 1966 को सवेरे 1. 32 पर उनकी मृत्यु हो गई। डाक्टर आर० एन० चुग ग़ैर-सीध तरीक़े से दिल की मालिश करते और एक वायु नलिका के माध्यम से मुहं से कृत्रिम श्वास दिलाने के तरीक़ों से पुनः चेतना लौटाने का उपचार पहिले ही शुरू कर चुके थे। डा० चुग से टेलीफोन पर संदेश पाने पर, सोवियत डाक्टर ई० जी० येरेमेंको भी शीघ्र ही वहा पहुच गई थी और उन्होंने भी पुनः चेतना लौटाने के तरीक़ों से उपचार करने में सहायता की। जब वे वहां पहुची तो उन्होंने प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मृत पाया : नाड़ी डब चूकी थी, हृदय-गति बंद हो गई थी, श्वास रूक गई थी और आँखें पत्थर बन गई थी। एन्टीशाक (anti shock) दल के डाक्टरों की सहायता से, जो बुलाए जाने पर तुरंत वहां पहुँच गए थे, पुनः चेतना लौटाने का उपचार किया जाता रहा। ग़ैर-सीधे तरीक़े से दिल की मालिश की गई; हृदय के नीचे वाई ओर की केविटों में 15 मिनट के अंतर से दो बार एड्रेनोलिन और ग्लूकोज़ के साथ पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण दिया गया। "इन्ट्यूवेशन ट्यूब" की सहायता से मशीन द्वारा कृत्रिम श्वास दिलाने का भी प्रयत्न किया गया। किंतु, ये सभी उपाय निष्फल गए। इस सारे उपचार में निम्नलिखित प्रोफेसरों ने भी भाग लिया :

यू० ए० ऐरीपोव
वाई० वाई० गोर्डन
ओ० एन० पावलोवा
ए० आर० रख़ीमजानोव
एम० एस० तुरसुन-ख़ोजारबा
ज़ेड० ई० उम्मिदोवा

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्र ान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहिले भी इन्फ़ाक्टकियो-कार्डा (Infarktmiocarda) से पीड़ित हो चुके थे और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि उस रात 10 से 11 जनवरी 1966 तक यही बीमारी बड़े ज़ोरों से उखड़ी थी, यह माना जा सकता है कि बहुत ज़ोर का **इन्फाक्टमियोकार्डा** हो जाने से ही उनकी मृत्यु हुई।

डा० आर० एन० चुग, एम० डी०, — ह० आर० एन० चुग
प्रधान मंत्री के परिचर-डाक्टर
ताशकंद, 11 जनवरी 1966

उज़वेक एस० एस० आर० के उप स्वास्थ मंत्री, — ह० यू० ए० ऐरियोव
प्रोफेसर यू० ए० सेरीयोर्व,
डाक्टर आफ मेडिसन

प्रोफेसर वाई० वाई० गोर्डन, — ह० वाई० वाई० गोर्डन

आनर्ड वर्कर आफ़ साइन्स,
डाक्टर, आफ़ मेडिसन
प्रोफेसर ओ० एन० पावलोवा, — ह० ओ० एन० पावलोवा
आनर्ड वर्कर आफ साइन्स,
डाक्टर आफ़ मेडिसन
प्रोफेसर ए० आर० रखीमजानोव, — ह० ए० आर० रखीमजानोव
डाक्टर आफ़ मेडिसन
प्रोफेसर एम० एस० तुरसुन-खोजाइवा — ह० एम० एस० तुरसुन-खोजाऐवा
डाक्टर आफ़ मेडिसन
प्रोफेसर ज़ेड० ई० उम्मिदोवा, — ह० ज़ेड० ई० उम्मिदोवा

आनर्ड वर्कर आफ साइन्स, डाक्टर आफ मेडिसन, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की अकाड़मी आफ़ मेडिकल साइन्सेस की कारेस्पोंडिंग-सदस्य।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूँ। पहले इस बात को जानते हुये कि प्रधान मंत्री हृदय रोग के रोगी थे, उन के सोने के कमरे के अन्दर अथवा उसके सनिकट बाहर रात भार कोई परिचर या नर्स की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी। दूसरे जब रूसी डाक्टरों को जोकि बहुत दक्ष तथा परिश्रमी थे, वहां बुलाया गया तो वे आक्सीजन तथा अन्य आवश्यक उपकरण अपने साथ ले कर आये, क्या हमारे डाक्टर के पास ऑक्सीजन आदि आवश्यक वस्तुओं नहीं थी। तीसरे पिछले कुछ महीने से स्वर्गीय प्रधान मंत्री की दैनिक डाक्टरी जांच की जाती थी, परन्तु ताशकन्द में उनके दस दिन के निवास की अवधि में कोई डाक्टरी जांच क्यों नहीं की गई?

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : **मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री की मृत्यु के तुरन्त बाद मिलने वाली खबरें तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की सूचना परस्पर विरोधी हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि प्रधान मंत्री ने स्वयं शोर नहीं मचाया बल्कि उन लोगों ने जो सामान बान्ध रहे थे उन्हें खिड़की के पास खड़े देखा। वह रात के 1.20 बजे स्वयं कमरे से बाहर आये। वक्तव्य में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रधान मंत्री ने अपने निजी परिचर को जगाने के लिये बजर का प्रयोग किया या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि वह बजर काम कर भी रहा था अथवा वह खराब था और काम नहीं कर रहा था?**

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : जब सरकार को पता था कि प्रधान मंत्री हृदय रोग के रोगी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्रधान मंत्री के रोग का इतिहास सोवियत सरकार को बताया था ताकि किसी भी आपतकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये ऑक्सिजन आदि का प्रबन्ध किया जा सके। अथवा यह उन के रोग का इतिहास बताने के बाद भी ऑक्सिजन आदि का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया?

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : May I know whether it is a fact that the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri slept in another room on the fateful day of his death than the one he normally occupied?

I would also like to know whether it is a fact that there was only one cook to look after the kitchen arrangements of the Prime Minister who accompanied him from India or there was another cook supplied by Indian Embassy, Moscow, and whether that cook was the same person who used to be the cook of late Shri Maulana Azad?

[Shri Prakash Vir Shastri]

Whether it is also a fact that the Prime Minister had already breathed his last before Dr. Chugh arrived at the scene and he had to administer mouth to mouth respiration as he had no oxygen with him and the injections were administered only to the dead body of the Prime Minister?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know whether Shri Shastri slept normally on that night or whether he was worried and could not sleep or whether he was unwell and what was his mental conditions?

श्री स० गो० बानर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की धर्म पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री ने कहा है कि यदि वह उनके साथ गई होती तो वह श्री शास्त्रीजी को कुछ निश्चित घण्टों से अधिक काम न करने देती। उन्होंने कहा है कि श्री शास्त्रीजी यहां इस नियम का पालन किया करते थे।

यदि यह सच है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या डा० चुग ने उन्हें निश्चित घण्टो से अधिक काम न करने को कहा था और क्या वह उन की दैनिक जांच करते थे ?

श्री हेम बरुआ : खड़े हुये।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ की पार्टी से श्री कामत प्रश्न पूछ चुके हैं। मैं एक पार्टी से केवल एक सदस्य को प्रश्न पूछने की आज्ञा दूंगा।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : स्वर्गीय प्रधान मंत्री हृदय रोग के रोगी थे। क्या भोज से लौटने के बाद उन का डाक्टरी परीक्षण किया गया था। मैं समझता हूं कि काम से लौटने के बाद, भोज से लौटने के बाद तथा सोने से पहले उन का डाक्टरी परीक्षण आवश्यक था।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : I would like to know whether the Defence Minister and the External Affairs Minister reached the scene before Shri Shastri died or after?

Shri A. B. Sharma (Buxar) : It has been stated that necessary arrangements were made for an internal telephone, an automatic telephone and a buzzer in his bed room and it has also been stated that he had to come to the door. May I know whether it was examined that the buzzer was in working order or whether he had to come to the door as the buzzer was out of order?

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे बारे में आप ने कहा है कि एक पार्टी से केवल एक सदस्यको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जायेगा परन्तु कांग्रेस पार्टी से दो सदस्यों ने प्रश्न पूछे है।

श्री स्वर्ण सिंह : श्री कामत के प्रश्नों के उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के कक्ष से मिले हुए कमरे में प्रधान मंत्री के सेवक श्री रामनाथ के ठहरने का प्रबन्ध किया हुआ था। प्रधान मंत्री के कमरे में एक ऐसा यंत्र (बजर) था, जिस का चोगा उठाते ही वह सक्रिय हो जाता था और उन के निजी सेवक, डाक्टर तथा निजी सहायक के कमरे में घण्टी बजने लगती थी। इस बारे में कि प्रधान मंत्री कमरे के बाहर सोये अथवा अन्दर मैं कहना चाहता हूं कि हम ने उन कमरों को देखा था वे छोटे छोटे कमरे थे तथा इस बात से कि वह दरवाजे के इस ओर सोये अथवा उस ओर को अन्तर नहीं पड़ता। वहां का जलवायु ऐसा था कि दरवाजे से बाहर सोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि यंत्र काम कर रहा था, तो उन्हें कमरे से बाहर क्यों आना पड़ा ?

श्री स्वर्ण सिंह : उस का उत्तर कुछ ढंडा है। मैं ने तथा मेरे साथी श्री चव्हाण ने इस बात की जांच कि थी और हमें पूर्ण विश्वास हो गया था कि यंत्र ठीक काम कर रहा था। यंत्र, टेलिफोन तथा अन्य उपकरण बिलकुल ठीक काम कर रहेथे।

अध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह सुनिश्चित किया गया था कि यंत्र ठीक काम कर रहा है अथवा प्रधान मंत्री को बाहर इसलिए आना पड़ा क्योंकि यंत्र ठीक काम नहीं कर रहा था ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसकी जांच की गई थी और यंत्र ठीक काम कर रहा था। यह प्रधान मंत्री की इच्छा पर था कि वह इसका प्रयोग करते या नहीं और शायद जैसे कि उन की आदत थी वह किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे इसी लिए उन्होंने यंत्र का प्रयोग नहीं किया और बाहर आकर किसी को बुलाना चाहा। उपकरणों के बारे में स्वास्थ मंत्री तथा डाक्टर ने हमें विश्वास दिलाया है कि सब आवश्यक उपकरणों का प्रबन्ध किया गया था।

इस बात की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है के डा० चुग उन की दैनिक डाक्टरी परीक्षा करते थे तथा सामन्यत: एक से भी अधिक बार डाक्टरी परीक्षा की जाती थी। डा० चुग दक्षडाक्टर होने के साथ साथ उन का बहुत ध्यान रखते थे तथा सदा शास्त्री जी के समीप ही रहनेका प्रयत्न करते थे।

श्री भागवत झा के प्रश्न के उत्तर में कि क्या सरकार ने शास्त्री जी के रोग का इतिहास रुसी डाक्टरों को बताया था मैं कहना चाहता हूं कि वहां हमारा डाक्टर के अतिरिक्त एक रुसी डाक्टर उस क्षेत्र का इंचार्ज था। एक दफह मैं स्वयं कुछ बिमार हो गया था तो कुछ ही मिन्टों मे न केवल डाक्टर चुग बल्कि अन्य डाक्टर भी आ गया था। हो सकता है डा० चुग ने अपनी आवश्यकताओं रुसी डाक्टरों को बताई हो। परन्तु डाक्टर चुग के पास किसी भी आपक्तालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये आ-श्यक उपकरण थे।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री के प्रश्न उत्तर में कि क्या प्रधान मंत्री अन्य दिनों वाले कमरे न सो कर किसी दूसरे कमरे में सोये थे, मैं कहता हूं कि वह उसी कमरे में सोये थे।

प्रधान मंत्री की रसोई के जो प्रबन्ध किये गये थे, वे मुख्यत: सोवियत संघ द्वारा किये गये थे क्यों वहां न केवल प्रधान मंत्री के भोजन की व्यवस्था थी, बल्कि जिसको भी प्रधान मंत्री आमंत्रित करते थे उन की भोजन की व्यवस्था थी। प्रधान मंत्री की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और खास कर सादे भोजन का प्रबन्ध करने के लिये जिसे प्रधान मंत्री बहुत पसंद करते थे, उन के निजी सेवक श्री रामनाथ को उन की रसोई का कार्य सौंपा गया था। श्री रामनाथ की सहयतार्थ भारतीय राजदूत से एक अन्य रसोईये की सेवाओं का उपयोग किया गया था। अत: प्रधान मंत्री की रसोई में दो भारतीय तथा दो रुसी रसोइया थे।

इस बात के बारे में कि डा० चुग के पहुचने पर प्रधान मंत्री की अवस्था कैसी थी, यह सूचना डा० चुग की रिपोर्ट में दी गई है जिस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई है।

श्री मधु लिमये ने पूछा है कि क्या शास्त्री जी आराम से सोये थे अथवा चिंतित थे। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ताशकंद घोषणा को 9 तथा 10 जनवरी के मध्य की रात्रि को अन्तिम रूप दिया गया था। इस घोषणा पर 10 जनवरी को चार बजे अन्य नेताओं तथा प्रेस वालों की और अन्य गण-मान्य व्यक्तियों की उपस्थिती में एक समारोह में हस्ताक्षर किये गये थे। इस के बाद श्री शास्त्री जी प्रसन्न चित थे, वह हर व्यक्ति से बातें कर रहेथे। उनकी तबीयत अच्छी थी। और वह प्रसन्न चित्त थे। उस दिन उनके लिये कोई खास कार्य नहीं था। तथा उन के दिमाग पर कोई बोझ नहीं था। शास्त्री जी ने मेरे साथी श्री चव्हाण से कहा था कि हम ने बड़ी वीरता से देश की रक्षा की है तथा शांति की रक्षा के लिये भी हमें इसी वीरता से कार्य करना है। यह सब बातें मैं इस लिए बता रहा हूं कि ज्ञात हो सके कि शास्त्री जी प्रसन्न चित थे। घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद वह एक स्वागत समारोह में सम्मिलित हुये, जिस में अन्य नेता, रुसी मेजबान तथा पाकिस्तानी नेता भी सम्मिलित

[श्री स्वर्ण सिंह]

थे। उन्हों ने हर व्यक्ति से अर्थात हमारे प्रेस वालों से, विदेशी प्रेस वालों से,राष्ट्रपति अयूब खां से तथा प्रधान मंत्री कोसिजन से प्रसन्न चित्त हो कर बातें की। उन की बात चीत से तथा आचार विचार से यह पता चलता था कि उन्हें कोई चिन्ता नहीं है, वह स्वस्थ हैं, तथा प्रसन्न चित्त हैं।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : क्या चार बजे तथा ग्यारह बजे के बीच उनकी डाक्टरी जांच की गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया कि हमारे डाक्टर के पास सब आवश्यक उपकरण थे परन्तु प्रश्न विशेषत: यह है कि क्या उनके पास आक्सीजन भी थी।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : उन के पास आक्सीजन भी थी।

श्री रघनाथ सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं उन के पास आक्सीजन भी थी।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे खेद है कि यह सच नहीं है क्यों कि किसी पत्र में यह नहीं कहा गया है कि उन के पास आक्सीजन भी थी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The Minister has not stated as to whether he only went to bed and whether he could sleep. If he has no information, he may say so. He has only stated his assumption that because he was awake all the day, he might have slept.

Mr. Speaker : Have you any information as to whether he could sleep or whether he made any complaint ?

श्री स्वर्ण सिंह : डा० चुग तथा अन्य डाक्टरों की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वह 12.30 बजे बस्तरे पर लेटे थे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह कि वह सो सके थे अथवा नहीं। डा० लोहिया यह जानना चाहते है।

Dr. Ram Manohar Lohia : My question has not been answered.

Mr. Speaker : He says he has no information.

(कई माननीय सदस्य खडे हुये।)

अध्यक्ष महोदय में माननीय सदस्यों को कहूंगा कि वे बैठ जायें। अब जो भी कोई बोलेंगा उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नही किया जायेगा।

(अन्तर्बाधायें)*

Shri Raghunath Singh : May I know whether the Defence Minister reached before Shri Shastri died or afterwards?

श्री स्वर्ण सिंह : टेलिफोन पर सूचना प्राप्त होते ही हम वहां पहुंच गये। जब हम वहां पहुंचे तो शास्त्री जी बिल्कुल बेहोष थे। डाक्टर उन के बचाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री द्वा० ना० तिवारी।

*कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

समिति के लिए निर्वाचन सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

Election to Committee—Committee on Public Undertaking

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री पनमपिल्लि गोविन्द मेनन, जो कि मंत्री नियुक्त किये जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे और श्री हरिश्चन्द्र माथुर जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की शेष अवधि के लिये समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 312-ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री पनमपिल्लि गोविन्द मेनन, जो कि मंत्री नियुक्त किये जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे और श्री हरिश्चन्द्र माथुर जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की शेष अवधि के लिये समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted*

एकस्व विधेयक

PATENTS BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय का बढ़ाया जाना

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि एकस्व सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय अगले अधिवेशन के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एकस्व सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित समय अगले अधिवशन के दूसरे सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The Motion was adopted*

कार्य यंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

43 प्रतिवेदन
Forty-Third Report

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि यह सभा कार्य यंत्रणा समिति के 43 वें प्रतिवेदन से, जो 15 फरवरी, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है"

अध्यक्ष महादय : प्रस्ताव यह है :

"कि यह सभा कार्य-यंत्रणा समिति के 43 वें प्रतिवेदन से, जो 15 फरवरी, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है"

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक
INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The motion was adopted*

श्री मनुभाई शाह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अध्यादशों के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : INDIA TARIFF (AMENDMENT) ORDINANCES

श्री मनुभाई शाह : मैं (1) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1965 और (2) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) 1966 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बनाने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

ताशकंद घोषणा के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : TASKENT DECLARATION

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ताशकंद घोषणा पर विचार किया जाये"

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव नियमबाह्य है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे द्वारा सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव रखने के बादही कोई आपत्ति की जी सकती है।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्यों ने श्री शास्त्री जी के दु:खद तथा हृदय विदारक निधन के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे हैं, जिन के उत्तर में काफी समय लग गया, अन्यथा यह संभव था कि मैं अधिक विस्तार में वक्तव्य देता। स्वर्गीय श्री शास्त्री जी के निधन से वे दु:खदक्षण मेरी आंखों के सामने आ जाते है जिन में हमारी प्रिय प्रधान मंत्री हमसे छीन गया।

ताशकंद घोषणा के बारे में प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था, जिस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जा चुकी है। ताशकंद घोषणा की भी एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई है तथा एक संक्षेप विवरण भी सभा पटल पर रखा गया है जिस में ताशकंद घोषणा के मुख्य उद्देश्य तथा उन कार्यों का ब्यौरा दिया गया है, जो ताशकंद घोषणा के परिपालन में किये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, व परिस्थितियां तथा पृष्ठ भूमि, जिन में भारत और पाकिस्तान के दो प्रधानों श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा राष्ट्रपति अयूब खां के बीच ताशकंद में भेंट हुई, सुविज्ञात हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्रीने सोवियत रुस के मंत्र-परिषद् के सभापति द्वारा दिये गये इस सुझाव को स्वीकार किया था कि वह ताशकंद जायं और राष्ट्रपति अयूब खां से बातचीत करें जिस से दो पड़ोसी देशों के आपसी सम्बन्धों में सुधार हो सके। उन्होंने गत अधिवेशन में अपनी इस इच्छा के बारे में कि वह ताशकंद जाना चाहते है, वक्तव्य भी दिया था तथा विभिन्न दलों के सदस्यों ने उन्हें सुझाव दिये थे। इस बारे में यही कहा जा सकता है कि विभाजन के बाद सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर भारत के इस प्रयत्न के बावजूद कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार हो, हमारे संबंध सदा तनावपूर्ण रहे है। स्थिति इतनी बिगड़ी कि भारत और पाकिस्तान में सशस्त्र संघर्ष हो गया। यह बड़े हर्ष का विषय है कि हमारी शस्त्र सेना ने अपूर्व वीरता, साहस एवं शौर्य के साथ देश की एकता तथा प्रभुसत्ता के लिये पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला किया। हमें उनपर सदा गर्व रहेगा। भारतीय जनता ने भी एक हो कर एक स्वर से पाकिस्तानी आक्रमण का विरोध किया। सारे देश में एकता की एक अपूर्व लहर दौड़ गई।

जब हम ताशकंद गये थे तो उस समय सुरक्षा परिषद की अपीलों के अनुसार पाकिस्तान तथा भारत द्वारा स्वीकार किये गये युद्ध-विराम के बावजूद स्थिति बड़ी तनावपूर्ण थी, हर क्षेत्र में युद्ध-विराम के दिन रात लगातार उल्लंघन हो रहे थे; और जहां तक मुझे याद है युद्ध-विराम के 1600 से 1700 उल्लंघनों के बारेमें हम संयुक्त राष्ट्र प्रक्षेकों को शिकायत कर चुके थे। दोनों देशों की सेनायें आमने सामने उठी खड़ी थी और सशस्त्र सैनिकों को पीछे हटाने के बारे में कोई लाभदायक बात चीत नहीं हो सकी थी। सभी ओर तनाव का वातावरण था।

ताशकंद जाने से पहले, प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने विचारों के बारे में इस सभा को तथा इस देश को अपने विश्वास में ले लिया था। राजनैतिक प्रश्न अर्थात जम्मू तथा काशमीर के बारे में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा जम्मू तथा काश्मीर की सर्व प्रयुत्ता पर बात चीत नहीं हो सकती। वह अपने इस कथन पर अडिग रहे तथा ताशकंद में बात चीत के दौरान उन्हें अपने मत से एक इंच भी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जम्मू तथा काशमीर के बारे में अलग राय हो सकती है, लेकिन हम अपनी इस राय की कि काशमीर भारत का अभिन्न अंग है किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकते। यदि पाकिस्तान ने अपना मत व्यक्त किया तो सम्मेता छोड़ कर भागेंगे नहीं, वरन् अपने मत पर आडिग रहेंगे। पाकिस्तान ने अपना मत व्यक्त किया परन्तु ताशकन्द समझौते में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि दोनों पक्षोंने जम्मू तथा काशमीर के प्रश्न पर अपनी अपनी स्थिति पर बता दिया था।

[श्री स्वर्ण सिंह]

आरम्भ में ही, श्री शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में वे उद्देश्य बताये थे जिन की पूर्ति के लिए वह ताशकंद गये थे। आरम्भिक अधिवेशन में अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि इस में कोई संदेह नहीं कि हमारे दोनों देशों के बीच बहुत से भेद भाव हैं। परन्तु यह सर्वमान्य है कि यदि हम प्रयत्न करें तो उन के होते हुये भी शांति से रह सकते है। हमें शक्ति के प्रयोग का त्याग करना चाहिये तथा अच्छे पड़ौसियों के सम्बन्ध बनाये रखने चाहिये ताकि दोनों देश अपनी आर्थिक समस्याओं पर ध्यान दे सकें। बल प्रयोग से कोई समस्या नहीं सुलझ सकती बल्कि और अधिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दोनों देशों के बीच शीतयुद्ध का जो वातावरण बना हुआ है उसे समाप्त किया जाना चाहिए। यदि हम रेडियो तथा समाचार पत्रों द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध विष उगलते रहे, तो चाहे हम जितना प्रयत्न करें, शांति स्थापना तो दूर, हमारे बीच सदा संघर्ष और तनाव का वातावरण तथा भय बना रहेगा। हमें आपसी सद्भाव से अपनी आर्थिक उन्नति करनी चाहिये। वास्तव में उन के कुछ विचार घोषणा में एक अथवा दूसरे रुप में रखे हुये हैं। उन्हें ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि शान्ति के वातावरण में ही दोनों देशों के अपने मत भेद दूर करने की दशा में वास्तविक प्रगति संभव है।

यदि ताशकंद घोषणा की जांच इस पृष्ठ भूमि में की जाये, तो मुझे विश्वास है कि यह सभा तथा देश यह स्वीकार करेगा कि प्रधान मंत्री ताशकंद कुछ स्पष्ट उद्देश्य लेकर गये थे और हमें गव है कि उन्होंने उन उद्देश्यों की पूर्णतः निभाया। उन के सामने तात्कालिक उद्देश्य उस प्रवृत्ति को उलटना था जिस ने दुर्भाग्य से भारत और पाकिस्तान के संबंध बिगाड़ रखे थे। पाकिस्तान का एक अलग राज्य स्थापित होने से बहुत सी समस्यायें पैदा हो गई है और मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं कि उन की आलोचना करना तो बहुत सरल है परन्तु उन के लिये कोई हल निकालना उतनाही कठिन है। वह न केवल इस बात के प्रति सचेत थे कि इस प्रवत्ति को उलटे बिना अच्छे सम्बन्ध तथा अच्छे पड़ौसियों के सम्बन्ध नहीं बन सकेंगे परन्तु उन के सामने आर्थिक संबंध बढ़ाने तथा उन्हें सुदृढ़ करने का विचार भी था। वह दोनों देशों के बीच विद्यमान प्रवृत्तियों को बदलने और शान्ति स्थापित करने के इच्छुक थे। वह ऐसा कोई रवैया अखत्यार नहीं करना चाहते थे कि जिस से बात चीत के लिये कोई दरवाज़ा खुला न रह सके। इस लिये इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिये यह आवश्यक था कि अपने मूल उद्देश्य पर डट रहते हुये हम ऐसा दृढ़ रवैया न अपनाये कि दूसरे पक्ष के लिये "न" कहने के अतिरिक्त कोई चारा न रहे। इस लिये कुछ सीमा तक यह समझौता लेन देन की भावना से किया गया है। हमारे लिये यह संभव नहीं था कि केवल हम दूसरे पक्ष को अपनी शर्तें मनवाते अथवा उन की कोई बात नहीं सुनते। यह आवश्यक था कि समझौता इस प्रकार हो कि दोनों पक्ष वाले अपने देशवासियों को कह सके कि यह ऐसा समझौता है जिस में किसी पक्ष की पराजय नहीं हुई है। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे इस पृष्ट भूमि में इस घोषणा पत्र पर विचार करें। यह समझौता ऐसा दस्तावीज़ नहीं है जिस का लेखक केवल मैं हूं, अपितु यह एक ऐसा दस्तावीज़ है जोकि दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर बनाया गया है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इस मामलो को पार्टी के रुप में न देखें। यह एक राष्ट्रीय मामला है। हम ने सारे देश के हित को देखना है। इस का राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिये, बल्कि लोगों की भलाई को दृष्टि में रखना चाहिये।

हमारी सशस्त्र सेनाओं की वापसी के बारे में औचित्य के विभिन्न पहलुओं पर संदेह प्रकट किया जा रहा है। इस बारे में मैं सभा का ध्यान श्री शास्त्री जी के उस पत्र की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने युद्धविराम के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव को 14 सितमबर, 1965 को लिखा था। उन्होंने अपने उक्त पत्र में यह स्पष्ट किया था कि सशस्त्र सेनाओं की युद्ध विराम लागू होने के बाद तब तक पीछे नहीं हटाया जा सकता जब तक कि हमें पूर्ण विश्वास न हो जाये कि आगे घुसपैठिया नहीं भेज जायेंगे तथा यदि घुसपैठ हुई तो हम उसे खत्म करने की कारगर स्थिति में नहीं होंगे। यह आश्वासन उन्होंने सभा में तथा सभा से बाहर भी दोहराये थे अतः वह इन पर पूर्णतः दृढ़ रहे हैं। ताशकंद घोषणा में तीन मुख्य बातें यह हैं :—विवादों को हल करने के लिये बल का प्रयोग न किया जाये ; एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न किया जाये तथा जम्मू और काश्मीर में यद्ध-विराम रेखा पर युद्ध विराम सन्धि

की शर्तों का पालन किया जाये। अब यदि इन शर्तों का पूर्ण निष्टा से पालन किया जाये, तो इस में कोई संदेह नहीं कि श्री शास्त्री द्वारा महासचिव को लिखे गये पत्र में जो शर्तें थी, वे शर्तें मानी गई हैं। संधि की इन शर्तों से सदस्यों के मन के सन्देह दूर हो जाने चाहिये।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : घुसपैठियों के बारे में क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : निश्चय ही सशस्त्र घुसपैठियों को भेजना, जैसा कि पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भेजे थे, इस सन्धि की शर्तों के आधीन आता है क्यों कि दूसरे के क्षेत्र में सशस्त्र घुस-पैठिया भेजना बल प्रयोग करना है। युद्ध विराम रेखा पर युद्ध-विराम की शर्तों का परिपालन एक महत्व पूर्ण प्रश्न है। पाकिस्तान ने ऊपर कही गई तीनों शर्तों को माना है। इन तीनों शर्तों में आवश्यक गारांटियों की पूर्ण व्यस्था है और घुसपैठिया भेजा इन शर्तों के आधीन आ जाता है।

दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने भी घुसपैठिये भेजने के अधिकार का दावा नहीं किया है। उन्होंने कभी इस बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि उन्होंने घुसपैठ भेजे है। हम ने सदा यह प्रयत्न किया कि उन्हें घुसपैठियों भेजने का जिम्मेदार ठहराया जाये। जब पाकिस्तान इन घुसपैठियों की जिम्मेदारी नहीं लेता है तथा ऐसा कोई दावा नहीं करता कि उसे घुसपैठिये भेजने का अधिकार है तथा उस ने सन्धि की शर्तों को जिस में बल प्रयोग न करना, युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना तथा एक दूसरे के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करना शामिल है, माना है तो यह स्पष्ट है कि घुसपैठिये भी सन्धि की शर्तों के आधीन आ जाते हैं।

जहां तक कारगील, हाजीपीर तथा टिथवाल से सेनाओं की वापसी का संबंध है, जैसा कि मेरे मित्र श्री चव्हाण तथा श्री शास्त्री जी ने भी सभा को बताया है हमारे सामने उपस्थित सैनिक स्थिति ने हमारे लिये यह आवश्यक बना दिया था कि कारगील, हाजीपीर तथा टिथवाल पर कब्जा किया जाये। पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में घुसपैठिये भेजे थे तथा वह न उन्हें वापिस बुलाने को तैयार था और न ही उन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार थे। अतः हमारे लिये इस के सिवा कोई चारा न था कि जिन स्थानों से ये घुसपैठिया आ रहे है उन पर कब्जा किया जाये। लद्दाख क्षेत्र में अपनी संचार लाइन कायम रखने के लिये हमें कारगील पर कब्जा करना पड़ा।

ये सब कार्रवाईयां हमने अपनी सीमाओं तथा सर्वप्रभुत्ता की रक्षा के लिये की गई थी। इन तीनों शर्तों पर सहमति हो जाने के बाद हमारा उन क्षेत्रों में रहना एक ऐसा प्रश्न था जिस के सम्बन्ध में हम ने बिना सोचे समझे निर्णय नहीं किया। सैनिक पहलू पर काफी ध्यान दिया गया है और हम सभी ने यह निर्णय किया है कि क्या हमारे लिए हाजीपीर, टिथवाल और कारगिल में रहना पाकिस्तान के लिये छम्ब, खेमकरण और राजस्थान में रहना और इन शर्तों पर सहमत होने के बाद हमारा लाहौर और सियालकोट में रहना उचित है। यह उचित नहीं था कि दोनों देशों की सेनाऐं आमने सामने पड़ी रहें। तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे, तथा युद्ध-विराम के उल्लंघन होते रहें। माननीय सदस्य इस संदर्भ में विचार करें तथा तनाव कम करने के लिये यह आवश्यक था कि इस समझौते के बाद सैनिकों को दोनों पक्ष वापस हटा लें। ये दोनों भारत तथा पाकिस्तान के हित में है कि तनाव कम किया जाये।

यह भय निराधार है कि सैनिकों की वापसी से हमारी प्रतिरक्षात्मक तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हम ने इस प्रश्न के हर पहलू पर विचार किया है और हम इस निर्णय पर पहुंचें है कि इससे हमारी रक्षात्मक तैयारियों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की बजाये हमारी सैनिक शक्ति बढ़ेगी।

ताशकंद घोषणा पत्र में मुख्यतः दो बातों पर जोर दिया गया है। इस का पहला उद्देश्य यह है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष के कारण जो विषमतायें पैदा हो गयी थी, उन्हें खत्म कर के सामान्य सम्बन्ध स्थापित किये जायें। यद्यपि सरकारी तौर पर हम ने पाकिस्तान से राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद नहीं किये गये थे, तो भी वस्तुतः हमारे राजनैतिक सम्बन्ध समाप्त हो चुके है। एक देश के विमानों को दूसरे देश के क्षेत्र पर से उड़ान करने की आज्ञा नहीं है। संचार व्यवस्था छिन्न भिन्न

[श्री स्वर्ण सिंह]

हो गई थी। बहुत सी और अन्य बातें हुई हैं। ताशकंद घोषणा में प्रयत्न किया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित किये जायें। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

इस समझौते के कारण दोनों देशों के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने की दशा में अविलम्ब परिणाम निकले हैं। हम ने सत्यनिष्ठा से उस का पालन करने का पक्का इरादा कर रखा है। हमारी नीति सदा शांति के पक्ष में रही है। यह शांति का संदेश है जिसे हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने अपनी अन्तिम भेंट के रूप में देश को दिया है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि ताशकंद घोषणा पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के सामने प्रस्ताव रखता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि ताशकंद घोषणा पर विचार किया जाये। श्री त्रिवेदी कुछ संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : सभा की प्रक्रिया संबंधी अपनी जानकारी के आधार पर मैं कहता हूं कि यदि इस प्रस्ताव को एक भी सदस्य का पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तो इसे पारित समझा जायगा। मंत्री महोदय के व्यक्तव्य में जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के कारगील, टिथवाल तथा हाजीपीर क्षेत्र से हम अपना कब्जा छोड़ रहे हैं। ये क्षेत्र हमारे नियंत्रण में न होते हुये भी सदा हमारी प्रभुसत्ता के अधीन थे क्योंकि हम घोषणा कर चुके हैं कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह क्षेत्र जम्मू तथा काश्मीर राज्य का भाग है। संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया है। हमारे राजनैतिक मानचित्रों में भी जम्मू तथा काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया है। हम ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को वापस लिया है। अतः इन क्षेत्रों की वापसी संविधान का उल्लंघन होगा क्योंकि संविधान के अनुसार देश की किसी भी भाग को तब तक छोड़ा नहीं जा सकता जब तक कि संविधान में संशोधन न किया जाय। जब बेरुबाड़ी क्षेत्र दिया गया था, तो संविधान में संशोधन (नौवां संशोधन) किया गया था। अतः यदि हम देश के किसी भाग को छोड़ना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन आवश्यक है।

मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह कारगील, हाजीपीर तथा टिथवाल क्षेत्र का कब्जा छोड़ना चाहते हैं। मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि संवैधानिक दृष्टि से कहता हूं कि यह प्रस्ताव नियमों के विपरीत है।

इस लिये मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम उन क्षेत्रों को छोड़ रहे हैं तो क्या यह प्रस्ताव प्रर्याप्ति है अथवा संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अधीन अन्य प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। अतः संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत ऐसा प्रस्ताव तभी पास समझा जाता है यदि उसे सदन को समस्त सदस्य-संख्या के तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई में अन्यून बहुमत प्राप्त हो। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह प्रस्ताव नियम बाह्य है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्रों की परिभाषा दी हुई है और इस अनुच्छेद का संशोधन संवैधानिक संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है। संघराज्य का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद एक के साथ पठित प्रथम अनुसूचि में दिया हुआ है। इस बारे में मैं अनुच्छेद 1 के उपखंड (3) का उल्लेख करता हूं, जिस में लिखा है :—

"भारत के राज्य क्षेत्र में—

(क) राज्यों के राज्य-क्षेत्र

(ख) प्रथम अनुसूचि में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्र, तथा

(ग) ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किये जाये समाविष्ट होंगे ।

संविधान की प्रथम अनुसूचि में दिया गया है कि वह राज्य क्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले जम्मू तथा काश्मीर के देशी राज्य में समाविष्ट थे, भारत के अंग हैं । हमने बार बार यह दावा किया है कि जम्मू तथा काश्मीर के देश भूतपूर्व देशी राज्य सब क्षेत्र भारत का भाग है और इसी आधार पर 1948 में संयुक्त राष्ट संघ में हमने कहा था कि पाकिस्तान ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के जिन क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किया है, वह उन्हें खाली कर दे ।

उच्चतम न्यायालय ने बारूबाड़ी के बारे में यह निर्णय किया था कि एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य राष्ट्रीय क्षेत्रों को छोड़ने के सम्बन्ध में संधि किस प्रकार करेगा और सन्धि करने के बाद कैसे लागू करेगा । इस प्रश्न को, देश के संविधान के उपबन्धों के अनुसार ही हल करना होगा ।

यदि सरकार ताशकंद घोषणा के प्रवर्त्तक भाग को लागू करना चाहती है तो उसे अवश्यही स्थिति स्पष्ट करने और वे परिस्थितियां बताने के लिये जिनके अन्तर्गत पाकिस्तान को राज्य-क्षेत्र दिया जा रहा है, संविधान में संशोधन करना होगा । या तो यह मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाये या सभा की इस महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले पर जिसके परिणाम दूरगामी होंगे महान्यायवादी के विचार सुनने का अधिकार दिया जाय ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I fully endorse the objection raised by the hon. Member. I want to point out that at present the motion is only to consider the Tashkent declaration. But whenever a motion is brought before the House for its consent to cede a part of Indian territory to Pakistan, its constitutional propriety will be examined.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं ताशकंद घोषणा के प्रवर्तक भाग के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गयी संवैधानिक आपत्तियों से सहमत हूं । मैं सभा का ध्यान पिछले सत्र में गृह मंत्री के उस उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने एक विशेष प्रश्न के उत्तर में दिया था और जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत संघ के उन कानूनों तथा संवैधानिक उपबन्धों को, जो जम्मू तथा काश्मीर पर लागू होते है, हाजीपीर, टिथवाल और कारगील पर लागू कर दिया गया है और वे क्षेत्र भारत संघ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य के क्षेत्राधिकार में है ।

अब हम टिथवाल, कारगील तथा हाजीपीर का कब्जा छोड़ना चाहते हैं, वहां से अपनी सेनाएं वापस बुला रहे हैं तथा वहां का क्षेत्राधिकार एक विदेशी राज के हाथ में सौंप रहे हैं, क्या यह वैधानिक है । सरकार संसद् की अनुमति के लिये बिना किसी क्षेत्र को भारत संघ से अलग नहीं कर सकती जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत निहित है । अतः यह भाग संविधान के विरुद्ध है ।

श्री दाजी (इन्दौर) : मेरी राय इस बारे में माननीय सदस्यों से भिन्न है । हम अपनी प्रभुसत्ता तथा हाजीपीर और अन्य क्षेत्रों से अपनी प्रभुसत्ता को नहीं त्याग रहे हैं । ऐसा कहना कि हम वहां से अपनी प्रभुसत्ता का त्याग कर रहे है पाकिस्तान को प्रोत्साहित करना है क्योंकि भविष्य में वह यह प्रश्न उठा सकता है । संविधान में संशोधन का प्रश्न तो तब उठेगा जब सरकार उस क्षेत्र को देने के लिये जिस पर हमारा कब्जा है सभा की अनुमति उसी प्रकार संविधान का संशोधन करके मांगेगी, जिस प्रकार बेरुबाड़ी के मामलो में मांगी गई थी । यह बात सर्वथा भिन्न है । अब केवल यह किया जा रहा है कि हम उन क्षेत्रों पर अपनी प्रभुसत्ता को छोड़ रहे है न कि विधि संबंधी प्रभुसत्ता को । हालांकि 5 अगस्त से पूर्व जब उस क्षेत्रों पर हमारा वास्तविक नियंत्रण नहीं था उस समय भी हम यही दावा करते थे कि उन क्षेत्रों पर हमारी प्रभुसत्ता

[श्री दाजी]

है और अब भी हमारा यही दावा है कि उन क्षेत्रों पर हमारी ही प्रभुसत्ता है। इस समय तो हम केवल वह स्थिति ला रहे हैं जोकि एक तारीख विशेष से पूर्व थी। किसी क्षेत्र पर वास्तविक रूप से कब्जा न होने के बावजूद भी हम उन क्षेत्रों पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा कर सकते हैं। अतः संविधान में संशोधन करने का प्रश्न तो तब उठेगा जब हम उन क्षेत्रों पर अपनी प्रभुसत्ता सदा के लिये छोड़ने की कोई बात करेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : विधितः सारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य भारत संघ का एक भाग है परन्तु वास्तव में इस राज्य के कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। हमारा सदा यही प्रयत्न रहा है कि इस मामले को सुलझाया जाय जिससे हम जम्मू तथा काश्मीर के उन क्षत्रों को भी अपने नियंत्रण में ले सकें। परन्तु दूसरी ओर पाकिस्तान का रवैया कुछ और रहा है जिस के फलस्वरूप उसने इस क्षेत्र को हथियाने के लिये इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया जिसमें उन्हें पछाड़ दिया गया।

तत्पश्चात दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने ताशकंद में यह निर्णय किया कि हमें एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किये बिना सभी आपसी विवाद शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने चाहिये। अभी इस बात का कुछ पता नहीं है कि बातचीत द्वारा इन समस्याओं को कैसे निपटाया जायेगा, ईश्वर न करे यदि हमें कुछ क्षेत्रों को अलग करना पड़ता है केवल तब ही संविधान में संशोधन करने का प्रश्न उठेगा। इस समय तो केवल हमें इस बात का निर्णय करना है कि क्या सरकार द्वारा किये गये इस समझौते का अनुमोदन किया जाय अथवा नहीं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : श्रीमान्, इस प्रश्न का, जिस पर अब विचार किया जा रहा है, सार यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत प्रभुसत्ता की धारणा का अर्थ क्या है। मैं श्री मुकर्जी तथा अन्य साम्यवादी मित्रों द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों से सहमत नहीं हूं कि हम जम्मू तथा काश्मीर के कुछ क्षेत्रों से जो अपनी सेनायें पीछे हटा रहे हैं तो इस से हम उन क्षेत्रों पर अपनी प्रभुसत्ता के दावे को नहीं त्याग रहे हैं और कि हमारी विधितः प्रभुसत्ता वैसे ही बनी रहेगी। वास्तव में यह स्थिति सही नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता का तीन प्रकार से त्याग किया जा सकता है, (एक) स्वीकृति व्यक्त कर के (दो) इरादे द्वारा तथा (तीन) आचरण द्वारा। प्रभुसत्ता का सार यह है कि हम अपनी इच्छा से किसी क्षेत्र में जा सकें और अपनी ही इच्छा से वहां से आ सकें। यदि कोई बलप्रयोग करके हमें वहां से निकालता है तो यह हमारी प्रभुसत्ता को चुनौती देना होगा। परन्तु जब हम उन क्षेत्रों को इस इरादे से छोड़ रहे हैं कि प्रतिपक्षी इस पर कब्जा कर लेगा और यह जानते हुए कि उसका कब्जा हो जाने पश्चात हम उन क्षेत्रों में अपनी इच्छा से जाने तथा वहां से अपनी इच्छा से आने के अपने मूलभूत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि हम अपने इरादे तथा आचरण द्वारा अपनी प्रभुसत्ता को त्याग रहे हैं, अतः यह कहना कि वहां से अपनी सेना हटाने के पश्चात भी उन क्षेत्रों पर हमारी विधितः प्रभुसत्ता बनी रहेगी, गलत है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत यह दलील सर्वथा अमान्य होगी।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : जहां तक ताशकंद समझौते का सम्बन्ध है, यदि मुझे बोलने का अवसर दिया गया तो मैं शायद इसका समर्थन करूंगा। परन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अपने राज्यक्षेत्र को अपने सम्पूर्ण प्रभुसत्व सम्पन्न नियंत्रण में ले लेने के पश्चात अपनी इच्छा से उन पर अपनी प्रभुसत्ता को त्यागने का अर्थ उन क्षेत्रों को अलग करना नहीं है चाहे हमने ऐसा अस्थायी रूप से ही क्यों न किया हो।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I would like to draw your attention to what the Minister of law of Pakistan stated in Lahore on 20th January that it was nothing but foolishness and ridiculous to think that a government might withdraw from a part of its own country and that that had no validity under any constitutional law. I am therefore, sure that this Tashkent Declaration would, in the long run, go against the Indian claim over Kashmir and would, on the other hand strengthen the Pakistani claim.

In view of this background, our late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri had been emphasizing in this House and outside that the areas liberated by us in Jammu and Kashmir, an integral part of India, was a part of that state and as such the question of withdrawal from those areas did not arise. Our withdrawal from those areas would not only tantamount to disrespect to the Parliament but also to the Constitution.

विधि-मंत्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : श्रीमान्, माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को श्रवण करने का सौभाग्य तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु जो कुछ में समझ पाया हूं वह यह है कि उनके अनुसार हाजीपीर, टिथवाल और कारगील से हटने का अर्थ उन क्षेत्रों को अपने देश से अलग करना है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रभुसत्ता का त्याग करना है।

श्री गोपाल स्वरुप पाठक : हां, प्रभुसत्ता का त्याग करना है। आशा है मैंने ठीक ही समझा है।

श्री हरि विष्णु कामत : अधिक की बजाय कुछ कम ही समझा है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It would be letter it the Hon. Minister first studies the entire discussion and then expresses his views.

श्री गोपाल स्वरुप पाठक : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो यहां वादविवाद हुआ है उसे में पहले पढ़ू तो में ऐसा करने के लिये तैयार हूं और में इस बारे में अपना वक्तव्य कल दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवत: यह अधिक अच्छा होगा कि वह पहले उन विचारों का अध्ययन कर लें जो यहां व्यक्त किये गये हैं और फिर अपने विचार व्यक्त करें। अभी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : श्रीमान्, प्रक्रिया के सम्बन्ध में में कुछ कहना चाहता हूं। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि इस समय जब हम एक ऐसे मामले की वैधता के बारे में विचार कर रहे हैं जोकि एक अन्तराष्ट्रीय महत्व का है और इस के साथ साथ अत्याधिक राष्ट्रीय महत्व का भी है, तब सरकार एक विधि सम्बन्धी प्रश्न पर अपना मत व्यक्त करने की स्थिति में ही नहीं है। जब कभी भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो देखा जाता है कि विधि मंत्री उपस्थित नहीं होते हैं। यह कोई साधारण मामला नहीं है। हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस का निर्णय किया जाये। मेरे विचार में सरकारी प्रतिनिधियों की सहायता के बिना ही आप इस मामले का निर्णय कर सकते हैं। यदि आप समझते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम सभा को स्थगित कर सकते हैं और इस सारे मामले का निर्णय कर लेने के पश्चात इस पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे ही निर्णय करना है तो मैं ऐसा करने के लिये तैयार हूं। मुझे इस मामले में किसी विधि मंत्री अथवा अन्य मंत्री की सलाह लेने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु मैंने सोचा था कि मुख्यतः . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : आप ने उन्हें यहां उपस्थित रहने के लिये कई बार कहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक अलग बात है। हम जानते हैं कि जब इस मामले पर वादविवाद हुआ था तो विधि मंत्री यहां उपस्थित नहीं थे (अन्तर्बाधा)। जब श्री जगन्नाथ राव उत्तर देने के लिये तयार थे तो माननीय सदस्यों ने इस पर आपत्ति की और कहा कि विधि मंत्री उत्तर दे। अब जब विधि मंत्री आये हैं तो अब कहा जा रहा है कि अन्य मंत्रियों ने वादविवाद का उत्तर दिया होता।

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने इस मामले पर विचार किया होता। सरकार के एक सदस्य होने के नाते उन्ह यह बताना है कि क्या यह मामला वैध है अथवा नहीं।

श्री गोपाल स्वरुप पाठक : कुछ माननीय सदस्यों की इच्छानुसार ही मैंने कल उत्तर देने की बात को माना था जिससे मैं इस पर विस्तार रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकु। यदि आप चाहते हैं तो मैं अभी अपने विचार व्यक्त करु तो मैं अभी कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस में कोई आपत्ति नहीं है यदि हम इस मामले पर अभी चर्चा जारी रखें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, यदि माननीय विधि मंत्री अभी अपना मत व्यक्त करने के लिये तैयार हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यह एक संवैधानिक प्रश्न है अतः हमें महान्यायवादी के विचारों को सुनने का भी अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अब हमें विधि मंत्री के विचारों को सुनना चाहिये।

श्री गोपाल स्वरुप पाठक : श्रीमान्, इस समझौते में ऐसा एक भी शब्द नहीं है जिसका यह अर्थ निकलता हो कि हमने किसी राज्य क्षेत्र को अलग करना है। इस में उल्लेख किया गया है कि एक बार युद्ध-विराम सम्बन्धी समझौता हुआ था। परन्तु पाकिस्तान ने युद्ध-विराम का उल्लंघन किया। इस समझौते के अनुसार जो पहले युद्ध-विराम रेखा थी उसे बहाल किया जाना है ताकि आपसी विवादो को बलप्रयोग करने की बजाय बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके। स्पष्ट है कि जो भी विवाद हैं उन पर अभी बातचीत होनी है। अभी तो हम केवल उस युद्ध-विराम रेखा तक पीछे हट रहे हैं जो वर्ष 1949 से विद्यमान है। इस समझौते में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि हम किसी क्षेत्र को खाली करेंगे।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : परन्तु सरकार ने तो यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इस राज्यक्षेत्र को छोड़ रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): We have not been able to understand as to what the hon. Minister is trying to say.

Shri Prakash Vir Shastri : It would be better if the hon. Minister first studies the whole discussion which have so far taken place here and then expresses his views.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Let us adjourn the House for half an hour.

Mr. Speaker : I would like to say some thing about this matter. The hon. Members are aware of this fact that since the inception of the Parliament, whenever the constitutionality or otherwise of a matter arises, the speaker never takes upon himself the responsibility of giving a verdict in the matter. The House has got the right to give approval to all the constitutional as well as the un-constitutional matters after taking into account all the arguments given for and against any matter. The government will have also to decide as to whether any bill is required to be passed in regard to this matter or not in the light of the views expressed in this House. If the Government does not do the needful then any person can take the matter to the Supreme Court for its verdict. But if the speaker give his verdict on any such constitutional point now and tomorrow it is set aside by the Supreme Court then an awkward position would be created. An awkward position would be created if something passed by this House was declared *ultra-vires* by the supreme court on the ground that it was unconstitutional.

I would only say that if any member who is affected by the present resolution wants to go to Supreme Court can do so. If any Hon. Member wants to express his views he can also do so. I can not give a decision on this and it is a matter where only Supreme Court can give a decision.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : एक बार पहले भी जब गो हत्या निरोधक विधेयक इस सभा के सम्मुख था तो ऐसा ही प्रश्न उत्पन्न हुआ था। उस समय अध्यक्ष महोदय ने महान्यायवादी को इस सभा में उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त करने को कहा था। यह सच है कि जो कोई भी इस कानून से प्रभावित होगा वह उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। परन्तु इस संकल्प के पास होते जो व्यक्ति इससे प्रभावित होगा वह न्यायालय में नहीं जा सकेगा क्योंकि संकल्प को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इसलिये अध्यक्ष महोदय को अपनी व्यवस्था देनी चाहिये चाहे वह कुछ भी हो।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस संकल्प से संविधान के किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता है तो इस को निश्चय ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मैंने व्यवस्था के प्रश्न के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मैं कुछ निर्णय नहीं दे सकता।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी व्यवस्था को स्वीकार करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि नियम 376 के उप-नियम (3) में स्पष्टतः दिया हुआ है कि यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष महोदय इस पर तुरन्त निर्णय देना चाहिये कि वह प्रश्न विशेष व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं। अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। आपने इस प्रश्न को यहां पर टाल दिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यदि संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध कोई काम होता है तो इस के लिये उच्चतम न्यायालय है और यदि भारतका कोई नागरिक इस मामले को उच्चतम न्यायालयमें उठाता है तो वह न्यायालय इस पर निर्णय देगी परन्तु जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है यदि सभी मामलों में आप जिन में व्यवस्था का प्रश्न इस आधार पर उठाया जाये कि इस से संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन होता है आप यदि कह दें कि मैं कुछ निर्णय नहीं दे सकता तो यह ठीक बात नहीं है।

11—19 L. S./66

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

आप यह कह सकते हैं कि क्योंकि मामला सन्देहजनक है इस लिये मैं इस पर कुछ निर्णय देने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो यह एक भिन्न बात होगी। इस बारे में मैं बेरुबादी वाले मामलों का उल्लेख कर देना चाहता हूं जहां तब के अध्यक्ष महोदय ने चर्चा करने का निर्णय दिया था।

अध्यक्ष महोदय : वह भी एक संकल्प था। आज तक इन 18 वर्षों में किसी अध्यक्ष ने भी इस प्रकार का निर्णय देने की जिम्मेदारी नहीं ली।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : अनुच्छेद 36 में इस सभा को जो प्रक्रिया बताई गई है उसी के अनुसार मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय देंगे मैं उस को स्वीकार करूंगा।

Shri Prakash Vir Shastri : I move amendment No. 1

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं संशोधन संख्या 5, 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कृ० चं० पंत : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशपाल सिंह : मैं संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मौर्य : मैं संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्र० के० देव : अध्यक्ष महोदय, गत सत्र के अन्तिम दिन मैंने अपने दल की ओर से बोलते हुए रुस के प्रधान मंत्री के प्रयत्नों का स्वागत किया था और प्रार्थना की थी, बातचीत में सफलता हो।

यद्यपि प्रारम्भ में ऐसा लगता था कि बातचीत टूट जायेगी परन्तु रुस के प्रधान मंत्री के भरसक प्रयत्नों से यह बातचीत सफल हुई है। इस सफलता के लिये मैं उनका स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री शास्त्री का और राष्ट्रपति अयूब का धन्यवाद करता हूं।

शास्त्रीजी ने शान्ति के लिये अपना जीवन बलिदान कर दिया है। हम आशा करते हैं कि इस समझौते से भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों के बीच एक नया अध्याय शुरू होगा और इस से दोनों देश लोक कल्याण और प्रगति के मार्ग अग्रसर होंगे। परन्तु फिर भी इस समझौते की सफलता का अनुमान भविष्यकी घटनाओं से ही लगाया जायेगा।

इस समझौते का चीन के अतिरिक्त सभी देशों ने स्वागत किया है।

मैं तो यह कहूंगा कि इस समझौते से न तो किसी देश की शतप्रतिशत विजय और न शत प्रतिशत हार हुई। इस समझौते से दोनों देशों में राजनैतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे। एक दूसरे को आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा और एक दूसरे के विरुद्ध प्रापोगण्डा बन्द हो जायेगा। इस समझौते पर चीन के विस्तारवादी रवैयो को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाना चाहिये। चीन से सारे एशिया की स्वतन्त्रता को खतरा है। इस समझौते पर पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई मित्रता को ध्यान में रखकर भी विचार किया जाना चाहिये।

इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और 18 वर्षों की घृणा के बाद यह स्वाभाविक ही है कि इस निर्णय को दोनों देशों के लोग पूरी तरह स्वीकार न करें। प्रधान मंत्री ने इस सभा में और इससे बाहर भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह कि काश्मीर के किसी भाग को दिया नहीं जायेगा। फिर भी हमने एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये हैं जिसके अन्तर्गत हमें अपने कुछ प्रदेशों से पीछे हटना पड़ता है। सांवैधानिक दृष्टि से ऐसा करना कहां तक उचित है या नहीं है इस संबंध में तो मैं अधिक नहीं जानता हूं। इसलिये मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमें किन्हीं भी परिस्थितियों में पीछे नहीं हटना है। मैं तो समझता हूं कि यह केवल पूर्व स्थिति की ही बहाली है। जब मैं इस प्रकार की बातें सुनता हूं तो मुझे इनमें कोई तर्क नहीं दिखाई देता। इनमें कायरता टपकती है और मुझे दुरयोधन की आवाज़ सुनाई देती है। जब भगवान कृष्ण दुरयोधन के पास मध्यस्थ निर्णय के लिये गये तो उन्होंने दुरयोधन से कहा केवल पांच गांव छोड़ दो और सारी कठिनाइयां का अन्त हो जायेगा। तब दुरयोधन ने कहा था कि किसी भी हालत में एक इंच भी भूमि नहीं दी जायेगी। उसके बाद जो विपत्ति आई, महाभारत को युद्ध, उसको आप सब जानते हैं। यदि दुरयोधन ने भगवान कृष्ण की बात मानी होती तो महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था।

मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि कानूनी रूप से काश्मीर भारत का अंग है, परन्तु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। अब तक हमने युद्धविराम रेखा का पालन किया है। और जैसा कि मैंने बताया समझौते में केवल यथापूर्व स्थिति की बहाली और संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प के अनुसार बातचीत द्वारा झगड़ों को समाप्त करने की व्यवस्था है।

हमें वास्तविकता का सामना करना है। और हमारे पास क्या चारा है। दूसरा विकल्प है निरन्तर युद्ध। श्री भूट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान हजार वर्ष तक लड़ेगा। क्या हम भी ऐसा कहने के लिये तैयार हैं। क्या हम अपने सारे संसाधनों को आर्थिक पुनर्गठन में न लगा कर केवल प्रतिरक्षा में लगाना चाहते हैं। यह असंभव है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ौसी हैं। यह समझौता देश के हित को ध्यान में रख कर किया गया है।

अब प्रश्न यह किया जाता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में पाकिस्तान आक्रमण नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इस समझौते का स्वागत किया है। हमारे बड़े पड़ोसी रूस के लिये भी यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है और मैं नहीं समझता कि भारत पर कोई आक्रमण हो सकता है।

एक शंका यह प्रकट की जाती है कि क्या ऐसा करना आक्रमणकारी को खुश करने के बराबर नहीं है। क्या इससे हमारी सेना के हौसले गिर नहीं जायेंगे? मेरा उत्तर है 'नहीं'। हमारी सेनाओं ने स्वयं पाकिस्तान की भूमि पर अनेक लड़ाइयां जीती हैं और अपना शौर्य दिखाया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि हमारी सैनिक शक्ति पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। हमने युद्ध को जीता है और अब हमें शांति को जीतना चाहिये। हमारी शांति एक वीर पुरुष की शांति है। और इसके लिये जब तक बाद की कार्यवाही नहीं की जायेगी हो सकता है तनाव बढ़ जाये।

हमारे दल के नेता ने राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर एक संशोधन रखा है। वह इस प्रकार है:

"परन्तु खेद है कि—.......

(घ) अभिभाषण में भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रता के लिये एक आर्थिक आधार के निर्माण द्वारा ताशकंद समझौते की क्रियान्विति का कोई जिक्र नहीं किया गया है......."

[श्री प्र० के० देव]

मुझे विश्वास है कि यदि आर्थिक पुनर्निमाण में हमारे संसाधनों को ठीक तरह लगाया जाये तो दोनों देश की जनता को करों के बोझ में काफी राहत मिलेगी। आर्थिक सहयोग द्वारा हम एक साझा बाजार बना सकते हैं। आपसी हित के लिये हमें अपने संसाधनों को इकट्ठा करना चाहिये। चीन के विरुद्ध दोनों देश एक संयुक्त प्रतिरक्षा करार कर सकते हैं। डा० लोहिया ने एक संघ (Confederation) बनाने पर प्रायः जोर दिया है। मैं तो एक कदम और आगे जाता हूं और कहता हूं कि ये दोनों राष्ट्र फिर से एक हो सकते हैं। आखिर हम एक ही राष्ट्र हैं। जबकि लोगों के विचारों में आज धीरे धीरे एक नये विश्व समाज का विकास हो रहा है मैं अखण्ड भारत वर्ष का स्वप्न देख रहा हूं। इसको हम केवल प्यार और मित्रता से प्राप्त कर सकते हैं। न कि घृणा से।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : ताशकन्द घोषणा में हमने शांति और मित्रता के बुनियादी उद्देश्यों को रखा है और हमें उनका पालन करना चाहिये। अगस्त सितम्बर, 1965 में भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि यदि पाकिस्तान बल प्रयोग से हमें कुछ हड़पना चाहता है तो उसका जवाब ताकत से दिया जायेगा, हमने यह साफ कर दिया था कि हमारी नियत पाकिस्तान की एक भी इंच भूमि को हड़पने की नहीं है। ताशकन्द का शांति समझौता हमारे लिये बड़ी सफलता है।

सोवियत प्रधान मंत्री श्री कोसिजिन के प्रथम प्रयत्नों के कारण ही ताशकन्द समझौता सफल हो सका है। यह देश इसके लिये सोवियत संघ का आभारी है। रुस हमारा सच्चा मित्र है। श्री कोसिजिन ने दिल्ली में इसको दोहराया था भारत हमारा मित्र और भाई है।

आपसी झगड़ों को निपटाने के लिये बलप्रयोग न करना शांति की जीत है। अपनी सेनाओं को पीछे हटाना भारत के लिये भी उचित है क्योंकि पाकिस्तान न केवल अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिये ही राजी हो गया है अपितु वह सेनाओं की वापसी के बाद युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेगा और हमारे भीतरी मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। यदि ताशकन्द समझौते का पालन नहीं किया गया तो बड़ी गम्भीर कठिनाइयों के पैदा हो जाने का भय है और तब साम्राज्यवादी ताकतों को अपनी चालें खेलने का अवसर मिल जायेगा और हम फिर उनके फन्दे से कभी भी निकल नहीं पायेंगे।

ब्रिटेन ने हमेशा ही भारत की स्वतन्त्रता का विरोध किया है और पाकिस्तान का साथ दिया है। मौलाना आजाद ने लिखा है कि ब्रिटेन पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध एक ब्रिटिश अड्डे के रूप में प्रयोग करना चाहता है।

जहां तक अमरीका का संबंध है वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिये इस भाग में हस्तक्षेप करना चाहता है और उसके अपने अनुमान के अनुसार वह पाकिस्तान से तो अपनी बात मनवा सकता है परन्तु भारत से नहीं।

1947 में ब्रिटेन और अमरीका के शरारतपूर्ण रवैये और हमारी गलती के कारण देश के टुकड़े हो गये। ब्रिटेन और अमरीका यह नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान फलें और फूलें और यहां पर आर्थिक विकास हो। अमरीका की यह नीति है कि एशिया के देशों को आपस में लड़ाया जाये। अमरीका की संसद में यह बात कही गई है कि एक पाकिस्तानी सिपाही को बन्दुक देना अधिक सस्ता है क्योंकि इस पर केवल 10 डालर खर्च होते हैं जब कि एक अमरीकी सिपाही को भेजने का खर्च 5000 डालर है।

अमरीका ने भारत को भी सैनिक संधि के जाल में फंसाने का प्रयत्न किया था, परन्तु भारत ने कोई सैनिक संधि करने से इनकार कर दिया। अमरीका ने भारत को आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान को दिये गये परमाणु शस्त्रों का भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा। परन्तु यह आश्वासन झूठा निकला।

यदि हमारे कोई मतभेद हैं तो उनको बातचीत द्वारा दूर किया जा सकता है। और इसके लिये अब अमरीका के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सारे संसार ने ताशकन्द घोषणा का स्वागत किया है। हमारे उन सीमावर्ती राज्योंने भी इसका स्वागत किया है जिन्हें अगस्त-सितम्बर की लड़ाई में बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी थीं। काश्मीर ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। हम नहीं चाहते कि हमारे दोनों देशों के बीच शत्रुता के संबंध रहें।

हाजीपीर दर्रे और टिठवाल और कारगिल क्षेत्रों से सेना को पीछे हटाने के प्रश्न पर जो आपत्ति उठाई जा रही है मैं उसको नहीं समझ पाया हूं। यदि पाकिस्तान घुसपैठियों को भेजना चाहे तो अन्य सैकड़ों मार्ग से भेज सकता है। परन्तु करार में यह स्पष्ट रूप से तय किया गया है कि इस प्रकार की बात को नहीं दोहराया जायेगा। इस पर रूस के प्रधान मंत्री के भी हस्ताक्षर हैं।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री प्र० के० देव ने कहा है, मैं कहूंगा कि सरकार को इस मामले में और भी पहल करनी चाहिये और ताशकंद समझौते से पूरा फायदा उठाना चाहिये। केवल इतना ही काफी नहीं है कि कोई समझौता सा हो गया और दोनों देशों में लड़ाई बन्द हो गई। यदि तनाव बना रहेगा, यदि दिलों में लड़ाई जसी हालत ही बनी रहेगी तो अवश्य ही सारी स्थिति दूषित तथा संदिग्ध बनी रहेगी। अतः यह आवश्यक है कि हमारे दो देशों के बीच मित्रता के संबंध सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार ठोस कदम उठाये। अब हमारे दो देशों के बीच विद्यार्थियों, लेखकों, पत्रकारों, अध्यापकों, सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डलों और यहां तक कि संसदीय प्रतिनिधि मंडलों की अदला-बदली वास्तविक लगन के साथ की जा सकती है। ऐसी चीजें अवश्य ही होनी चाहियें। आर्थिक पहलू के सम्बन्ध में जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन पर कार्यवाही अवश्य ही होनी चाहिये।

इन दो देशों की अर्थ-व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है। इस पहलू को दखते हुए एक प्रकार का सीमा शुल्क समझौता होना अत्यावश्यक है परन्तु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि तने देशों के साथ सांस्कृतिक प्रतिनिधि-मण्डलों, विद्यार्थियों और अध्यापकों के अदला-बदली के बावजूद, पाकिस्तान के साथ अच्छे समय में भी ऐसी अदल-बदल उतनी नहीं हुई जितनी आवश्यक थी।

बंगाल में लोग जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगला भाषा व साहित्य और रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रति बल्कि उससे नीची श्रेणी के लेखकों के प्रति भी कितनी आदरपूर्ण भावना है। उन की रचनायें पूर्वी बंगाल में बड़े चाव के साथ पढ़ी जाती हैं। ढाका में टैगोर उत्सव जिस पैमाने पर मनाया जाता है, कहीं और शायद ही मनाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में कवि नज़रुल-इस्लाम को राष्ट्रीय महत्व का स्थान प्राप्त है। इक़बाल को, जिन्होंने, "हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा" लिखा है, हम सब ही जानते हैं। यह उन्होंने किसी समय लिखा था। बाद में समय बदल गया है परन्तु हम दोनों में कुछ मौलिक एकता है जिस के द्वारा हम यह देख सकते हैं कि हम दो राज्य होते हुए भी हमारे बीच कुछ समानतायें हैं जिनको आधार मानकर हम दिलों व दिमाग़ों का एक प्रकार का संगठन बना सकते हैं। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें सरकार को ताशकन्द समझौते के बाद पहल करनी चाहिये।

ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद 8 में एक मामले का उल्लेख है कि भारत के प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हैं कि दोनों पक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे जिस से लोगों का निष्क्रमण रुक सके। और वे शरणार्थियों से सम्बन्धित समस्याओं और बेदखली तथा अवैध प्रवेश के प्रश्नों पर बातचीत करते रहेंगे।

शायद हमारे दो देशों के बीच एक प्रकार का समझौता होना चाहिये जिस से हम एक उदारता की नीति अपनायें ताकि दोनों ओर अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार हो और अधिक निष्क्रमण न हो।

मैं यह बात बार बार और बल देकर कहना चाहता हूं कि विभाजन के बाद पाकिस्तान का बनना हममें से बहुतों के लिये हृदयविदारक घटना रही है। बंगाल में पद्मा व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचाई होने वाले क्षेत्र को, जोकि रविन्द्रनाथ ठाकुर की अनेक कहानियों की कथावस्तु का स्थल रहा है, बंगाल का अंग न मानना कितना कठिन है। उर्दू के शायर मीर ने लिखा है :

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

"दिल ढहा के जो काबा बनाया तो क्या किया ।"

हमें आजादी मिल चुकी है। दोनों देश स्वतंत्र राज्य हैं। परन्तु दिल इस लिये टटा है कि दोनों देश दोस्ती से नहीं रह सके हैं। मैं नहीं मानता कि हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। आज भी इस सरकार की शासन में लोग पाकिस्तान से किसी समय सहानभूति रखने के कारण जेल में पड़ हैं। श्री बदरुद्दुजा व श्री गोपालन यहां नहीं हैं। मैं जीवन के आखिरी क्षण तक यह मानने को तयार नहीं कि यह दोनों गद्दार हैं। ताशकन्द समझौते के बाद भी एसी घटनायें होने का कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि वह ताशकन्द समझौते की भावना को यथार्थ बनायें और हमें उन नीतियों को अपनाना चाहिये जिनसे देश में सामंजस्य की भावना बढ़े। हमें यह महसूस करना चाहिये कि हम मानव पहले हैं, किसी देश के या राज्य के नागरिक बाद में।

एक मामला और है जिसकी ोर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह चीन से सम्बद्ध है। मेरे मित्र श्री रंगा ने कहा है कि चीन हमारा परम शत्रु है इसलिये उसे नष्ट करने के लिये हमें पाकिस्तान से और किसी ओर से भी मेल करना होगा।

लोकसभा सचिवालय ने हम लोगों को एक सुन्दर पुस्तिका दी है जिसमें प्रधान मंत्री का ब्राडकास्ट भी छपा है। उस में एक बहुत सुन्दर कथन है कि :

"हम अपने पड़ोसियों से बहुत मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते हैं और अपने झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से सुलझाना चाहते हैं। ताशकन्द घोषणा इन भावों की अभिव्यक्ति है। हम उसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित करेंगे।"

चीन के साथ झगड़ा भी एक पड़ोसी से झगड़ा है और उसे भी शान्ति से सुलझाना चाहिये। चीन का रवैया अत्यधिक प्रतिकूल है, फिर भी, कोई कारण नहीं कि हम इस मामले में पहल न करें। कोई कारण नहीं कि दूसरे देश हमारी सहायता न करें।

हमें भविष्य से आशायें हैं। सम्पूर्ण मानव जाति का चौथाई भाग चीन में रहता है। चीन गणराज्य एक शक्ति का प्रतीक है। अत: चीन की ओर से घोर उत्तेजना के होते हुए हमें दो बातें ध्यान में रखनी हैं। पहली यह कि हमें अपने देश की एकता की रक्षा के लिये दृढ़ रहना है साथ ही शान्तिपूर्ण समझौते के लिये भी दृढ़ रहना है। प्रधान मंत्री का वक्तव्य मेरी धारणा को बल देता है कि ताशकन्द समझौते के बारे में सरकार की नीति ठोस है और वह अपने सब पड़ोसी देशों से शान्तिपूर्ण ढंग से झगड़े निबटाना चाहती हैं। भारत-पाकिस्तान शत्रुता भारत की सफलताओं के लिये घातक है। यह हमारे लिये चुनौती है। हमारी आशायें तब ही पूरी हो सकती हैं जब सरकार ताशकन्द घोषणा के तात्पर्यों का सचाई से अनुसरण करे।

श्री कृ० चं० पंत (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :—

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह रखा जाये, अर्थात:—

'कि यह सभा, ताशकंद घोषणा पर विचार करने के पश्चात् उस सम्बन्ध में भारत सरकार के दृष्टिकोण का अनुमोदन करती है।"

जो दो माननीय सदस्य मुझसे पहले बोल चुके हैं वे देश के राजनीतिक जीवन के चरम दृष्टिकोणों के प्रतिनिधि हैं। फिर भी उन्होंने ताशकंद घोषणा का समर्थन किया है। ताशकंद घोषणा के पीछे इन दो देशों के बीच वर्षों का संघर्ष है और इन वर्षों में विशेषत: भारत द्वारा कई प्रयत्न हुए हैं जिससे कि झगड़े बिना बल प्रयोग के सुलझ सकें। ताशकंद घोषणा की एक विशेष बात यही है कि अंत में इस प्रश्न पर एक समझौता हो सका है। ऐसे खून खराबे के बाद इस समझौते का महत्व और भी ज्यादा है।

परन्तु ताशकंद घोषणा भारत और पाकिस्तान के बीच सम्पूर्ण समस्याओं का हल नहीं है । जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि ताशकंद घोषणा की सफलता इस बात पर निर्भर है कि दोनों देशों ने बलप्रयोग न करने और अपने झगड़ों को शांति द्वारा सुलझाने का समझौता किया है ।

हम 5 अगस्त 1965 से शुरू होने वाली सारी घटनाओं से परिचित हैं । दोनों देशों की सेनाओं में संघर्ष हुआ और भारतीय सेना ने अच्छा काम दिखाया । उस संघर्ष की विशेष बात यह थी कि भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिये दृढ़ता से मुकाबिला किया और भारत में मुक़ाबले के लिये शक्ति थी ।

ताशकंद घोषणा को पराजित पाकिस्तान से मनवाई गई शर्तें समझना गलत है । हमारे राष्ट्र-पति महोदय के अनुसार ताश्कन्द घोषणा में पारस्परिक आदान-प्रदान और समझौते की भावना निहित है ।

यह बहुत संतोष की बात है कि समझौते में उल्लिखित विभिन्न उपबन्धों पर दोनों पक्ष कार्यवाही कर रहे हैं । इस तरह तनाव कुछ कम हुआ है । दोनों देशों के नेताओं ने ताशकंद घोषणा की भावना का स्वागत किया है हालांकि दोनों देशों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विरोध करते हैं ।

दूसरा तत्व जो घटनाओं की पृष्ठभमि में है, वह सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव है जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों को पहले लड़ाई बन्दी करनी थी और उसके बाद 5 अगस्त 1965 की स्थिति पर दोनों पक्षों की सैनाओं को वापस जाना था । न केवल अमेरिका व रूस बल्कि सुरक्षा परिषद् के सब सदस्य इस संकल्प के समर्थक थे । सुरक्षा परिषद् को इस संकल्प को कार्यान्वित कराने में कोई कठिनाई हो रही थी और ऐसी स्थिति में रूस ने ताशकन्द वार्ता के लिये क़दम उठाया था ।

हम ताशकंद वार्ता के लिये क्यों राजी हुए ? प्रथम, हमें रूस पर विश्वास था । सुरक्षा परिषद् में रूस हमारा समर्थक था और बाहर काश्मीर के सवाल पर भी । वैसे भी रूस के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है । दूसरे सुरक्षा परिषद् पहले से ही काश्मीर के प्रश्न से परिचित थी और वहां इस प्रश्न पर फिर एक बार चर्चा होनी थी । इसलिये यह अच्छा था कि मित्र देश रूस की उपस्थिति में जो काश्मीर के संबंध में हमारे पक्ष को मानता है यह चर्चा होती ।

ताशकंद घोषणा का दीर्घकालीन महत्व इस बात में है कि रूस एशिया में अपनी उपस्थिति को जताना चाहता था । भारत ने इसका स्वागत किया जबकि चीन से इसके स्वागत की आशा नहीं थी । चीन ने ताशकंद वार्ता को भंग करने की बराबर कोशिश की थी और वार्ता की स लता उस देश के लिये पराजय की बात है । परन्तु चीन इस संबंध में अपवाद है । अन्तर्राष्ट्रीय मत भारत व पाकिस्तान के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के हक़ में है ।

पिछले वर्ष मुझे संयुक्त राष्ट्र में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । मुझे वहां कई देशों के प्रतिनिधियों से बात ीत करने का अवसर मिला । उन में से अधिकांश देश काश्मीर समस्या से तंग आ चुके थे और करीब करीब सभी देश यह चाहते थे कि दोनों देश अपने झगड़ों को शान्ति से सुलझा लें । हाल के संघर्ष के बाद मुझे उनके रवैये में कुछ तबदीली महसूस हो रही है । अब और देश भी यह समझ गये हैं कि जनमत संग्रह कोई हल नहीं है । हल केवल सैनिक अथवा राजनैतिक माध्यम से ही हो सकता है । हर समस्या को एक दिन सुलझाना है और संसार में बलसे बातों को कहीं अधिक मान्यता दी जाती है । भारत भी इसी पक्ष में है । ताशकन्द के लिये प्रस्थान के समय प्रधान मंत्री की भी यही भावना थी कि अत्यावश्यक हितों को छोड़कर जहां तक हो सके , ताशकंद वार्ता को विफल न होने दिया जाये ।

श्री बड़े (खारगोन) : विरोधी पक्ष का यह आश्वासन नहीं है ।

श्री कृ० चं० पंत : मैंने 'अत्यावश्यक हितों को छोड़कर' कहा है। यह अत्यावश्यक हित जम्मू और काश्मीर राज्यों तथा सीमा सुरक्षा से संबंधित हैं। मैं समझता हूं कि श्री बड़े इससे सहमत हैं। जहां तक काश्मीर की स्थिति का प्रश्न है, हम अपने पिछले निश्चय पर अटल है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह जानते हुए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस की यह प्रबल इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनकी यह धारणा न बन जाये कि ताशकंद घोषणा से हम काश्मीर के सवाल पर अपने मूलभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन करेंगे। मेरा मतलब यह नहीं है कि कोई दबाव डाला गया है परन्तु जिन परिस्थितियों में हम हैं उनके अनुसार हम हर तरह के दबाव के लिये खुले हुए हैं। हमें एक तरफ चीन से खतरा है जिसका हम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि अभी और कुछ वर्षों के लिये हमें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। हमें इन दबाव के प्रश्नों का ठीक ठीक अनुमान लगा लेना चाहिये और हमें सतर्क रहना चाहिये।

अब मैं सीमा सुरक्षा का प्रश्न उठाता हूं। चरम आशावादी यह नहीं चाहेगा कि सरकार अपनी सतर्कता में ढील कर दे या सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था में ताशकंद घोषणा के कारण कोई कमी कर दे। आत्मतुष्टि के लिय कोई स्थान नहीं है। मैं आशा करता हूं श्री बड़े मुझ से सहमत होंगे। ताशकंद घोषणा से जहां भारत व पाकिस्तान के बीच मेल, सहयोग तथा शान्ति का नया अध्याय प्रारम्भ होता है वहां पर सुरक्षा परिषद् के संकल्प के प्रथम भाग को भी कार्यान्वित करता है। इस घोषणा तथा सुरक्षा परिषद् के संकल्प में दोनों सेनाओं को 5 अगस्त की स्थिति तक पीछे हटाने के लिये निर्देश है। हमें 5 अगस्त की स्थिति तक हटने के लिये इन्कार करना इस कारण ही कठिन न था कि विश्वजनमत उसके पक्ष में था बल्कि छम्ब में हमारे सामने कुछ समस्यायें भी थीं। दूसरी बात यह है कि यदि हमें 5 अगस्त की स्थिति पर हटना ही था तो अच्छा यही था कि ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत मधुरता से हटते न कि सुरक्षा परिषद् के दबाव के कारण बदमजगी से पीछे हटते।

पाकिस्तान की ओरसे आक्रमण न होने के लिये केवल एक ही गारंटी हो सकती है और वह है हमारी ताकत। यदि घुसपैठिये आयें तो उन्हें गोली मार दी जाये यही एक गारंटी हो सकती है।

अंत में मैं यह कहूंगा कि ताशकंद घोषणा को सारे संसार में एक कूट नैतिक कदम माना गया है। हमारे लिये यह इस से भी कुछ अधिक है। यह वह अंतिम वचन है जिससे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने हमारे देश को बांध दिया। उन्होंने देश को अपनी शक्ति में तथा अपनी प्रतिरक्षा की योग्यता में फिर एक बार विश्वास उत्पन्न कराया। हमें उस निष्ठा व विश्वास में कमी नहीं आने देना चाहिये। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे प्रधान मंत्री जिन्होंने उस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, एक ईमानदार, सच्चे तथा उच्च कोटि के कर्तव्य-निष्ट व्यक्ति थे। संघर्ष के समय भी उन्होंने देश का नेतृत्व निडर होकर किया था। हमें अपने से पूछना चाहिये कि क्या ऐसा व्यक्ति हमें धोखा दे सकता था ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Deputy Speaker, Sir, Shri Shastri sent Indian forces to fight for the honour of the country and he laid down his life in Tashkent for the honour of the country. I feel Tashkent Declaration is an historic agreement. It has promoted the cause of peace not only in Asia but also in the world. It has emphasised that the problems between one country and the other can be solved on the negotiation table without going to war. The success of our late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri lies in the fact that he persuaded the country, which considered the use of force important for the solution of her problems, to agree not to use force. The main achievement of the agreement is the declaration to renounce the use of force for the solution of disputes between the two countries. As far as our country is concerned, our position remains the same because we never wanted to use any force. On the other hand, Pakistan has always laid stress on the use of force. It is a great achievement that she has agreed to renounce the use of force.

Certain people are misleading the public by raising different questions. They are saying that the Government is going back on its words by agreeing to withdraw from Haji Pir, Kargil and Tithwal. We should remember that the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, clearly told the U.N. Secretary General in September last year that our forces would continue to fight until Pakistan does not realise that the problems cannot be solved by the use of force and until the doors for infiltrators are not closed. On the other hand, Pakistan had laid the condition that her forces would not withdraw unless the Kashmir dispute is solved or a machinery created for that purpose. We should judge the Tashkent declaration in that background. In this agreement our conditions have been fulfilled and not that of Pakistan.

I am surprised to find that there are certain Members who think that an indivisible part of this country has been agreed to be given to Pakistan. I would like to draw your attention to Article 'B' of the Declaration under which Pakistan has agreed not to interfere with the internal affairs of India. The question of infiltrators has been covered under this article.

We hope that Pakistan will honour this agreement but if she chooses the other way, we will give a fitting reply as we did some months ago.

A question has been raised about its effect on Jammu and Kashmir. Our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi has said repeatedly that it will have no effect on Kashmir. Jammu and Kashmir will continue to be an integral part of India.

We will continue to be vigilant on our borders. The doubts raised by certain persons about our security arrangements, on the border are unfounded. We will not do anything which may endanger the sovereignty, integrity and honour of the country. Tashkent agreement does not affect that position. This agreement is a great achievement of our beloved leader and Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri. We will honour and support it with all our might. That will be our best tribute to the departed leader.

The question before us is the establishment of peace in the world. We should have friendly relations with neighbouring countries. Our late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, has given us the principle that we believe in peaceful co-existance. Shri Lal Bahadur Shastri gave this principle a practical shape by signing the Tashkent Declaration. It is our duty to honour this agreement.

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

The whole world has welcomed this agreement. We also welcome the views of the Prime Minister regarding having peaceful relations with China. She has also said that nothing will be done which is detrimental to our honour. Our Prime Minister should take courageous steps in this direction.

श्री उ० मु० त्रिवेदी : इस चर्चा का देश के भविष्य पर दूरवर्ती प्रभाव पड़ेगा। सरकार जानती है कि वह क्या गलती कर रही है। स्पष्ट रूप से यह कार्यवाही गलत है। भारत में युद्ध कोई नहीं चाहता है। हम ने पाकिस्तान से कई बार युद्ध न करने का प्रस्ताव किया है परन्तु पाकिस्तान ने यह कभी नहीं माना और हमें युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप युद्ध-विराम हुआ। हमें 1947 से युद्ध-विराम का अनुभव है। और हमें यह अनुभव फिर हो रहा है। पिछले 18 वर्षों से यह समझ कर कि पाकिस्तान शान्ति चाहता है, हमारी सरकार गलती कर रही है, पाकिस्तान

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]
हमारे विरुद्ध एक के बाद दूसरी शरारत कर रहा है । जब हमने उसे अपने बल का परिचय दिया तभी उसने शान्ति की वार्ता करना उचित समझा । यह शान्ति धोखेबाज़ व्यक्ति की शान्ति है, न कि ईमानदार व्यक्ति की ।

26 अक्तूबर, 1947 को जम्मू तथा काश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे, हमारे देश ने यह विलय स्वीकार कर लिया है । देश यह मानने को तैयार नहीं कि वह विलय पूर्ण नहीं है । अक्तूबर, 1949 में जम्मू तथा काश्मीर की विधान सभा ने उस राज्य का संविधान स्वीकार किया और उसमें घोषणा की कि वह राज्य भारत का अभिन्न अंग है । इस सभा में बार बार घोषणा की गई है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है । हम एक क्षण के लिए भी वे क्षेत्र छोड़ नहीं सकते जो हमारे हैं और जिनको हमने वापिस लिया है । हम सियालकोट और लाहौर तो वापिस दे सकते हैं और छम्ब तथा खेमकरन वापिस ले सकते है परंतु हाजी पीर, करगिल और टिथवाल वापिस नहीं दे सकते । ऐसा मामला कभी हमारे सामने नहीं आया कि चोरों से चोरी की वस्तुएं लेकर फिर उन्हें वापिस कर दी जायें । साधारणतः कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं समझ सकता कि हमारे जो क्षेत्र पाकिस्तान के पास थे उन्हें पाकिस्तान को वापिस कैसे दिया जा सकता है । यदि सरकार ऐसा करना चाहती है तो वह सभा के सामने एक संकल्प क्यों नहीं प्रस्तुत करती और संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत एक विधेयक क्यों पारित नहीं कराती ।

जहां तक ताशकन्द समझौते का सम्बन्ध है, 4 जनवरी से लगातार भारत में यह समाचार प्राप्त हो रहे थे कि ताशकन्द में समझौता होने की कोई सम्भावना नहीं है । काश्मीर समस्या के कारण ही बातचीत सफल नहीं हो रही थी परन्तु 10 जनवरी की सायंकाल को अचानक यह समाचार प्राप्त हुआ कि समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं । यह बात समझ में नहीं आ सकती कि यह सब कुछ अचानक कैसे हो गया । इस का क्या कारण है कि 10 जनवरी के प्रातः काल को यह समाचार मिला है कि समझौता नहीं हो रहा है और सायंकाल को समझौता हो गया ।

हम नहीं जानते कि स्वर्गीय प्रधान-मंत्री पर क्या दबाव डाला गया था । जैसा कि हम सब जानते है, वह दृढ़ स्वभाव के व्यक्ति थे और कोई भी यह नहीं मान सकता कि इस घोषणा के लिए सहमत कराने के लिए उन पर दबाव नहीं डाला गया है । उनको यह बता दिया गया था कि उनका रूस के अतिरिक्त कोई मित्र नहीं है और रूस के परामर्श का अपमान नहीं करना चाहिये । मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उन पर दबाव नहीं डाला गया ।

क्या इस समझौते के बाद हमें शान्ति मिलेगी ? क्या इस मामले में बड़े अपराधी, श्री भुट्टो, इस समझौते से संतुष्ट हैं । पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध शत्रुता और घृणा फैली हुई है । हम युद्ध नहीं चाहते हैं । जन संघ के प्रदर्शन युद्ध के समर्थन में नहीं हो रहे हैं । वे लोगों की इस भावना को व्यक्त करने के लिए है कि जनता नहीं चाहती कि करगिल, टिथवाल और हाजी पीर दिये जायें । यदि आप करगिल, टिथवाल और हाजी पीर देना चाहते हैं तो इस सभा में विधेयक पारित कराईये । देश ताशकन्द समझौते को उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री कृष्ण मेनन (बम्बई नगर-उत्तर) : जब गणराज्य दिवस पर प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को बताया था कि ताशकन्द समझौते को शब्दशः क्रियान्वित किया जायगा तो उन्होंने जनता की भावनाओं को ही व्यक्त किया था । इस समझौते से हमारे इस संकल्प को बल मिलता है कि शान्ति के द्वारा हम अपने घोर शत्रु को अपना बना सकते हैं ।

इस घोषणा पर न केवल विश्व सम्बन्धों की दृष्टि से बल्कि इस महाद्वीप के विश्व के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये । ताशकन्द समझौते के बारे में हमने एक नया मार्ग यह अपनाया है कि एशिया महाद्वीप में कुछ ऐसी अन्य शक्तियां कार्य कर रही हैं और हम अपनी पुरानी भावनाओं को भुलाकर दो स्वतन्त्र देशों के रूप में काम कर सकते हैं ।

मेरी जानकारी में यह बात पहली बार हुई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तव में एक द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ। ताशकंद सम्मेलन त्रिपक्षीय सम्मेलन नही है जैसा कि कुछ लोग कहते हैं बल्कि यह द्विपक्षीय सम्मेलन है। सम्मेलन का उद्देश्य पारस्परिक मेल मिलाप का वातावरण बनाना और एक प्रकार से शत्रुता दूर करना था। उस समय शत्रुता के तुरंत समाप्त होने की कोई आशा नहीं थी लेकिन दोनों देशों के लिए इतनी लम्बी युद्ध-विराम रेखा पर शान्ति स्थापित करना अपेक्षित था जिस से दिन प्रति दिन खर्च होने वाली भारी राशि बचाई जा सके।

इस समझौते का एक और पहलू भी है और वह सामान्य सम्बन्ध स्थापित करना है। व्यावहारिक रूप से हमारे राजनयिक सम्बन्ध टूट चुके थे। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम युद्ध में पहल न करने के लिए वचनबद्ध है। राजनयिक सम्बन्ध धीरे धीरे पुनःस्थापित किये जा रहे हैं। इस से दोनों पक्षों का सैनिक व्यय भी कम हो सकेगा। मैं समझता हूं कि वर्तमान संदर्भ में सैनिक गठजोड़ जारी रखना बहुत कठिन है। इसलिए, रक्षात्मक उपाय के रूप में भी इसका काफी महत्व है।

घोषणा के अनुसार, हम केवल युद्ध-बन्दी बल्कि नजरबन्द व्यक्ति भी लौटा सकेंगे। जहाज़ तथा सम्पत्ति भी लौटाई जायेगी। जहां तक सम्भव हो सके, आर्थिक सम्बन्ध पुनःस्थापित करने के हमारे प्रयत्न भी सफल हो सकेंगे।

काश्मीर के सम्बन्ध में हमें संवैधानिक स्थिति समझनी चाहिये। कहा गया है कि हम करगिल, हाजी पीर अथवा टिथवाल से सेनाये हटाकर संवैधानिक अनौचित्य के अपराधी हुये हैं। क्या इसका अर्थ यह कहना नही है कि भारत की सीमा केवल हाजी पीर तक ही है।

परन्तु हमारी स्थिति सदा यह रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नही माना जा सकता और फिर यदि हम 5 या 10 मील इस से आगे हैं तो इस से कोई फर्क नही पड़ता। हमारी स्थिति यह है कि हाजीपीर भारतीय क्षेत्र में है।

संयुक्त राष्ट्र ने भी जम्मू तथा काश्मीर में भारतीय प्रभुता को स्वीकार किया है और किसी को इस बारे में कोई गलतफहमी नही होनी चाहिये। जम्मू तथा काश्मीर में हमें अपनी प्रभुता बनाये रखने में न तो सोवियत संघ और न ही कोई अन्य देश रोक सकता है। काश्मीर के बारे में सोवियत संघ की अब भी वही नीति है जो पहले थी अर्थात कि समस्त जम्मू तथा काश्मीर जो पहले महाराजा के अधीन था अब भारत का अंग है। मेरा विचार है कि जबतक इस राष्ट्र में जीवन है तब तक यह देश की प्रभुता को पाकिस्तान या किसी अन्य देश को सौंपा नहीं जा सकता।

बैरबारी का उल्लेख किया गया है। वह एक अलग प्रश्न है। इस बारे में सन्देह था कि यह क्षेत्र किसका है। इस बारे में काफी बातचीत हुई थी। सरकार ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय में उठाने का निर्णय किया ताकि बाद में सभा कोई कठिनाई उत्पन्न न कर दें। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा था कि कोई भी क्षेत्र दिया जा सकता है परन्तु इस बारे में संसद द्वारा विधेयक पारित किया जाना चाहिये। हम इस सिद्धान्त को नही मान सकते कि यदि आक्रमण द्वारा यदि कोई देश किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और वह देश अपना इस कब्जे को जारी रखता है तो वह क्षेत्र उस का हो गया इस प्रकार साम्राज्य बन जाते हैं। इन से निपटने का एक ही तरीका है कि इस प्रकार के साम्राज्यों को समाप्त किया जाय।

लाहौर अंचल में हमारे सैनिक घुस गये थे और वहां पर हमारा वास्तविक नियंत्रण हो गया था परन्तु इस का अर्थ यह नही लिया जा सकता कि वहां पर हमारी प्रभुता थी।

मैं आपको दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का उदाहरण देता हूं। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका पर दक्षिण अफ्रिका का संघ सरकार का 1921 से शासन है उन्होंने पश्चिम अफ्रीका के लोगों को नागरिकता भी प्रदान की। परन्तु 'लीग आफ नेशनस' ने इसका विरोध किया। अब भी हमारा विचार यही है कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का नहीं है वे शासन वहां अवश्य करते हैं परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि संविधानिक तौर पर उनको वहां की प्रभुता प्राप्त है।

[श्री कृष्ण मेनन]

इस लिये मैं कहता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर के बारे में इस प्रकार की बात को उठाना हमारे हित में नही है। राजनैतिक, सैनिक या सामरिक महत्व से हो सकता है कि हम ने कुछ खोया हो इस के बारे में शंका प्रकट की जा सकती है परन्तु जहां तक संविधान का प्रश्न है हमने कुछ नहीं खोया है। मैं तो यही कहूंगा कि जनता इस बातसे प्रसन्न है कि संघर्ष समाप्त हो गया है बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान भी इसके पक्ष में था। क्या पाकिस्तान इस को कार्यान्वित करेगा। ये सब बातें हम कैसे जान सकते हैं। पाकिस्तान में हमारे जैसी सरकार नहीं है। इसलिये हम तो वही जान सकते हैं जो उनकी सरकार कहती हो। हमारे यहां लोक तंत्रीय सरकार है और यदि यह कोई कार्य जनता के हितों के विरूद्ध करती हैं तो सरकार को बदला जा सकता हैं। क्योंकि यह सरकार अभी बदली जाने वाली नहीं है इसलिये यह सरकार लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बातचीत करती है और समझौते करती है।

भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर में जो सीमा है उसको अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और नहीं कभी होगी। यदि यह अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बन जाती है तो युद्ध-विराम के दूसरी और जो क्षेत्र है वह एक अलग राष्ट्र बन जायेगा। मैं यह कहूंगा कि इस स्थिति को न तो यह सदन और न ही कोई आने वाला सदन इस को स्वीकार करेगा। हो सकता 15, 20 या 50 वर्षों में यदि वहां औद्योगिक विकास हो जाता है और वहां प्रजातंत्र सरकार हो जाती है और वे क्षेत्र हमारे में शामिल होना चाहें तो फिर अन्तर्राष्ट्रीय औचित्य का प्रश्न उत्पन्न होगा। इसलिये हम उन क्षेत्रों से अपनी प्रभुता को नहीं छोड़ सकते।

इसलिये मैं अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहूंगा कि जहां तक ताशकंद समझौते का सम्बन्ध है स्थिति वही है जो 1949 में थी। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र ने हमें जो आश्वासन दिये थे वे भी वैसे ही रहेंगे जिनमें एक आश्वासन यह था कि जम्मू तथा काश्मीर में शान्ति को बनाये रखने की हमारी जिम्मेवारी है।

काश्मीर समस्या को हल करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान काश्मीर से आक्रमण को समाप्त कर दे।

श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदय, ताशकन्द समझौते तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 20 सितम्बर को पास किये गये संकल्प में मुझे कोई अन्तर दिखाई नहीं देता है। केवल इतना अन्तर अवश्य है कि जहां सुरक्षा परिषद् के संकल्प के अन्तर्गत सेनाओं को तीन महीनों की अवधि में पीछे हटाया जाना था, वहां इस समझौते के अनुसार सेनाएं केवल छः सप्ताहों में ही पीछे हटाई जानी है। अतः सुरक्षा परिषद के उक्त संकल्प के अन्तर्गत जो बातें हमें स्वीकार्य नहीं थी उन्हें हमने इस समझौते के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है।

यह कहा गया है कि ताशकन्द समझौता दोनों देशों के बीच शान्तिपूर्ण सम्बन्धों का एक नया चार्टर है। यदि इस से भारत और पाकिस्तान के बीच शान्तिपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाता हैं तो मैं इसका समर्थन करता हूं। हमने सदा युद्ध की निन्दा की है और यह कभी नहीं कहा है कि ऐसी समस्यायें केवल युद्ध द्वारा ही सुलझाई जा सकती है। इसके विपरित हम तो अपने पड़ोसियों विशेषकर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा करते रहे हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि इस समझौते का महत्व ही किया है। यदि हमने सुरक्षा परिषद् के संकल्प को स्वीकार किया होता तो उसका कुछ अधिकार तो है क्योंकि उस पर सभी राष्ट्रों को प्रतिनिधान तो मिला हुआ है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यह समझौता न ही कोई सन्धि है और न ही कोई गठजोड़। यदि इस की व्याख्या करने में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसे कौन निपटायेगा कि कौनसी व्याख्या सही है। अतः यह समझौता तो केवल मात्र एक वचन है जो कि दोनों देशों ने एक दूसरे को कुछ परिस्थितियों

के कारण दिया है। यह कहना गलत है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रसन्न थे। यदि ऐसी बात होती तो वह रात को 10½ बजे घर टेलीफोन पर इस समझौते के बारे में जनता की प्रतिक्रिया न पूछते। अतः इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि वह इस बारे में चिंतित थे। क्योंकि उन्होंने न केवल इस सभा को परन्तु सारी जनता को यह वचन दिया था कि चाहे कुछ ही क्यों न हो जाय हम हाजीपीर, टिथवाल तथा कारगिल से पीछे नहीं हटेंगे। परन्तु रूस की यह धमकी, कि वह काश्मीर के मामले में हमारा समर्थन नहीं करेगा जो वह अब तक करता रहा है और अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों की यह धमकी कि वे आर्थिक सहायता अथवा अन्य कोई सहायता देना बन्द कर देंगे यदि इस समझौते पर हस्ताक्षर न किये गये, तो इन परिस्थितियों में श्री शास्त्री को अन्ततोगत्वा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य होना पड़ा। ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा तथा हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर नहीं किया गया है। यदि यह समझौता राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता कि यह विश्व म शांति की स्थापना करने में सहायक सिद्ध होगा तो मैं इस समझौते का सब से पहले समर्थन करता। परन्तु मैं देखता हूं कि ऐसी बात नहीं है। क्योंकि श्री अय्यूब तथा श्री भुत्तो द्वारा इस समझौते की जिस प्रकार से व्याख्या की गई है उसमें तथा जो कुछ हमने इन दस्तावेजों से इसका अर्थ लगाया है इस में काफी अन्तर है। श्री भुत्तो तो केवल यह भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है कि यह समझौता भारत तथा पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों के इतिहास में एक नया मोड़ है क्योंकि इससे ही ध्येय की पूर्ति नहीं हो जाती है। अतः मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसका सार यह है कि इस समझौते का कोई महत्व नहीं है। यह उचित ही होता यदि श्री लाल बहादूर शास्त्री ने वहां यह कहा होता कि संसद की सलाह लिये बिना हम इस समझौते को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

समझौते का हवाला देते हुए बहुत सी बाते कही गई हैं, मैं इन सभी बातों का उल्लेख तो नहीं करना चाहता हूं परन्तु यह अवश्य बताना चहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के बारे में श्री लाल बहादूर शास्त्री की जो धारणा थी वह क्या थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री नें अपने 5 नवम्बर के अपने भाषण में दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिय जिन शर्तों का उल्लेख किया था वे ये हैं कि पाकिस्तान सर्व प्रथम युद्ध-विराम समझौते का पालन करे, युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन करना बन्द करे और तत्पश्चात अपने सेनाओं को हमारे क्षेत्र से वापस हटाये, तब हम भी पाकिस्तान के उस क्षेत्र से, अपनी सेनायें हटा लेंगे जिस पर आज हमारा कब्जा है। स्मरण रहे कि टिथवाल तथा हाजीपीर हमारा अपना ही क्षेत्र है। इस के अतिरिक्त, पाकिस्तान जो युद्ध-सम्बन्धी तैयारियां कर रहा है उसे बन्द करे। बाहर से अस्त्र शस्त्र मंगाने बन्द कर दे, रोके हुए हमारे जहाजों को छोड़ दे, चीन से भारत के विरुद्ध गठजोड़ को समाप्त करे और इस प्रकार सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये उक्त सभी कदम उठाये उस के पश्चात हम इन सम्बन्धों में और सुधार करने के लिये पाकिस्तान से बातचीत करने के लिये तैयार होंगे। यह कहा गया है कि ये सभो शर्तें ताशकन्द समझौते के अन्तर्गत पूरी हो गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने चीन को जो 2700 वर्ग मील क्षेत्र दे दिया है उसके बारे में क्या इस समझौते में कोई उल्लेख है? क्या इस समझौते में कहीं इस बात का उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान चीन से अपना गठजोड़ समाप्त कर देगा? इस समझौते में केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आस्था का ही उल्लेख किया गया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह चार्टर पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण से पूर्व विद्यमान नहीं था? क्या पाकिस्तान ने उक्त चार्टर के होते हुए भी हमारे पर तीन बार आक्रमण नही किया था? क्या इन सभी बातों को भुलाया जा सकता है? प्रश्न यह है कि इस समझौते का भाषान्तरण कौन करेगा? राष्ट्रपति अय्यूब ने यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि उसने 'युद्ध-नहीं' के बारे में कोई समझौता नहीं किया है। परन्तु हमें जो कुछ बताया जा रहा है वह बिल्कुल इस के विपरीत है। यदि यह समझौता एक किस्म का "युद्ध-नहीं" समझौता है तो पाकिस्तान इसको ऐसा स्वीकार क्यों नहीं करता है? पाकिस्तान जब "युद्ध-नहीं" समझौता करने के लिये तैयार नहां है तो उसने इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किये हैं? राष्ट्रपति अय्यूब ने आगे यह भी कहा है कि जब तक काश्मीर की

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

समस्या सुलझ नहीं जाती तब तक वह कोई "युद्ध-नहीं" समझौता नहीं करेगा। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर की बात है, इस सम्बन्ध में भी श्री अय्यूब ने कहा है कि बलप्रयोग न करने की जिम्मेदारी तब तक है जब तक किसी समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाने का रास्ता हो। उन्होंने यह भी कहा कि शांति केवल काश्मीर की समस्या हल होने के बाद ही स्थापित की जा सकती है। अतः जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में आस्था व्यक्त करने की बात है उसका बिल्कुल कोई महत्व नहीं है। एक ओर तो यह कहा जा रहा है कि काश्मीर के बारे में कोई बातचीत नहीं हो सकती है और दूसरी ओर पाकिस्तान इस तथाकथित समस्या को ही इन सब झगड़ों की जड़ बता रहा है तो हमारी समझ में नहीं आता है कि इस समझौते का महत्व ही क्या है। जहां तक एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की बात है, इस बारे में भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि यह उपबन्ध काश्मीर के मामले में लागू नहीं होता है।

इस समझौते से यह गारंटी कहां मिली है कि पाकिस्तान युद्ध-विराम रेखा को कभी पार नहीं करेगा। इस का परिणाम यह भी होगा कि हम पख्तूनिस्तान तथा पूर्व बंगाल के आंदोलनों की सहायता नहीं कर सकेंगे और उन के लिए सहानुभूति भी प्रकट नहीं कर सकेंगे परन्तु पाकिस्तान काश्मीर में घुसपैठिये भेजने के लिए स्वतंत्र होगा। श्री स्वर्णसिंह ने उस बात का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है कि घुसपैठियों के बारे में क्या होगा, दोनों देशों के सेनापतियों की बैठकें हुई हैं और उन्होंने सेना हटाने का क्रमबद्ध कार्यक्रम भी बनाया है परन्तु घुसपैठियों को हटने का क्रमबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

हमें ऐसे समझौतों का कटु अनुभव है। कई समझौते किये गये थे --लियाकत अली समझौता हुआ, नून समझौता हुआ और अन्त में कच्छ समझौता हुआ। परन्तु उनके परिणाम स्वरुप अधिक सैनिक संघर्ष हुआ। हमारी सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। इस स्थिति को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान के साथ शान्ति पूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जायेंगे। लाहौर और सियालकोट से पीछे हटना तो ठीक है परन्तु अन्य स्थानों से हमें नहीं हटना चाहिये था।

हम अपना सहयोग देने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि शान्ति स्थापित हो। परन्तु क्या रूस, अमरीका तथा अन्य देश, जो ताशकन्द समझौते की प्रशंसा करते हैं, यह आश्वासन देंगे कि पाकिस्तान भारत के साथ मैत्री सन्धि और युद्ध न करने की सन्धि करेगा। हम विश्व शान्ति के लिये कोई भी बलिदान करने के लिये तैयार हैं। परन्तु इस घोषणा ने हमें 5 अगस्त के स्थिति पर नहीं बल्कि जुलाई, 1951 की स्थिति पर ला खड़ा किया है। हमें यह निर्णय करना चाहिये कि जब तक मुख्य समस्या हल नहीं होती, उन स्थानों से पीछे नहीं हटेंगे।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : स्वर्गीय प्रधान मंत्री का अन्तिम कार्य शान्ति की तलाश था। ताशकन्द घोषणा का यह अर्थ तो नहीं है कि स्थायी शान्ति स्थापित हो गई है परन्तु इसका अर्थ यह अवश्य है कि शान्ति के लिए वातावरण बन गया है और ऐसा हल सम्भव हो गया है जिस से अन्त में स्थायी शान्ति स्थापित हो सके। ताशकन्द समझौता उस संघर्ष के बाद हुआ है जिसमें भारत ने सिद्ध कर दिया है कि भारत तथा उसकी सेना आक्रमणकारी का सामना कर सकती है। आधुनिक युद्ध जीतने तथा हराने वाले सभी देशों के लिए आर्थिक दृष्टि से हानिकरक होता है। हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए ताशकन्द घोषणा पर विचार करना चाहिये।

ताशकन्द घोषणा का पहला परिणाम मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना है। दूसरी बात यह है कि हमें पारस्परिक आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। जब तक आर्थिक सम्बन्ध इस प्रकार स्थापित न किये जायें कि दोनों मिलकर चल सकें, दोनों की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी।

यदि दोनों देशों में अच्छे सम्बन्ध हों तो अल्पसंख्यकों को उस से लाभ होगा। हम पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के साथ अधिक अच्छे व्यवहार की आशा कर सकते हैं।

खण्ड 2 को ठीक प्रकार से न समझ पाने के कारण इस समझौते का विरोध किया जा रहा है। जैसा कि विधि मंत्री ने कहा है लड़ाई बंदी की लाइन जो इस संघर्ष में पहल बनी थी वह प्रभुता के मामले में रियायत दे कर मान्य नही हुई थी। मैं पहिले कही हुई बातों को दुहराना नहीं चाहती। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगी कि जिन लोगों ने इस संकल्प का विरोध किया है, उन्होंने 5 अगस्त की महत्वता पर पूरा जोर नहीं दिया है अथवा ठीक से उसका मतलब नहीं समझा है। 5 अगस्त को पाकिस्तानी सैनिकों ने वेष बदल कर हमारी भूमी पर हमला किया था। इस समझौते के द्वारा सब सैनिकों को वापस जाना है चाहे वे वेष बदले हुए हों या न हों। कारगिल, तिथवाल, और हाजीपीर निस्सन्देह ही हमारे क्षेत्र हैं। श्री कृष्ण मेनन ने भी इस बात को बल दिया है। जो क्षेत्र चीन को चला गया है, वह भी हमारा है। अतः लड़ाई बन्दी की लाइन पर वापस जाने का यह मतलब नहीं कि उस क्षेत्र पर जो हमने से बल द्वारा ले लिया गया है, हमारी प्रभुता कमजोर हो जायेगी। मैं समझती हूं कि सरकार को यह सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है कि सैनिकों के पीछे हटने का कार्य इस तरह चले कि घुसपठियों या वेष बदले हुए सैनिकों के काश्मीर से बाहर निकाले जाने के साथ-साथ ही हमारे सैनिक उन क्षेत्रों से हटें जो हमारे पास इस संघर्ष के बाद, जो हमारे कारण नहीं हुआ है, थे।

समझौते के एक खंड के अनुसार दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ़ भद्दा प्रचार बन्द कराने के पूरे प्रयत्न करने होंगे और ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देना होगा जिस से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध मजबूत हों। जहां तक भारत का सवाल है, हम इस के लिये तैयार हैं। परन्तु मैं नहीं कह सकती पाकिस्तान का क्या रवैया रहेगा। मैं आशा करती हूं कि पाकिस्तान इस बात से सहमत होगा कि शान्ति पाकिस्तान और उस की जनता के लिये उतनी ही आवश्यक है जितनी कि भारत और उसकी जनता के लिये। यदि हम ऐसा वातावरण बनावें जिस में हम दोनों मित्रता व शान्ति से रह सकें और उन्नति कर सकें तो ताशकन्द समझौते के बाद ऐसे कई और समझौते विश्व में हो सकेंगे।

श्री अ० चं० गुह (बासाट) : ताशकन्द समझौते पर प्रधान मंत्री की मृत्यू की चर्चा के बिना चर्चा करना कठिन होगा। हमें यह समझौते की चर्चा उस के गुणों के आधार पर न कि उस के हस्ताक्षरकर्ता की मृत्यू के कारण भावुकता से करनी चाहिये।

मेरा यह मत है कि इस समझौते से पाकिस्तान के साथ हमारी सारी समस्यायें हल हो गई हैं। इस से केवल समस्याओं के सुलझाने का रास्ता खुल गया है और यह एक महान सफलता है।

श्री द्विवेदी ने बार बार कहा है कि इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान इस समझौते को भंग नहीं करेगा। किसी भी शान्ति सन्धि में ऐसी गारंटी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने जिस तरह नेहरू-लियाकत समझौते को निबाहा है, उस को देखते हुए शायद हमें इस समझौते के बारे में भी शंका हो जाये परन्तु कुछ बातों को देखते हुए हम आशा कर सकते हैं कि पाकिस्तान उसे निबाहेगा। पाकिस्तान ने भारत पर तीन बार आक्रमण किया। उसके मित्र लडाई के मैदान में या सुरक्षा परिषद् में उसकी कोई सहायता नहीं कर सके। उसी समय जब वह इंग्लेंड और अमरीका से गठबन्धन कर रहा था, वह चीन से भी सम्पर्क बढ़ा रहा था। उसे वहां भी निराश होना पड़ा क्यूंकि चीन उसको भारत के खिलाफ़ कोई सहायता न दे सका।

मैं नहीं जानता कि वे लोग जो इस समझौते का विरोध कर रहे हैं वे क्या चाहते हैं। क्या भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में कोई सुधार न हो? ताशकन्द समझौते ने सुरक्षा परिषद् के 22 सितम्बर के संकल्प में दी हुई व्यवस्था से अधिक कुछ नहीं किया है। उस संकल्प में लड़ाई बन्दी पहली कदम था। सैनिकों का हटाया जाना, सामान्य स्थिति का वापस लाना और शान्ति पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना बाद की बातें थीं। सुरक्षा परिषद् ने इन दिनों में इस मसले पर कोई चर्चा नहीं की है। हमने 1,700 लड़ाई बन्दी की घटनाओं की शिकायतें की हैं। प्रायः रोजाना ही संघर्ष होता रहा है। हमें पता चला है कि लड़ाई बन्दी के बाद हमारी सेना में कि 459 मृत्यू की घटनायें तथा 1,348 घायल होने की घटनायें हुई हैं।

[श्री अ० चं० गुह]

किसी समझौते पर न पहुंचने की स्थिति में क्या चारा हो सकता है ? क्या मेरे मित्र यह चाहते हैं कि लड़ाई में बनाये हुए बन्दी दोनों देशों में रूके रहें या लाखों लोग जो वे घर बार हो गये हैं वे बुरी अवस्था में पड़ रहे या दोनों देशों के बीच अच्छे व्यापारिक तथा यातायात के सम्बन्ध स्थापित न हो ।

भारत व पाकिस्तान केवल दो पडोसी ही नहीं हैं, वे एक देश के दो भाग हैं । चीन, बर्मा और श्री लंका भी भारत के पड़ोसी है । भारत व पाकिस्तान की एक ही नस्ल व संस्कृति है । मैं यहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमटी द्वारा जलाई 1947 में पारित एक संकल्प की ओर ध्यान दिलाउंगा जिस में यह दिया था कि भारत का लम्बा इतिहास व परम्परा इस मूल एकता के साक्षी हैं । भूगोल, पर्वतों और समुद्र ने भारत को जैसा ढ़ाला है उसको कोई भी नहीं बदल सकता । आर्थिक परिस्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय मामले भारत की एकता को और अधिक जरूरी बना देते हैं । अंत में कमेटी ने यह आशा प्रकट की कि दो राष्ट्रों का झूटे सिद्धान्त का परित्याग होगा । आज यह बात एक भूली हुई आशा दिखाई देगी । परन्तु जिन्होंने उस संकल्प के पारण में भाग लिया था वह आशा करते है कि किसी दिन भारत व पाकिस्तान के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो सकेंगे । यह दोनों देशों की शान्ति व भलाई के लिये आवश्यक है ।

मैं आर्थिक मामलों की चर्चा यहां नहीं करना चाहता परन्तु इस बात पर विचार किया जा सकता है कि भारत व पाकिस्तान के संघर्ष से हमारे खजाने पर कितना भार पड़ा है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि करीब 500 करोड़ रूपये का खर्चा हुआ है । इसको देखते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों ही को लड़ाई जारी रखना उचित व सम्भव नहीं दिखाई देता ।

ताशकन्द समझौते से एक विशेष बात जो हुई है वह यह है कि पाकिस्तान और चीन के सम्बन्धों में कुछ बिगाड़ हो जायेगा या हो भी गया हैं । यह बात भारत के हित मे नही बल्कि सारे विश्व के लिये शुभ है ।

श्री द्विवेदी ने चीन द्वारा भारत पर एक बड़ा हमला करने की चर्चा की थी । हम चीन द्वारा हमले के डर की परिस्थिति में पाकिस्तान से शत्रुता नहीं रख सकते । चीन से लड़ने के लिये भी हमें पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्ध रखना अत्यावश्यक है । इस समझौते द्वारा हमारे सम्बन्धों में सुधार होने की आशा है । पाकिस्तान को अब पता चल गया है कि इन तरकिबो से वह कश्मीर के बारे में मनमानी नहीं करा सकता । इसी लिये वह अब अच्छे व्यवहार को अपनाये हुए है ।

यह कहा गया है कि हम कुछ सामरिक महत्व के स्थानों को छोड़ रहे हैं । पाकिस्तान को भी ऐसे स्थानों को छोड़ना है । परन्तु मैं आशा करता हूं कि भारतीय सैना ने जिस योग्यता व बहादुरी से देश की रक्षा की है उसी तरह भविष्य में भी यदि कोई संकट आयेगा तो वह अपने देश की रक्षा कर सकेगी । अब पाकिस्तान को पता चल गया है कि धमकी द्वारा वह भारत को नहीं झुका सकता ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से ताशकन्द घोषणा का स्वागत करता हूं । इस घोषणा से प्रथम लाभ यह है कि तनाव कम हो जाने के कारण जन साधारण आर्थिक समस्याओं पर ध्यान दे सकेगी । भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी तनाव केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि यहां भी शीघ्र ही साम्प्रदायिक युद्धतत्पर स्थिति में बदल जाता है ।

ताशकन्द घोषणा ऐशीयाई मामलों में पहली राजनयिक विजय है जिस में पश्चिमी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हस्तक्षेप के बिना समझौता हुआ है ।

इस घोषणा का स्वागत करने का मेरा तीसरा कारण यह है कि केवल साम्प्रदायिक व युद्ध-तत्पर तत्वों द्वारा ही दोनों देशों में इस का विरोध हो रहा है जिस का मतलब यह है कि जन साधारण इस बात से प्रसन्न है कि इस घोषणा द्वारा दोनों देशों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित होने की सम्भावना बढ़ गई है।

इस घोषणा के समर्थन के बाद में कुछ इसकी त्रुटियां के बारे में भी कहना आवश्यक समझता हूं। विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गये पत्र में तथा यहां दिये गये भाषणों में ताशक़न्द घोषणा को बल त्याग को घोषणा के कारण एक तरह को युद्ध न करने की घोषणा समझने की चेष्टा की गई है। इस बल त्याग की घोषणा के सही अर्थ को समझाने के लिये हमें पाकिस्तान के न केवल साम्प्रादायिक विरोधी दलों के बयानों को बल्कि पाकिस्तानी अधिकारियों और राष्ट्रपति अयूब व विदेश मंत्री श्री भुट्टों के व्यक्तों पर ध्यान देना चाहिये। श्री भुट्टा ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा है कि "संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार एक राष्ट्र को संघर्ष करने का अधिकार है और हम ने ताशक़न्द घोषणा द्वारा अपने इस अधिकार को पुनः पुष्ट करते हैं। यदि हम ताशक़न्द में शीघ्र किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं तो हम ऐसे समझौते (काश्मीर समस्या) के लिये ताशक़न्द घोषणा द्वारा या इसके क्षेत्र से बाहर रह कर भी कोशिश करेंगे। अतः हमारी सरकार को यह नहीं सोचना चाहिये कि उसने कोई लड़ाई न करने का करार ताशक़न्द घोषणा के रूप में प्राप्त कर लिया है। श्री भुट्टो के कथन में दो देशों के बीच लड़ाई न करने का करार तब ही हो सकता है जब उन के परस्पर झगड़े सुलझाने के लिये ठोस क़दम उठाये जा चुके हों। घोषणा के बाद श्री भुट्टो ने एक ब्राडकास्ट में कहा था कि यह बात नहीं है कि भारत के प्रधान मंत्री लड़ाई न करने की घोषणा पर हमारे हस्ताक्षर कराना चाहते थे बल्कि हम ने स्वयं ही जानबूजकर उसपर हस्ताक्षर नही किये थे इस का यह मतलब है कि पाकिस्तान अब भी लढाई करने का अपना अधिकार समझता है।

किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सही मूल्य आंकने के लिये हमें केवल कल्पना से या इस बात से कि रूस ने इस समझौते का समर्थन किया है अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिये। केवल रूस ही नहीं, इंग्लैण्ड, अमरिका और अन्य देशों ने भी इस समझौते का समर्थन किया है। परन्तु पाकिस्तान जो इस समझौते के अर्थ निकाल रहा है उस पर यह देश अब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इस लिये मैं यह चाहूंगा कि सरकार यथार्थता के दृष्टिकोण से इस समझौते का मूल्यांकन करे।

जहां तक घुसपैठियों का सवाल है, यह मामला बहुत असंतोषजनक स्थिति में है। ताशक़न्द समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घन्टों के बाद पाकिस्तान के विदेश सचिव ने कहा था कि एक दूसरे देश के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करने के बारे में जो खंड है वह काश्मीर समस्या पर लागू नहीं होता। इस का यह मतलब है कि पाकिस्तान इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप करने के लिये अपने आप को स्वतंत्र समझता है। परन्तु इस सम्बन्ध में हमें पाकिस्तान की सद्भावनाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिये बल्कि घुसपैठियों को गोली मार कर खत्म करना चाहिये।

ताशक़न्द घोषणा से तनाव अवश्य ही कुछ कम हो गया है। हम इसका स्वागत करते हैं परन्तु सरकार के मस्तिष्क में जो बात है वह देश को व इस सभा को बतानी चाहिये। समझोते पर हस्ताक्षर होने के शीघ्र बाद ही कश्मीर के विभाजन की चर्चा चली थी। श्री जगजीवन राम ने एक भाषण में कश्मीर के विभाजन की चर्चा की है। सरकार को इस बात को साफ करना चाहिये कि जो विचार श्री जगजीवन राम के हैं सरकार उन से सहमत है या नहीं अन्यथा जो शंका देशवासियों में पैदा हो गई है समाप्त नहीं होगी बल्कि सरकार की नेक नियती में भी अविश्वास पैदा करेगी।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : मैं ताशक़न्द समझौते का समर्थन करता हूं। विरोधी दलों की ओर से इस समझौते की बहुत आलोचना हुई है। जैसा कि श्री बड़े ने कहा है घृणा और कटुता का वातावरण जो 18 वर्षों से चला आ रहा है एक दिन में नहीं समाप्त हो जायेगा।

[श्री बाकर अली मिर्जा]

यह समझौते ऐसे समय हुआ है जबकि किसी स्थिति ऐसी थी कि किसी समझौते का होना असंभव दिखाई दे रहा था ।

आलोचना बहुत हुई है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस समझौते कि सिवा दूसरा चारा भी क्या हो सकता था। लड़ाई का सिद्धान्त अब पुराना और अमान्य हो गया है। उधर पश्चिम में भी इंग्लण्ड रोडेशिया के सवाल पर और इधर अमरीका व सारा संसार वीयटनाम के मसले पर समझौते की तलाश में हैं। यहां 18 साल के घृणा के वातावरण के बाद हमारा ऐसा समझौता हुआ है जो दोनों देशों के लिये सम्मानजनक है। आलोचना करना आसान है।

हमें यह भी जान लेना चाहिये कि जैसे यहां कारगिल और हाजीपीर से सेनायें हटाने के बारे में विरोध हो रहा है उसी प्रकार पाकिस्तान में भी ताशकन्द समझौते का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान ने कहीं अधिक खोया है। इस समझौते से पाकिस्तान की राजनीतिक विचारधारा चूर चूर हो गई है। वे सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को मानते हैं जिसका अर्थ एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने का ही है। दूसरे, पाकिस्तान की विदेश नीति भारत से घृणा पर आधारित थी। ऐसी घृणा को प्रेम में बदल देना कोई आसान और शीघ्र हो जानेवाला कार्य नहीं है।

इस समझौते द्वारा जो फायदे हुए हैं उन में प्रथम तो यह है कि कश्मीर में जनमत संग्रह का सवाल अब खटाई में पड़ गया है। झगड़ों के सुलझाने के लिये बल प्रयोग की बात अब समाप्त हो गई है। यह कोई मामूली बात नहीं है। सब से ज्यादा महत्व की बात यह है कि अब दोनों देशों की जनता के लिये राष्ट्रिय एकता के अवसर प्राप्त हो गये हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात इस लिये है कि जहां एक समय पाकिस्तानी जासूसों के भारत में होने की बात थी, भारत-पाकिस्तान संघर्ष के समय इस देशवासियों ने जो एकता दिखाई उस से यह अनुमान होता है कि कोई शक्ति ऐसी मौजूद थी जिसे हम नहीं पहचानते थे। मेरा ऐसा विचार है कि वह महात्मा गांधी का बलिदान था जिस से इस देश में एकता स्थापित हुई। जब हम इस समझौते पर विचार करें तो इस समझौते के निर्माता के बारे में भी विचार करें। मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार गांधी जी के बलिदान से एकता पैदा हुई थी उसी प्रकार शास्त्री जी के बलिदान और त्याग से एक देश के दो भागों में एकता पैदा हो सकेगी।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 17 फरवरी, 1966/28 माघ, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

Th Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 17 1966/*Magha* 28, 1887 (*Saka*).

भा०स०मु०ना०—वि 5–19लोक सभा/66–2-6-67–600.